रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2002/अग्रहायण 11, 1924
No. 543] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2002/AGRAHAYANA 11, 1924

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2002

सा.का.नि. 790(अ).—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "अधिनियम" से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) अभिप्रेत है ;

(ii) "प्राधिकृत प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 103 के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(iii) " डिक्री" से किसी सिविल न्यायालय की कोई डिक्री अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 94 में निर्दिष्ट कोई विनिश्चय या आदेश भी है ;

(iv) " डिक्री धारक" से खण्ड (iii) में यथा परिभाषित डिक्री को धारण करने वाले कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं ;

(v) "व्यतिक्रमी " से कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, कोई सहकारी सोसाइटी, सदस्य या व्यतिक्रम करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(vi) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(vii) "साधारण बैठक" से धारा 38 की उपधारा(i) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी साधारण निकाय की जिसमें प्रतिनिधि साधारण निकाय सम्मिलित है, बैठक अभिप्रेत है ;

(viii) "निर्णीत ऋणी " से कोई ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरुद्ध डिक्री प्राप्त की गई है ;

(ix) "वसूली अधिकारी" से धारा 94 के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(x) "बिक्रय अधिकारी" से केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति कुर्क करने या उसका विक्रय करने अथवा संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा कोई डिक्री निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(xi) "धारा " से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(xii) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(xiii) उन शब्दों और पदों के जो अधिनियम में परिभाषित हैं और इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण

3 रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनः (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 1 में किया जाएगा और इस पर धारा 6 की उपधारा (2) और इन नियमों के उपनियम (2),(3),(4) और (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे :-

(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की प्रस्तावित उप विधियों की चार प्रतियां जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होंगी, जिन्होंने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्होंने शेयर पूँजी में अभिदाय किया है और उनमें से प्रत्येक के द्वारा अभिदाय की गई रकम और उनके द्वारा संदत्त प्रवेश फीस;

(ग) बैंक या बैंकों से एक प्रमाणपत्र जिसमें प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पक्ष में जमा अतिशेष का कथन किया गया हो;

(घ) एक स्कीम जिसमें यह स्पष्ट करते हुए ब्यौरे दर्शित किए गए हों कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कार्यकरण किस प्रकार आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा और ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार स्वसहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपने सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए किस प्रकार फायदाप्रद होगी;

(ङ) संप्रवर्तकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति जो आवेदकों में से एक ऐसे आवेदक का नाम और पता विनिर्दिष्ट करेगी जिसको केन्द्रीय रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के पूर्व नियमों के अधीन पत्राचार सम्बोधित कर सकेगी और रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज प्रेषित कर सकेगा या सौंप सकेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी है वहां, यथास्थिति, ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक या निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य उस बोर्ड द्वारा संकल्प द्वारा रजिस्ट्रीकरण और उपविधियों के लिए आवेदन पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा और ऐसे संकल्प की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य सहकारी सोसाइटियां या बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां और व्यक्ति हैं, वहां ऐसे आवेदन पर व्यक्तियों या ऐसी सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(4) जहां रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य कोई सरकारी कंपनी, निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी है वहां ऐसा सदस्य अपनी ओर से रजिस्ट्रीकरण और उपविधियों के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्यक रूप से प्राधिकृत करेगा और ऐसा प्राधिकारी देने वाले ऐसे संकल्प की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी ।

(5) एक या अधिक आवेदकों के नाम ऐसे आवेदकों के नाम जो आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तावित उपविधियों में परिवर्तन और परिवर्धन करने के लिए, जैसा केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सुझाव दिया जाए, प्राधिकृत हैं, दर्शित करने वाले संकल्प की प्रति प्रस्तुत की जाएगी ।

(6) आवेदन केन्द्रीय रजिस्ट्रार को या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा या दस्ती परिदत्त किया जाएगा ।

4. रजिस्ट्रीकरणः- (1) नियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार आवेदन की विशिष्टियों को प्ररूप 2 में बनाए रखे जाने वाले आवेदनों के रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा, आवेदन को क्रम संख्या देगा और उसकी अभिस्वीकृति की रसीद जारी करेगा ।

(2) यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी ने अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तो वह सोसाइटी और उसकी उपविधियों को, रजिस्टर कर सकेगा ।

(3) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करता है वहां वह उक्त सोसाइटी को अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिस पर उसकी प्राधिकारिक मुद्रा होगी, जिसमें उक्त सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख होगी । केन्द्रीय रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ स्वयं द्वारा यथा अनुमोदित और रजिस्ट्रीकृत उपविधियों की एक प्रमाणित प्रति भी देगा जो तत्समय प्रवृत्त उक्त सोसाइटी की रजिस्ट्रीकृत उप विधियां होंगी ।

5. रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जानाः- (1) धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इंकार करने का आदेश प्रस्तावित सोसाइटी के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए इन्कार करने वाले आदेशों को संसूचित करने की रीति प्रस्तावित सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए इन्कार करने का निश्चायक सबूत होगी ।

6. <u>उपविधियां -</u>

इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाली प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों और आदर्श उपविधियों, यदि कोई हों, जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा बनाई गई हों, से संगत उपविधियां बना सकती है, उपविधियों की विषय वस्तु वह होगी, जो अधिनियम की धारा 10 और अन्य सुसंगत उपबन्धों और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित की गई हैं । इसके अतिरिक्त उपविधियों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हो सकेगा -

(i) शेयरों के मोचन की प्रक्रिया और रीति,

(ii) सोसाइटी के पदाधिकारियों, उनके निबन्धन और शर्तें, उनके कृत्यों और दायित्वों के बारे में उनसे भिन्न उपबन्ध, जो अधिनियमों में विनिर्दिष्ट हैं,

(iii) अधिनियम एंव नियमों के अधीन अपेक्षित रूप में विभिन्न निधियों का गठन,

(iv) उपविधियों में विनिर्दिष्ट दरों के अधिकतम के अधीन रहते हुए लाभांश की दर,

(v) सोसाइटी के कर्मचारियों के संगम और प्रतिनिधित्व के लिए प्रक्रिया,

(vi) बोड की समितियों का गठन,

(vii) प्रतिनिधियों के लघुतर निकाय के गठन के लिए निर्वाचन या चयन की प्रक्रिया या उपविधियां ।

(viii) भर्ती की पद्धति, सेवा की शर्तें और सासाइटी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदाय किए जाने वाले वेतनमान तथा भत्ते को नियत, पुनरीक्षित या विनियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अनुशासनिक मामलों के निपटाए जाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ix) संविधान तथा प्रतिनिधित्व करने वाले सामान्य निकाय के अधिकार और प्रतिबंध जिसके अधीन यह निकाय अधिकारों का प्रयोग कर सकता है ।

7. उपविधियों में संशोधन से इंकार - (1) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार धारा 11 की उपधारा (9) के अधीन किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में किसी संशोधन को रजिस्टर करने से इंकार करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उस बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक को उसके लिए कारणों सहित इंकार के आदेश को संसूचित करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन इंकार के आदेश को संसूचित करने की रीति इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि उपविधियों के संशोधनों से इंकार किया गया है तथा सोसाइटी को इसकी संसूचना दे दी गई है ।

8. कारबार का मुख्य स्थान और पता - (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कारबार का एक मुख्य स्थान होगा जो सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा और उसे उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारबार के मुख्य स्थान में प्रत्येक परिवर्तन अधिनियम की धारा 11 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात उसकी उपविधियों में संशोधन के द्वारा किया जाएगा ।

(3) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत क्यालय में किसी परिवर्तन को उसके परिवर्तन के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय रजिस्ट्रार को अधिसूचित किया जाएगा ।

9. सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रीकरण फाइल का अनुरक्षण - (1) प्रत्येक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर एक रजिस्ट्रीकरण फाइल रखेगी जिसमें निम्नलिखित होगा :

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र,

(ख) रजिस्ट्रीकृत उप-विधियां,

(ग) संशोधनों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ उप-विधियों के सभी रजिस्ट्रीकृत संशोधन,

(घ) अधिनियम और नियमों की एक प्रति,

(2) रजिस्ट्रीकरण फाइल कार्य के घंटों के दौरान सभी समयों पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य के द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

10. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नाम में परिवर्तनः- (1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नाम में धारा 11 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् परिवर्तन किया जा सकता है तथापि यह कि वह किसी जाति या धार्मिक संप्रदाय के प्रति निर्देश न करता हो और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उद्धेश्यों से असंगत न हो ।

(2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नाम मे प्रत्येक परिवर्तन उसकी उप-विधियों में संशोधन द्वारा किया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नाम में परिवर्तन का अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् बहुराज्य सहकारी सोसाइटी मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को संशोधन के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजेगी जो सम्यक् रूप से संशोधित करने के पश्चात् उसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को वापस लौटा देगा ।

11. सदस्यता के लिए अनुपालन की जाने वाली शर्तें- (1) कोई भी व्यक्ति बहुराज्य सहकारी सोसायटी के सदस्य के रूप में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

(क) उसने सदस्यता के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा अधिकथित, यदि कोई हो, में या केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में , लिखित रूप में आवेदन नहीं किया है;

(ख) उसका आवेदन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है;

(ग) उसने शेयरों का न्यूनतमसंख्या में क्रय नहीं किया है और उनकी कीमत का पूर्णतया या अंशतः उतनी मांगों में जितनी बहुराज्य सोसाइटी की उप-विधियों में अधिकथित की जाएं, संदाय नहीं किया है;

(घ) उसने अधिनियम, नियमों और उप-विधियों में अधिकथित सभी अन्य शर्तों का पालन नहीं किया है ;

(ङ) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या किसी सहकारी सोसाइटी या राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी अथवा सरकार या किसी सरकारी कंपनी या व्यक्ति निकाय के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम, चाहे वह निगमित हों या नहीं, की दशा में, सदस्यता के लिए आवेदन के साथ यह संकल्प संलग्न नहीं किया जाता है, जो उसे ऐसी सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

(2) कोई व्यक्ति किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि-

(क) उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है

(ख) वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया या अनुमोचित दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है,

(ग) वह किसी राजनैतिक प्रकृति के अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अद्यमता और बेईमानी अंतर्वलित नहीं है, दण्डादिष्ट किया गया है और दण्डादेश की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है ।

(3) इन नियमों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई सदस्य उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं के अधीन हो जाता है या पहले से ही हो गया है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से, जब निरर्हता उपगत की गई थी, सोसाइटी का सदस्य नहीं रह गया है ।

(4) कोई व्यष्टि, जो किसी प्राथमित स्तर की बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या किसी बहुराज्य प्रत्यय सोसाइटी या किसी बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक का सदस्य है, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की साधारण या विशेष अनुज्ञा बिना किसी अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या उसी वर्ग की सहकारी सोसाइटी का सदस्य नहीं होगा और जहां कोई व्यष्टि पूर्वोक्त ऐसी सहकारी सोसाइटियों में से दो का सदस्य बन गया है तो या तो उनमें से कोई एक या दोनों ही सोसाइटियां केन्द्रीय रजिस्ट्रार से उस आशय की लिखित अध्यादेश पर उसे सदस्यता से हटाने के लिए आबद्ध होंगी ।

(5) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपने साधारण निकाय के अधिवेशन की तारीख के पूर्व तीस दिन के भीतर सदस्यों को प्रवेश न देगी ।

अध्याय 3

संघीय सहकारी सोसाइटियाँ

12. संघीय सहकारी सोसाइटियों का वर्गीकरणः- (1)संघीय सहकारी सोसाइटियाँ उनके कार्यकलापों की प्रकृति के प्रति निर्देष से वर्गीकृत की जा सकती हैं। एक से अधिक संघीय सहकारी सोसाइटियों को प्रचालन के एक ही क्षेत्र में समान और समरूप उद्दश्यों में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।

(2) संघीय सहकारी सोसाइटियाँ अपने घटक सदस्यों के संवर्धन के लिए सदस्य सोसाइटियों के साथप्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अपनी उपविधियों में उपयुक्त उपबन्ध करेंगी ।

अध्याय 4

बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का प्रबंध

13. वार्षिक साधारण अधिवेशन- (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पश्चात् छः महीने की अवधि के अपश्चात् अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी । सभी साधारण अधिवेशन सोसाइटी के मुख्य स्थान पर बुलाए जाएंगे ।

(2) अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिसकी सदस्यता एक हजार से अधिक हो, छोटे निकाय के गठन के लिए अपनी उपविधियों में उपबन्ध कर सकेगी । इस प्रकार से गठित छोटे निकाय साधारण निकाय के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट हो ।

14. अंतरिम बोर्ड और प्रथम निर्वचन के लिए साधारण अधिवेशन - सोसाइटी का प्रथम साधारण अधिवेशन संप्रवर्तक सदस्यों द्वारा सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के छः महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदकों द्वारा चयनित अंतरिम बोर्ड तब तक कार्य करेगा जब तक नियमित बोर्ड निर्वाचित नहीं हो जाता ।

15. साधारण अधिवेशन के लिए सूचना - (1) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकेगा ।

(2) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का विशेष साधारण अधिवेशन कम से कम सात दिन की लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकेगा ।

(3) जब कोई साधारण अधिवेशन धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन अथवा कोई विशेष साधारण अधिवेशन धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा बुलाया जाता है तो वह -

(i) ऐसे अधिवेशन की सूचना की अवधि जो सात दिन से कम नहीं होगी ;

(ii) ऐसे अधिवेशन का समय और स्थान ; और

(iii) ऐसे अधिवेशन में विचार-विमर्श किए जाने वाले विषयों को,

अवधारित कर सकेगा । केन्द्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(4) वार्षिक साधारण अधिवेशन की सूचना के साथ पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा की उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित एक-एक प्रति संलग्न की जाएगी और उसके साथ बोर्ड की रिपोर्ट, उपविधियों के संशोधन, यदि कोई हो और बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन, यदि कोई हो, की एक एक प्रति होगी ।

16. साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति -

(1) जब तक कि उप-विधियों में अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, किसी साधारण अधिवेशन के लिए गणपूर्ति किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय के सदस्यों की कुल संख्या का पांचवां भाग होगी ।

(2) किसी साधारण अधिवेशन में किसी भी कामकाज का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिवेशन का कामकाज प्रारम्भ होने के समय अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं हो जाती है ।

(3) यदि अधिवेशन के लिए नियत समय से आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन स्थगित हो जाएगा :

परन्तु कोई ऐसा अधिवेशन जो सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाया गया है, स्थगित नहीं होगा अपितु विघटित हो जाएगा ।

(4) यदि अधिवेशन के दौरान किसी समय पर्याप्त संख्या में सदस्य गणपूर्ति को पूरा करने के लिए उपस्थति नहीं है तो अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला सदस्य स्वंय या उस तथ्य की ओर उसका ध्यान आकर्षित किए जाने पर, अधिवेशन को स्थगित कर देगा और वह कामकाज जो ऐसे अदिवेशन, यदि कोई है, में संव्यवहृत किया जाना शेष रह जाता है, स्थगित अधिवेशन में प्रत्येक रीति में निपटाया जाएगा ।

(5) जहां कोई अधिवेशन उपनियम (3) या उपनियम (4) के अधीन स्थगित कर दिया जाता है, वहां स्थगित अधिवेशन या तो उसी दिन या ऐसी तारीख, समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा विनिश्चित किया जाए, आयोजित किया जाएगा ।

(6) उपनियम 3 अथवा उपनियम 4 के अधीन किसी स्थगित अधिवेशन में उस कामकाज से भिन्न किसी कामकाज का संव्यवहार नहीं किया जाएगा, जो स्थगित अधिवेशन की कार्यसूची में दिया गया हो ।

(7) स्थगित साधारण अधिवेशन के संबंध में कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

17. साधारण अधिवेशन में मतदान - (1) ऐसे सभी संकल्प जिन्हें साधारण अधिवेशन में मतदान के लिए रखा जाता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, जब तक कि अधिनियम, इन नियमों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अधीन अन्यथा अपेक्षित न हो । प्रत्येक सोसाइटी अपनी उपविधियों मतदान की रीति और उससे संबंधित अन्य मामलों का उपबन्ध करेगी ।

(2) मतों के बराबर होने की दशा में अधिवेशन के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

18. साधारण अधिवेशन का कार्यवृत्त - (1) साधारण अधिवेशन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस प्रयोजनों के लिए रखी गई एक कार्यवृत्त पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा और उस पर अधिवेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । इस प्रकार हस्ताक्षरित कार्यवृत्त, उस अधिवेशन की सही कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा ।

19. निर्वाचन के संचालन की प्रकिया - (1) बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन बोर्ड द्वारा अपने अधिवेशन में नियुक्त रिटर्निंग आफिसर द्वारा कराया जाएगा । इस प्रकार नियुक्त रिटर्निंग आफिसर सोसाइटी का कोई सदस्य या कोई कर्मचारी नहीं होगा :

परन्तु, केन्द्रीय रजिस्ट्रार राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों, बहुराज्य शहरी सहकारी बैंको, बहुराज्य कृषि प्रसंस्करण सहकारी सोसाइटियों, रेल कर्मचारी प्रत्यय सोसाइटियों के निर्वचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करेगा । केन्द्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के निर्वाचन के संचालन के लिए, यदि ऐसी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए तो रिटर्निंग आफिसर की भी नियुक्ति कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा ऐसी रीति से जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो, संचालित किया जाएगा ।

20 पदाधिकारियों का निर्वाचन : (1) बोर्ड के पदाधिकारियों का निर्वाचन, निर्वाचन अनुसूची में दिये गये कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

(2) पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए अभ्यार्थियों की पात्रता अधिनियम की धारा 43 और धारा 44 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन होगी ।

21 मुख्य कार्यकारी के निबंधन और शर्तें: जहां केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में इक्यावन प्रतिशत या इससे अधिक की साम्य पूंजी है वहां मुख्य कार्यकारी के पद की अर्हताएं और पात्रता की शर्तें, वेतन और भत्ते, निलम्बन, पद से हटाना, पेंशन,उपदान, सेवानिवृत्ति लाभ वही होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे ।

अध्याय-5

बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार, संपत्ति और निधियां

22 बहियों में प्रविष्टियों की प्रतियों का प्रमाणीकरण (1)(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की किसी ऐसी बही में जो कामकाज के दौरान नियमित रूप से रखी गई हो, प्रत्येक प्रविष्टि को मुख्य कार्यकारी अथवा सोसाइटी की उपविधियों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

(ख) जहां कोई आदेश धारा 123 के अधीन बोर्ड का अधिक्रमण करते हुए और किसी प्रशासक को नियुक्त करते हुए पारित किया गया है, वहां प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ।

(ग) जहां कोई आदेश धारा 89 की उपधारा (1)के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के किसी समापक को नियुक्त किया गया है, वहां समापक द्वारा ।

(2) प्रत्येक प्रमाणित प्रति पर बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अथवा किसी निदेशक अथवा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा होगी ।

(3) ऐसी प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय के लिए उदगृहीत किए जाने वाले प्रभार वही होंगे, जो ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में यथा उपबंधित हैं । किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में ऐसा उपबंध न होने पर, दो रुपये प्रति फोलियो का प्रभार उदगृहीत किया जाएगा ।

23. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को सरकारी सहायता -

अधिनियम की धारा 61के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार परस्पर तय पाए गए निबंधनों और शर्तों पर किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सहायता दे सकेगी ।

24. सदस्यों को लाभ का वितरण - (1) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभों से भिन्न निधियों के किसी भाग को बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा उसके सदस्यों में वितरित नहीं किया जाएगा ।

(2) सदस्यों को उनकी समादत्त शेयरपूंजी पर लाभांश का संदाय उपविधियों में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा ।

(3) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में सोसाइटी के साथ किसी सदस्य के संव्यवहार के अनुरूप इसके सदस्यों को संरक्षण बोनस के वितरण के लिए उपबंध किया जा सकेगा ।

(4) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों में उन विषयों और प्रयोजनों के लिए भी उपबंध कर सकेगी, जिनके लिए आरक्षित कोष का उपयोग किया जाएगा ।

25 सहकारी शिक्षा निधि के लिए अभिदाय -(1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वर्ष अपने शुद्ध लाभ के एक प्रतिशत की दर से परिकलित राशि को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित सहकारी शिक्षा निधि के लिए अभिदाय के रूप में जमा करेगी । सहकारी शिक्षा निधि का प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i)	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली	अध्यक्ष
(ii)	केन्द्रीय रजिस्ट्रार	सदस्य
(iii)	वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग,कृषि मंत्रालय	सदस्य
(iv)	बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के दो प्रतिनिधि जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के लिए नामनिर्देशित किया जाएगा ।	सदस्य.
(v)	महानिदेशक, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
(vi)	निदेशक, वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे	सदस्य

(2) समिति के अनुमोदन के बिना सहकारी शिक्षा निधि में से कोई व्यय नहीं किया जाएगा ।

(3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, इस निधि को किसी पृथक लेखा में रखेगा और इस निधि के लिए अभिदाय से प्रोद्भूत होने वाले ब्याज के रूप में या अन्यथा सभी आय को इस निधि में जमा किया जाएगा ।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्ति और निधियां, लेखे, लेखापरीक्षा, परिसमापन और डिक्रियों, आदेशों तथा विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 के नियम 4 के अधीन गठित इस निधि में अतिशेष का, इन नियमों के प्रारंभ पर यह अर्थ लगाया जाएगा कि मानों वह इन नियमों के अधीन गठित निधि है ।

(5) सहकारी शिक्षा निधि का उपयोग, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सहकारी सोसाइटियों के लिए मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा । समिति, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, अभिदात्री सदस्यों या किसी अन्य व्यावसायिक रूप से गठित निकाय के माध्यम से, जैसा समिति विनिश्चय करे, हाथ में लेगी ।

26 अभिदायी भविष्य निधि : (1) प्रत्येक ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिसके पास उसकी सेवा में दस या उससे अधिक नियमित कर्मचारी हैं, धारा 69 की उपधारा (1)में निर्दिष्ट अभिदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी ।

(2) ऐसी निधि सृजित करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों में निम्नलिखित का उपबंध करेगी :-

क) निधि को प्रशासित करने के लिए प्राधिकारी ;

ख) कर्मचारी के वेतन से कटौती किए जाने वाले अभिदाय की रकम ;

ग) कर्मचारी की मृत्य की दशा में अभिदायी भविष्य निधि की रकम के संदाय के लिए नामनिर्देशन का तरीका ;

घ) वह प्रयोजन जिसके लिए, वह सीमा जिस तक और वह अवधि जिसके पश्चात, ऐसी निधि की प्रतिभूति के विरूद्ध अग्रिम दिए जा सकेंगे और मासिक किस्तों की संख्या जिनमें अग्रिम का प्रतिसंदाय किया जा सकेगा ;

(ङ) कर्मचारी के अभिदाय और सोसाइटी द्वारा किए गए अभिदाय का प्रतिदाय ;

(च) ऐसी निधि के लेखाओं का रखा जाना ।

(3) अभिदाय की रकम, जिसकी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के किसी कर्मचारी के वेतन से कटौती की जा सकती है, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) में उपबंधित अधिकतम सीमा से कम नहीं होगी ।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वर्ष कर्मचारी की अभिदायी भविष्य निधि में ऐसा अभिदाय कर सकेगी, जो बोर्ड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952(1952 का 19) में उपबंधित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए अनुमोदित किया जाए ।

27 लेखापरीक्षा और लेखे : (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित के संबंध में लेखा बहियां रखेगी :-

(क) वे सभी धनराशियां जो प्राप्त और व्यय की जाती हैं और वे विषय जिनके संबंध में धनराशियां प्राप्त और व्यय की जाती हैं ;

(ख) माल के सभी विक्रय या क्रय ;

(ग) आस्तियां और दायित्य ;

(घ) ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में, जो उत्पादन, प्रसंस्करण और विनिर्माण में लगी हैं, सामग्री या श्रम के उपयोग या लागत की अन्य मदों से संबंधित ऐसी विशिष्टियां जो उस सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की संपरीक्षा में उस धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां भी होगी :-

(क) क्या लेखापरीक्षक ने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उसकी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है ;

(ख) क्या उसकी राय में इन नियमों और उप विधियों में यथा विनिर्दिष्ट उचित लेखा बहियां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक कि यह उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है और उसकी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हो गई हैं, जहां वह नहीं जा सका है ;

(ग) क्या उसकी सर्वोत्तम जानकारी और उसको दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की बहियों द्वारा यथादर्शित तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कामकाज की सही और उचित स्थिति का पता चलता है ;

(घ) क्या व्ययों में या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को शोध्य धन की वसूली में तात्विक अनौचित्य या अनियमितता हुई है ;

(ङ) क्या सहकारी बैंक की दशा में, रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया गया है ।

(3) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अनुसूचियां भी होंगी जिनमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :-

(क) ऐसे सभी संव्यवहार जो अधिनियम, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नियमों या उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल प्रतीत होते हों ;

(ख) ऐसी सभी संव्यवहार, जो कि रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रतीत होते हों ;

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई धन जो लेखापरीक्षक को वसूली के लिए डूबा हुआ अथवा शंकास्पद लगे ;

(घ) वह ऋण जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा बोर्ड के सदस्यों को दिया गया हो ;

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों, शर्तों आदि का किसी सहकारी बैंक द्वारा कोई उल्लंघन ;

(च) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

28 समापक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया : जहां धारा 89 की उपधारा (1)के अधीन कोई समापक नियुक्त किया गया है वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी -

(क) समापक की नियुक्ति केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ;

(ख) समापक, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के परिसमापन आदेश के प्रभावी होते ही यथाशीघ्र एक सूचना ऐसे साधनों द्वारा जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा जिसमें उस बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के विरूद्ध, जिसके परिसमापन के लिए आदेश किया गया है, सभी दावे सूचना के प्रकाशित होने के दो मास के भीतर समापक को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाएगी । किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की लेखा बहियों में अभिलिखित सभी दायित्व स्वयंमेव ही उसके इस खण्ड के अधीन सम्यक् रूप से प्रस्तुत किए गए समझे जाएंगे ;

(ग) समापक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के विरूद्ध सभी दावों का अन्वेषण करेगा और दावेदारों के बीच उठने वाले पूर्विकता के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा ;

(घ) समापक उन सभी धनराशियों और अन्य संपत्तियों को, जिनकी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी हकदार है, वसूली करेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे वाद या समापन कार्यवाहियों के आनुषंगिक ऐसे वाद, जिन्हें वह उचित समझे, संस्थित कर सकेगा ;

(ङ) समापक लिखित रूप में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को अपनी ओर से वसूली करने के लिए और विधिमान्य रसीद देने के लिए सशक्त कर सकेगा ;

(च) समापक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों और दायित्वों का जैसे कि वे समापन आदेश की तारीख को थे, परिनिर्धारण करने के पश्चात, उस अभिदाय का, जिसके अंतर्गत शोध्य ऋण और समापन के खर्चे भी हैं, जो उसके प्रत्येक सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों द्वारा या मृत सदस्यों की संपदाओं या उनके नामनिर्देशितियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों में किया जाना है या किए जाने के लिए शेष है, समय-समय पर धारा 90 की उपधारा (2) के खंड(ख) के अधीन अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा । यदि आवश्यकता हो तो वह ऐसे अभिदायों के बारे में समनुषंगी आदेश भी कर सकेगा और ऐसा आदेश उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा जैसे मूल आदेश ;

(छ) समापक के भारसाधन में की सभी निधियां डाकघर बचत बैंक या किसी सहकारी बैंक या ऐसे किसी अन्य बैंक में, जिसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाए, जमा की जाएंगी और उसके नाम में जमा रहेंगी ;

(ज) केन्द्रीय रजिस्ट्रार समापक को संदाय की जाने वाली पारिश्रमिक की रकम, यदि कोई है, नियत करेगा । पारिश्रमिक की यह रकम समापन के खर्च में सम्मिलित की जाएगी जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों में से, अन्य सभी दावों की पूर्विकता में, संदेय होगी ;

(झ) समापक, समापनाधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों का अधिवेशन बुला सकेगा ;

(ञ) समापक तिमाही रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में जिसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार, विनिर्दिष्ट करे,केन्द्रीय रजिस्ट्रार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के समापन में हुई प्रगति को दर्शाते हुए प्रस्तुत करेगा;

(ट) समापक ऐसी बहियों और लेखाओं को रखेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, जो किसी भी समय ऐसी बहियों और लेखाओं की लेखापरीक्षा करा सकेगा ;

(ठ) समापन की समाप्ति पर, समापक विघटित सोसाइटी के सदस्यों का एक साधारण अधिवेशन बुलाएगा जिसमें समापक या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अपनी कार्यवाहियों के परिणाम को संक्षेप में लिखेगा और अधिशेष निधियों के व्ययन के बारे में मत लेगा।

समापक उपर्युक्त् साधारण अधिवेशन की कार्यवाही की प्रति के साथ अपनी अंतिम रिपोर्ट केन्द्रीय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से संबधित सभी पुस्तकों और लेखाओं को परिसमापन की प्रक्रिया से संबधित उसके द्वारा रखी गई सभी पुस्तकों और लेखाओं को केन्द्रीय रजिस्ट्रार को सौंपेगा ।

(ड) यदि दावेदार का पता ज्ञात न हो पाने के कारण या किसी अन्य कारण से समापक द्वारा किसी दायित्व का उन्मोचन नहीं किया जा सकता है तो ऐसे अनुन्मोचित दायित्व वाली रकम को किसी सहकारी बैंक में जमा किया जा सकता है और वह संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के दावों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा ।

(ढ) समापक को किसी भी समय केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा हटाया जा सकता है और वह इस प्रकार हटाये जाने पर समापन के अधीन सोसाइटी से संबंधित सभी सम्पत्ति और अभिलेखों को ऐसे व्यक्तियों को सौंपने के लिए बाध्य होगा जिनके लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार निदेशित करे ।

(ण) ऐसी किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की सभी पुस्तकों और अभिलेखों को, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के समापन की कार्यवाहियों के परिसमापन का आदेश दिया जा चुका है,, केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के आदेश की तारीख से 3 वर्षों के पश्चात नष्ट किया जा सकेगा ।

29. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों का उपयोज़न बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों का संदाय के लिए नीचे दी गई पूर्विकता के क्रम में उपयोजन किया जाएगा

(1) सभी बाह्य दायित्वों का आनुपातिक संदाय
(2) सदस्यों के ऋणों और जमा राशियों का आनुपातिक पुनर्संदाय
(3) शेयरपूंजी का आनुपातिक प्रतिदाय
(4) समापन की अवधि के लिए शेयर पर ऐसी दर से लाभांश का आनुपातिक संदाय जो 6.25% प्रति वर्ष से अधिक न हो ।

30. विवाद - (1) अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मध्यस्थों को नियुक्त कर सकेगा और उनकी फीस नियत कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सभी माध्यस्थम् कार्यवाहियों को ऐसे लागू होंगे मानो माध्यस्थम् के लिए कार्यवाहियां माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन परिनिर्धारण या विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट की गई हों ।

अध्याय 6

अपील और पुनर्विलोकन

31. अपील - धारा 99 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए, किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाएगी, यदि विनिश्चय या आदेश -

(क) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है तो ऐसे अधिकारी को जो भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग में अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए,

(ख) केन्द्रीय सरकार का या रजिस्ट्रार की पंक्ति के राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसको अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, द्वारा किया गया है तो भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग में (सहकारिता) सहकारिता के भारसाधक संयुक्त सचिव को ;

(ग) राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसको अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, द्वारा किया गया है तो भारत सरकार के कृषि और सहकारिता मंत्रालय में मुख्य निदेशक (सहकारिता) को या केन्दीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ;

32. अपील के संबंध में प्रक्रिया :- (1) धारा 99 की उप धारा (2) के अधीन कोई अपील प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जाएगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(2) अपील, ज्ञापन के प्ररूप में होगी, और उसके साथ उस आदेश, जिससे अपील की गई है, की मूल या प्रमाणित प्रति होगी ।

(3) प्रत्येक अपील :

(क) अपीलार्थी का नाम और पता और प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों के नाम और पतों को भी विनिर्दिष्ट करेगी ;

(ख) इस बात का उल्लेख करेगी कि वह आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, किसके द्वारा किया गया था ;

(ग) संक्षिप्ततः और विभिन्न शीर्षों के अधीन उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, के आक्षेपों के आधारों को, साक्ष्य के ज्ञापन सहित, उपवर्णित करेगी;

(घ) संक्षिप्ततः उस अनुतोष का उल्लेख करेगी जो अपीलार्थी ने चाही है, और

(ङ) उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की तारीख देगी ;

(च) साक्ष्य के ज्ञापन सहित अपील का ज्ञापन, अपीलर्थी द्वारा सम्यक् रूप से शपथ पर दिए गए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित होगा ।

(4) जहां धारा 99 की उप धारा (2) के अधीन अपील उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट साठ दिन की समाप्ति के पश्चात की जाती है वहां उसके साथ एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित एक अर्जी होगी जिसमें उन तथ्यों को उपवर्णित किया जाएगा जिन पर अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का समाधान करने का अवलम्ब लेता है कि उसके पास उस उपधारा में वर्णित अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

(5) अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, यथासंभव शीघ्र उसकी परीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि :

(क) अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ऐसे सुने जाने का अधिकार है;

(ख) यह विहित समय सीमा के भीतर किया गया है ; और

(ग) यह अधिनियम और इन नियमों के सभी उपबंधों के अनुरूप है ।

(6) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी से ऐसा करने की सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर त्रुटियों, यदि कोई हों, का उपचार करने के लिए या ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जो आवश्यक हो, देने की अपेक्षा कर सकेगा यदि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपेक्षित त्रुटियों का उपचार करने या अतिरिक्त जानकारी देने में असफल रहता है तो अपील अर्जी खारिज की जा सकेगी ।

(7) अपील प्राधिकारी धारा 99 के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी अधीनस्थ अधिकारी से जांच या कार्यवाहियों की नियमितता या उनमें पारित किए गए किसी विनिश्चय या किए गए किसी आदेश की सत्यता, वैद्यता या औचित्य के सत्यापन के प्रयोजन के लिए

जांच या कार्यवाहियों के संबंध में ऐसी अतिरिक्त जानकारी अभिप्राप्त कर सकेगा । अपील प्राधिकारी ऐसी जांच या कार्यवाहियों से सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसी जानकारी की अपेक्षा कर सकेगा और अभिप्राप्त कर सकेगा जो जांच या कार्यवाही के अभिलेखों की परीक्षा और अधीनस्थ अधिकारी से अभिप्राप्त सूचना के प्रतिनिर्देश से आवश्यक है ।

(8) अपील प्राधिकारी की गई जांच के आधार पर और जांच किए गए अभिलेखों के प्रतिनिर्देश से अपील के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझा जाए ।

(9) धारा 99 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और वह ऐसे अपीलार्थी और ऐसे अन्य पक्षकारों को जिनके उस प्राधिकारी की राय में उस विनिश्चय या आदेश से प्रभावित होने की संभावना है और उस सम्बद्ध अधिकारी को, जिसके आदेश के विरूद्ध ऐसा आदेश किया गया था, संसूचित किया जाएगा ।

33. पुनर्विलोकन के लिए आवेदन- (1) धारा 101 के अधीन प्रत्येक आवेदन ज्ञापन के प्ररूप में होगा जिसमें संक्षिप्त और सुभिन्न शीर्षों के अधीन ऐसे नए और महत्वपूर्ण तथ्यों को उपवर्णित किया जाएगा जो, सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात, उस समय आवेदक की जानकारी में नहीं थे और जो उसके द्वारा तब पेश नहीं किए जा सके थे जब आदेश किया गया था या गलती या त्रुटि अभिलेख में दृश्यमान थी या अन्य कारणों से जिनके आधार पर पुनर्विलोकन चाहा गया है । इसके साथ साक्ष्य का एक ज्ञापन संलग्न किया जाएगा ।

(2) आवेदन के साथ उस आदेश की, जिससे आवेदन सम्बद्ध है, मूल या प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ।

(3) पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक उसके साथ उतनी अतिरिक्त प्रतियां संलग्न नहीं की जाती हैं, जितने मूल आदेश में पक्षकार हैं ।

(4) पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन किसी पक्षकार द्वारा अपील प्राधिकारी के उस आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसकी पुनर्विलोकन की ईप्सा की गई है, किया जाएगा ।

(5) आवेदन जहां तक आवश्यक हो, अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में निपटाया जाएगा जो ठीक समझी जाए ।

परन्तु पुनर्विलोकन आवेदन पर कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित न कर दिया गया हो और उन्हें युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान न किया गया हो ।

अध्याय-7

ऐसी सोसाइटियां जो राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां बन जाती हैं

34. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन या पुनर्संगठन के लिए स्कीम तैयार करना -

(1) यथास्थिति, केन्द्रीय रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी धारा 103 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी , जो धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप ऐसी सोसाइटी बन गई है, के पुनर्गठन या पुनर्संगठन के लिए एक स्कीम तैयार करेगा । केन्द्रीय रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से स्कीम की एक प्रति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति को इस निदेश के साथ भेजेगा कि स्कीम को इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय के अधिवेशन के समक्ष रखा जाए ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिवेशन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों और लेनदारों को उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट रीति से जारी की गई सूचना की तारीख से कम से कम चालीस दिन पश्चात बुलाया जाएगा ।

(3) प्रत्येक सदस्य को एक लिखित सूचना, जिसमें अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान तथा वहां पर किया जाने वाला कारबार विनिर्दिष्ट होगा, दी जाएगी और इसके साथ उस स्कीम की एक प्रति होगी जिस पर अधिवेशन में विचार किया जाएगा । प्रत्येक सदस्य और लेनदार को सूचना-

(i) उसे व्यक्तिगत रूप से परिदत्त या निविदत्त की जाएगी, या

(ii) उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी, या

(iii) उसकी तामील उस पर ऐसी अन्य रीति से की जाएगी जैसी सोसाइटी की उपविधियों में विर्निदिष्ट की जाए ।

(4) **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी** को शासित करने वाले किसी नियम या उपविधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सोसाइटी का अध्यक्ष या सभापति उपनियम (1) की अपेक्षानुसार विशेष अधिवेशन बुलाने में असफल हो गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी** के साधारण निकाय का अधिवेशन **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी** के सभी सदस्यों और लेनदारों को चौदह दिन की सूचना देकर बुलाएगा ।

अध्याय-8

अभिलेखों के निरीक्षण के लिए फीस का संदाय

35. **अभिलेखों के निरीक्षण के लिए फीस का संदाय :-** सदस्य से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिलेखों के निरीक्षण के संदाय के लिए फीस प्रति फोलियो एक रुपया होगी ।

अध्याय - 9

प्रकीर्ण

36. **समन तामील की पद्धति** - (1) अधिनियम या उन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित में होगा, उस अधिकारी, जिसने यह जारी किया है, की मुद्रा, यदि कोई हो, द्वारा अधिप्रमाणित होगा और ऐसे अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा । उसमें समन किये गये व्यक्ति से उक्त अधिकारी के समक्ष बताये गये समय और स्थान पर उपस्थिति होने की अपेक्षा की जाएगी और यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि, साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रयोजन या दोनों प्रयोजनों के लिए उसकी उपस्थित अपेक्षित है या नहीं और किसी विशिष्ट दस्तावेज का, जिसे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, समन में युक्तियुक्त शुद्धता सहित, विवरण दिया जाएगा।

(2) किसी व्यक्ति को, साक्ष्य देने के लिए समन किए बिना दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया जा सकेगा और किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए

समन किया गया है, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने समन का अनुपालन किया है, यदि वह ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के बजाय उसे प्रस्तुत करवाता है।

(3) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति पर समन की तामील निम्नलिखित किसी भी रीति से की जा सकेगी:-

(क) उसे उस व्यक्ति को देकर या निविदत्त करके ; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसे उसके ऐसे स्थान पर, जहां ऐसा व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर से समनों को स्वीकार करने के लिए उसका सशक्त किया गया अभिकर्ता वास्तविक रूप से और स्वेच्छया से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, परिदत्त या संप्रेषित करके; या

(ग) यदि ऐसे व्यक्ति का पता केन्द्रीय रजिस्ट्रार या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को ज्ञात है, तो उसे उस व्यक्ति को, रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर ; या

(घ) यदि पूर्वोक्त साधन में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो उसे उसके उस अन्तिम ज्ञात स्थान के किसी सहज दृश्य भाग पर, जहां वह वास्तिवक रूप से या स्वेच्छया से रहता है या कारबार करता है या स्वेच्छया से अभिलाभ के लिए कार्य करता है, लगाकर ।

(4) जहां तामील करने वाला अधिकारी समन की एक प्रति व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसकी ओर से किसी अभिकर्ता को परिदत्त या निविदत्त करता है वहां उससे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसे प्रति इस प्रकार परिदत्त या निविदत्त की गई है, मूल समन पर तामील की रसीद के रूप में पृष्ठांकित करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(5) तामील करने वाला अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपनियम (4) के आधीन समन तामील किए गए हैं, मूल समन पर या उससे संलग्न एक विवरणी पर वह समय और जब वह रीति जिससे समन तामील किया गया था और उस व्यक्ति को जिसे तामील किया गया पहचानने वाले समन के परिदान या विनिदान के लिए साक्षी होने वाले व्यक्ति, यदि कोई हो, का नाम और पता, कथित करते हुए पृष्ठांकित या उपाबद्ध करेगा या पृष्ठांकित या उपाबद्ध करवाएगा ।

(6) जहां समन किए जाने वाला प्रतिवादी लोक अधिकारी या किसी कम्पनी का सेवक या स्थानीय प्राधिकारी है, वहां समन जारी करने वाला अधिकारी, यदि यह प्रतीत होता है कि समन इस प्रकार सुविधा पूर्वक तामील किए जा सकेंगे तो उसे समन किए जाने वाले पक्षकार को तामील करने के लिए उस कार्यालय के प्रधान को जिसमें वह नियोजित है ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली प्रति के साथ, रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज सकेगा ।

37 **डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों के निष्पादन की प्रक्रिया** - (1) कोई भी डिक्रीधारक, जो धारा 94 के खण्ड (ग) के उपबंधों को लागू किए जाने की अपेक्षा करता है, उस वसूली अधिकारी को आवेदन करेगा जिसकी अधिकारिता में वादहेतुक उद्भूत हुआ था और केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियत किए गए आवश्यक खर्च जमा करेगा । यह निर्णीत ऋणी का निवास स्थान या वह सम्पत्ति, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, ऐसे वसूली अधिकारी की अधिकारिता के बाहर स्थित है तो वह वसूली अधिकारी उस वसूली अधिकारी के पास आवेदन को अंतरित कर देगा जिसकी अधिकारिता में निर्णीत ऋणी रहता है या सम्पत्ति स्थित है ।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा और डिक्रीधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा । डिक्रीधारक यह उपदर्शित करेगा कि क्या वह डिक्रीधारक को बंधक की गई स्थावर सम्पत्ति या किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही चाहता है या जंगम सम्पत्ति की कुर्की चाहता है ।

(3) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर वसूली अधिकारी आवेदन में उपवर्णित विशिष्टियों की शुद्धता और वास्तविकता का सत्यापन केन्द्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय के अभिलेखों से, यदि कोई है, करेगा और केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक लिखित मांगपत्र दो प्रतियों में तैयार करेगा जिसमें निर्णीत ऋणी का नाम और शोध्य रकम दी हुई होगी और वह इस मांगपत्र को विक्रय अधिकारी के पास भेजगा ।

(4) जब तक कि डिक्रीधारक अपनी यह वांछा व्यक्त नही करता है कि कार्यवाहियां उपनियम (2) में अधिकथित किसी विशिष्ट क्रम में की जानी चाहिए, निष्पादन सामान्यतः निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात -

(i) व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही पहले की जाएगी, किन्तु यह आवश्यकता की दशा में, स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध साथ-साथ कार्यवाही किए जाने से प्रवारित नहीं करेगी ।

(ii) यदि कोई जंगम सम्पत्ति नहीं है, या यदि जंगम सम्पत्ति के विक्रय-आगम, या कुर्क की गई और विक्रय की गई सम्पत्ति से डिक्रीधारक की मांग पूर्णतः पूरी नहीं होती है तो डिक्रीधारक को बंधक की गई स्थावर सम्पत्ति या निर्णीतऋणी की अन्य स्थावर सम्पत्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

(5) जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय करने में निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा अर्थातः-

(क) विक्रय अधिकारी डिक्रीधारक को पूर्व सूचना देने के पश्चात् उस ग्राम में या उस स्थान पर, भी जहां निर्णीत ऋणी निवास करता है या करस्थम् की जाने वाली संपत्ति स्थित है, जाएगा और निर्णीत ऋणी पर, यदि वह उपस्थित है, तो मांगपत्र की तामील करेगा । यदि व्यय सहित शोध्य रकम का संदाय तुरंत नहीं किया जाता है तो विक्रय अधिकारी करस्थम् करेगा और करस्थम् की गई संपत्ति की सूची या तालिका निर्णीत ऋणी को तुरंत देगा और यदि शोध्य रकम का पहले ही उन्मोचन नहीं किया गया है तो उस स्थान और दिन और समय की सूचना देगा जिस स्थान में और जिस दिन और समय करस्थम् की गई संपत्ति विक्रय के लिए लाई जाएगी । यदि निर्णीत ऋणी अनुपस्थित है तो विक्रय अधिकारी मांगपत्र की तामील उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष सदस्य पर या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर करेगा या जब ऐसी तामील न की जा सकती हो तब उसके निवास स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर मांगपत्र की एक प्रति लगाएगा । उसके बाद वह करस्थम् की कार्यवाही करेगा और कुर्क की गई संपत्ति की सूची निर्णीत ऋणी के प्रायिक निवास स्थान पर लगाएगा उसपर उस स्थान का जहां संपत्ति जमा की जाएगी या रखी जाएगी, पृष्ठांकन करके और विक्रय के स्थान, दिन और समय की सूचना का उल्लेख किया जाएगा ।

(ख) करस्थम् करने के पश्चात् विक्रय अधिकारी कुर्क की गई संपत्ति को डिक्रीधारक की अभिरक्षा में या अन्यथा व्यवस्था करेगा । यदि विक्रय अधिकारी डिक्रीधारक से संपत्ति की अभिरक्षा की जिम्मेदारी लेने की अपेक्षा करता है तो वह ऐसा करने के लिए आबद्ध होगा और डिक्रीधारक की उपेक्षा के कारण उपगत हुई किसी भी हानि को पूरा करेगा । यदि कुर्क की गई सम्पत्ति पशुधन है तो डिक्रीधारक उसके लिए आवश्यक चारे की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा । विक्रय अधिकारी निर्णीत ऋणी की या ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर उसे उस गांव या स्थान में जहां उसकी कुर्की की गई है, ऐसे निर्णीत ऋणी या व्यक्ति के भारसाधन में उस दशा में छोड़ सकेगा जब उसने केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र सम्पत्ति को, उसकी अपेक्षा की जाने पर पेश करने के लिए लिखा हो ।

(ग) करस्थम् सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व किया जाएगा, न कि किसी अन्य समय पर।

(घ) उद्ग्रहीत करस्थम अत्यधिक नहीं होगा, अर्थात करस्थम् की गई सम्पत्ति व्यतिक्रमी से ब्याज सहित शोध्य राशि और करस्थम, निरोध और विक्रय के आनुषंगिक सभी व्ययों के यथासंभव निकटतम अनुपात में होगी ।

(ङ) यदि निर्णीत ऋणी की भूमि की फसल या इकट्ठी न की गई उपज की कुर्की की जाती है तो विक्रय अधिकारी उसका विक्रय तब करवा सकेगा जब वह काटे जाने या इकट्ठी की जाने योग्य हो या वह अपने विकल्प पर सम्यक् मौसम में उसे कटवा या इकट्ठा करवा सकेगा और विक्रय किए जाने तक उसे उचित स्थान में भंडार में रखवा सकेगा । पश्चातवर्ती दशा में, ऐसी फसल या उपज को कटवाने या इकट्ठा करने और भंडार में रखवाने का व्यय व्यतिक्रमी द्वारा उसे संपत्ति का उन्मोचन करने पर चुकाया जाएगा या यदि उसका विक्रय किया जाता है तो विक्रय आगम में से चुकाया जाएगा ।

(च) विक्रय अधिकारी करस्थम् किए गए बैलों या पशुओं से काम नहीं लेगा या करस्थम् किए गए माल या चीजबस्त का उपयोग नहीं करेगा और वह पशुओं या पशुधन के लिए आवश्यक चारे की व्यवस्था करेगा, और इस पर होने वाला व्यय स्वामी द्वारा उसके संपत्ति का उन्मोचन करने पर चुकाया जाएगा या यदि उसका विक्रय किया जाता है तो विक्रय आगम में से चुकाया जाएगा ।

(छ) यह विक्रय अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अस्तबल, गौशाला, धान्य भंडार, गोदाम, उपग्रह या अन्य भवन को बलपूर्वक खोल ले और वह किसी ऐसे निवास गृह में भी प्रवेश कर सकेगा जिसका बाहरी द्वार खुला हो और ऐसे निवास गृह के किसी कमरे का, व्यतिक्रमी की संपत्ति की, जो वहां जमा है, कुर्की करने के प्रयोजन के लिए द्वार तोड़कर खोल सकेगा, परन्तु इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय ऐसे निवास गृह के किसी कमरे को, जो जनाना या महिलाओं के निवास के लिए विनियोजित है, तोड़कर खोलना या उसमें प्रवेश करना विक्रय अधिकारी के लिए विधिपूर्ण नहीं होगा ।

(ज) जहां विक्रय अधिकारी के पास यह अनुमान लगाने का कारण है कि किसी व्यतिक्रमी की संपति किसी ऐसे निवास गृह में जिसका बाहरी द्वार बंद किया जा सकता है या महिलाओं के लिए विनियोजित किन्हीं ऐसे कमरों में, जो रूढ़ि या प्रथा के अनुसार प्राइवेट समझे जाते हैं, जमा हैं, वहां विक्रय अधिकारी निकटतम पुलिस थाने के भारसाधन अधिकारी को तथ्य अभ्यावेदित करेगा । ऐसे अभ्यावेदन पर उक्त थाने का भारसाधक अधिकारी किसी पुलिस

अधिकारी को उस स्थल पर भेजेगा जिसकी उपस्थिति में विक्रय अधिकारी ऐसे निवास गृह के बाहरी द्वार को उसी प्रकार बलपूर्वक खोल सकेगा जिस प्रकार वह गृह में जनाना के सिवाय किसी कमरे का द्वार तोड़कर खोल सकता है । विक्रय अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में जनाना के भीतर की महिलाओं को, यदि वे ऐसी हैं जो रूढ़ि या प्रथा के अनुसार लोगों के सामने नहीं आ सकती हैं, वहां से हटने की सम्यक् सूचना देने के पश्चात और उन्हें वहां से हट जाने के लिए उपयुक्त रीति से सुविधा देने के पश्चात, निर्णीत ऋणी की उसमें जमा सम्पत्ति यदि कोई है, का करस्थम् करने के प्रयोजन के लिए जनाना कमरों में भी प्रवेश कर सकेगा, किन्तु ऐसी सम्पत्ति, यदि पाई जाए तो, ऐसे कमरों से तुरन्त हटा ली जाएगी, उसके पश्चात वे पूर्व अधिभोगियों के लिए छोड़ दिए जांएगें ।

(झ) विक्रय अधिकारी आशयित विक्रय के समय और स्थान की उद्घोषणा लगातार दो दिन, विक्रय के एक दिन पहले और विक्रय के दिन उस गांव या स्थान में, जिसमें निर्णीत ऋणी रहता है और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में जिन्हें विक्रय अधिकारी विक्रय के सम्यक् प्रचार के लिए आवश्यक समझे, डोंडी पिटवा कर कराएगा । कोई भी विक्रय तब तक नहीं होगा जब तक कि उस तारीख से जिसको इस उपनियम के खण्ड (क) में विहित रीति में विक्रय की सूचना की तामील की गई है, या वह निवास स्थान पर लगाई गई है, पन्द्रह दिन की अवधि समाप्त न हो गई हो :

परन्तु जहां अभिग्रहण की गई सम्पत्ति शीघ्रतया और प्राकृतिक क्षयशीलता के अधीन है या जहां उसे अभिरक्षा में रखने का खर्च उसके मूल्य से अधिक हो जाने की संभावना है, वहां विक्रय अधिकारी तब के सिवाय जब देय रकम पहले दे दी जाए, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले किसी समय उसका विक्रय कर सकेगा ।

(ञ) नियत समय पर संपत्ति एक या अधिक लाटों में, जैसा विक्रय अधिकारी उचित समझे, रखी जाएगी और उसका व्ययन सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को कर दिया जाएगा ।

परन्तु यह और कि विक्रय अधिकारी स्थगन के अपने कारणों को लेखबद्ध करते हुए विक्रय को किसी भी विनिर्दिष्ट तारीख और समय तक के लिए स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा ।

जहां कोई विक्रय सात दिन से अधिक की अवधि के लिए इस प्रकार स्थगित किया जाता है, वहां तब के सिवाय जबकि निर्णीत ऋणी उसका अधित्यजन करने के लिए अपनी सहमति दे दे, खण्ड (ञ) के अधीन नई उद्घोषणा की जाएगी ।

(ट) सम्पत्ति के लिए संदाय उसके क्रय के समय या उसके तुरन्त पश्चात उस समय नकद किया जाएगा जैसा कि विक्रय करने वाला अधिकारी नियत करे और क्रेता को सम्पत्ति के किसी भाग को ले जाने की तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि वह उसके लिए पूर्णतः संदाय नहीं कर देता । जहां क्रेता क्रय धन का संदाय करने में असफल रहता है वहां सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जाएगा ।

(ठ) जहां किसी ऐसी सम्पत्ति को, जिसकी इन नियमों के अधीन कुर्की की गई है, किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक या छुपे तौर पर हटा लिया गया है, वहां विक्रय अधिकारी ऐसी सम्पत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन, अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय से कर सकेगा। जहां न्यायालय का आवेदन में अभिकथित तथ्यों की सत्यता के बारे में समाधान हो जाता है, वहां वह ऐसी सम्पत्ति विक्रय अधिकारी को प्रत्यावर्तित की जाने के लिए तत्काल आदेश कर सकेगा ।

(ड) जहां विक्रय के लिए नियत दिन से पूर्व व्यतिक्रमी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या कुर्क की गई सम्पत्ति में किसी हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति सम्पूर्ण देय रकम का, जिसके अन्तर्गत ब्याज, बट्टा और सम्पत्ति की कुर्की करने में हुआ खर्च भी है, संदाय कर देता है, वहां विक्रय अधिकारी कुर्की के आदेश को रद्द कर देगा और सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा ।

(ढ) ऐसी जंगम सम्पत्तियां, जिनका सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 60 के परन्तुक में कुर्की से छूट प्राप्त सम्पत्तियों के रूप में वर्णन किया गया है, इन नियमों के अधीन कुर्क या विक्रय नहीं की जा सकेंगी ।

6. जहां कुर्क की जाने वाली जंगम सम्पत्ति लोक सेवक अथवा स्थानीय प्राधिकारी या फर्म या कंपनी के सेवक का वेतन या भत्ता या मजदूरी है, वहां वसूली अधिकारी विक्रय अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह आदेश कर सकेगा कि वह रकम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे वेतन या भत्तों या मजदूरी में से या तो एक संदाय में या उतनी मासिक किस्तों में जैसा वसूली अधिकारी निर्दिष्ट करे, अवधारित की जाए और आदेश प्राप्त होने पर अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसका कर्तव्य ऐसे वेतन या भत्ते या मजदूरी का संवितरण करना है, यथास्थिति, आदेश के अधीन शोध्य रकम या मासिक किस्तें अवधारित करेगा और विक्रय अधिकारी के पास भेजेगा ।

7. (i) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति ऐसी जंगम सम्पत्ति में व्यतिक्रमी के अंश या हित के रूप में है जो सहस्वामियों के रूप में उसकी और किसी अन्य की है, वहां कुर्की व्यतिक्रमी को

अपने अंश या हित का अन्तरण करने से या उसे किसी भी रूप में भारित करने से प्रतिषिद्ध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी ।

(ii) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति ऐसी परक्राम्य लिखत है, जो न्यायालय में निक्षिप्त नहीं हैं और न लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जाएगी और लिखित कुर्की का आदेश करने वाले वसूली अधिकारी के कार्यालय में लाई जाएगी और आगे वह जो आदेश करे उसके अधीन धारण की जाएगी ।

(iii) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां वह कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी से यह अनुरोध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी कि ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय होने वाला ब्याज या लाभांश उस वसूली अधिकारी के, जिसने यह सूचना निकाली है, अगले आदेशों के अधीन धारित रखा जाए ।

परन्तु जहां ऐसी सम्पत्ति किसी न्यायालय या अन्य जिले के वसूली अधिकारी की अभिरक्षा में है; वहां हक या पूर्विक्ता के बारे में कोई ऐसा प्रश्न जो डिक्रीधारक के और किसी समनुदेशन के या कुर्की के आधार पर या अन्यथा ऐसी संपत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच पैदा हो जो निर्णीत ऋणी नहीं है, ऐसे न्यायालय या वसूली अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

8 (i) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति या तो धन के संदाय की या बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय की डिक्री है, यदि वह डिक्री जिसकी कुर्की चाही गई है, केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पारित की गई थी तो कुर्की की जाएगी ।

(ii) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार खंड (i) के अधीन आदेश करता है, वहां उस डिक्रीधारक के, जिसने डिक्री कुर्क कराई है, आवेदन पर वह कुर्क की गई डिक्री का निष्पादन करने के लिए अग्रसर होगा और शुद्ध आगमों को उस डिक्री की तुष्टि में लगाएगा जिसका निष्पादन चाहा गया है ।

(iii) जिस डिक्री का निष्पादन खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की किसी अन्य डिक्री की कुर्की द्वारा चाहा गया है, उस डिक्री के धारक के बारे में यह समझा जाएगा कि वह कुर्क की गई डिक्री के धारक का प्रतिनिधि है और कुर्क की गई ऐसी डिक्री का निष्पादन ऐसी किसी भी रीति से कराने का हकदार है जो उस डिक्री के धारक के लिए विधिपूर्ण हो ।

(iv) जहां डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति खण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रकृति की डिक्री से भिन्न डिक्री है, वहां कुर्की वसूली अधिकारी द्वारा ऐसी डिक्री के धारक को ऐसी सूचना देकर की जाएगी कि वह उसे किसी भी प्रकार अन्तरित या भारित न करे ।

(v) इस उपनियम के अधीन कुर्क की गई डिक्री का धारक डिक्री का निष्पादन करने वाले वसूली अधिकारी को ऐसी जानकारी और सहायता देगा जो युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो ।

(vi) जिस डिक्री का निष्पादन किसी अन्य डिक्री की कुर्की द्वारा चाहा गया है उस डिक्री के धारक के आवेदन पर वह वसूली अधिकारी जो इस उपनियम के अधीन कुर्की का आदेश करे, ऐसे आदेश की सूचना उस निर्णीत ऋणी को देगा जो कुर्क की गई डिक्री से आबद्ध है और कुर्क की गई डिक्री के किसी भी ऐसे संदाय या समायोजन को जो ऐसे निर्णीत ऋणी द्वारा ऐसे आदेश के उल्लंघन में उसकी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् या तो उक्त वसूली अधिकारी की मार्फत या अन्यथा किया गया है, उस समय तक मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक कि कुर्की प्रवृत्त रहती है ।

9. जहां कुर्क की जाने वाली जंगम सम्पत्ति -

(क) प्रश्नगत निर्णीत ऋणी को शोध्य कोई ऋण है,

(ख) किसी निगम की पूंजी का अंश या उसमें विनिहित कोई निक्षेप है, या

(ग) किसी सिविल न्यायालय में निक्षिप्त या उसकी अभिरक्षा में की संपत्ति के सिवाय कोई अन्य ऐसी जंगम सम्पत्ति है जो निर्णीत ऋणी के कब्जे में नहीं है ।

वहां कुर्की वसूली अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, जिसमें -

(i) ऋण की दशा में, लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उस ऋण को चुकाने से ;

(ii) अंश या निक्षेप की दशा में, उस व्यक्ति को जिसके नाम में अंश या निक्षेप उस समय दर्ज है उस अंश या निक्षेप को अंतरित करने से या उस पर के किसी लाभांश या ब्याज को प्राप्त करने से, और

(iii) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह है उसे निर्णीत ऋणी को देने से, प्रतिषिद्ध किया जाएगा ।

ऐसे आदेश की एक प्रति ऋण की दशा में ऋणी को, अंश या निक्षेप की दशा में निगम के उचित अधिकारी को और अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी । खंड (क) में निर्दिष्ट ऋण या खंड (ख) में निर्दिष्ट निक्षेप के परिपक्व होते ही वसूली अधिकारी संबंधित व्यक्ति को रकम का उसे संदाय करने का निदेश देगा । जहां अंश प्रत्याहरणीय नहीं हैं वहां वसूली अधिकारी किसी दलाल की मार्फत उसके विक्रय की व्यवस्था करेगा । जहां अंश प्रत्याहरणीय है वहां उसके मूल्य का संदाय वसूली अधिकारी या खंड (ग) में निर्दिष्ट पक्षकार को किया जाएगा । खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में संबंधित व्यक्ति इसके व्यतिक्रमी को परिदान करने योग्य होने पर इसे वसूली अधिकारी को सौंप देगा ।

(10) स्थावर संपत्ति का डिक्री के निष्पादन में तब तक विक्रय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति की पहले ही कुर्की न की गई हो :

परन्तु जहां डिक्री ऐसी सम्पत्ति के बंधक के आधार पर प्राप्त की गई है वहां उसकी कुर्की करना आवश्यक नहीं होगा ।

(11) स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय या कुर्की के बिना विक्रय में निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा , अर्थात :-

(क) उपनियम(2) के अधीन पेश किए गए आवेदन में उस स्थावर सम्पत्ति का, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, ऐसा वर्णन जो उसे पहचानने के लिए पर्याप्त है और उस दशा में जिसमें ऐसी सम्पत्ति सीमाओं द्वारा या भू-व्यवस्थापन या सर्वेक्षण के अभिलेख के संख्यांकों के द्वारा पहचानी जा सकती हो, ऐसी सीमाओं और संख्यांकों का विनिर्देश और निर्णीत ऋणी का ऐसी सम्पत्ति में जो अंश या हित आवेदक के सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार है और जहां तक वह उसका अभिनिश्चय कर पाया है वहां तक उस अंश या हित का विनिर्देश होगा ।

(ख) उपनियम (3) के अधीन वसूली अधिकारी द्वारा जारी किए गए मांग-पत्र में निर्णीत ऋणी का नाम, शोध्य रकम जिसके अन्तर्गत व्यय, यदि कोई है, और मांगपत्र की तामील करने वाले व्यक्ति को संदत्त किया जाने वाला बट्टा भी है, संदाय के लिए अनुज्ञात समय और संदाय न करने की दशा में, यथास्थिति, कुर्क और विक्रय की जाने वाली या कुर्क के बिना विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों की विशिष्टियां होंगी । मांगपत्र की प्राप्ति पर विक्रय अधिकारी मांगपत्र की एक प्रति की तामील निर्णीत ऋणी पर या उसके प्रायिक निवास स्थान पर उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष सदस्य पर या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर करेगा या करायेगा या यदि ऐसी

व्यक्तिगत तामील संभव नहीं है तो, यथास्थिति, कुर्क और विक्रय या कुर्क के बिना विक्रय की जाने वाली ऐसी स्थावर सम्पत्ति के किसी सहज दृश्यभाग पर उसकी एक प्रति लगाकर करेगा या कराएगा :

परन्तु जहां विक्रय अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई निर्णीत ऋणी अपने विरुद्ध चल रही निष्पादन कार्यवाही को विफल करने या उसमें विलम्ब करने के आशय से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है वहां वसूली अधिकारी द्वारा उपनियम (3) के अधीन जारी की गई मांग सूचना में निर्णीत ऋणी को उसके द्वारा देय रकम के संदाय के लिए कोई समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और निर्णीत ऋणी की संपत्ति तत्काल कुर्क कर ली जाएगी ।

(ग) यदि निर्णीत ऋणी अनुज्ञात समय के भीतर मांग सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो विक्रय अधिकारी निष्पादन के आवेदन में वर्णित स्थावर सम्पत्ति को, यथास्थिति, कुर्क और विक्रय करने या कुर्की के बिना विक्रय करने के लिए निम्नलिखित रीति से कार्यवाही करेगा ।

(घ) जहां कुर्की विक्रय से पहले अपेक्षित है, वहां विक्रय अधिकारी, यदि संभव है तो कुर्की की सूचना की तामील स्वयं निर्णीत ऋणी पर कराएगा । जहां व्यक्तिगत तामील संभव न हो वहां सूचना निर्णीत ऋणी के अंतिम ज्ञात निवास स्थान , यदि कोई है, के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी । कुर्की के तथ्य की उद्घोषणा ऐसी संपत्ति के या उसके पार्श्व में किसी स्थान पर और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में जिन्हें वसूली अधिकारी विक्रय के सम्यक् प्रचार के लिए आवश्यक समझे, डोंडी पिटवा कर या अन्य रूढ़िक ढंग से भी की जाएगी । कुर्की की सूचना में यह उपवर्णित होगा कि यदि सूचना में उल्लिखित तारीख के भीतर देय रकम, उस पर ब्याज के और व्यय सहित न दी गई तो संपत्ति विक्रय के लिए लाई जाएगी । कुर्की की सूचना की एक प्रति डिक्रीधारक को भेजी जाएगी । जहां विक्रय अधिकारी ऐसा निदेश दे, वहां कुर्की को राजपत्र में सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा भी अधिसूचित किया जाएगा ।

(ङ) विक्रय की उद्घोषणा विक्रय के लिए नियत तारीख से कम से कम तीस दिन पहले वसूली अधिकारी के कार्यालय में और तालुक कार्यालय में सूचना लगाकर प्रकाशित की जाएगी और (विक्रय की तारीख से पहले लगातार दो दिन तक और विक्रय के प्रारंभ होने के पूर्व विक्रय की तारीख को) गांव में डोंडी भी पिटवाई जाएगी । ऐसी उद्घोषणा वहां जहां कुर्की विक्रय के पूर्व की जानी अपेक्षित है, कुर्की की जाने के पश्चात की जाएगी । डिक्रीधारक और निर्णीत ऋणी को भी सूचना दी जाएगी । उद्घोषणा में विक्रय का समय और स्थान कथित होगा और निम्नलिखित बातें यथासंभव ऋजुता और यथार्थता से विनिर्दिष्ट होंगी --

(i) वह सम्पत्ति जिसका विक्रय किया जाना है;

(ii) कोई विल्लंगम जिसके लिए वह सम्पत्तिदायी है :

(iii) वह रकम जिसकी वसूली के लिए विक्रय आदिष्ट किया गया है; और

(iv) प्रत्येक ऐसी अन्य बात जिसके बारे में विक्रय अधिकारी का विचार है कि सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य का निर्णय करने के लिए उसकी जानकारी क्रेता के लिए तात्विक है।

(च) जब किसी स्थावर संपत्ति का इन नियमों के अधीन विक्रय किया जाता है, तब विक्रय यदि संपत्ति पर पूर्व विल्लंगम है तो उसके अधीन रहते हुए किया जाएगा । डिक्रीधारक जब वह रकम, जिसकी वसूली के लिए विक्रय किया जाता है, एक सौ रुपये से अधिक है तब उस संपत्ति की, जिसका विक्रय चाहा गया है, कुर्की की तारीख से पूर्व या उपनियम (10) के परंतुक के अंतर्गत आने वाले मामलों में निष्पादन के आवेदन की तारीख से पूर्व कम से कम बारह मास की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण विभाग से विल्लंगम प्रमाणपत्र विक्रय अधिकारी को उतने समय के भीतर देगा जितना उसके द्वारा या वसूली अधिकारी द्वारा नियत किया जाए । विल्लंगम प्रमाणपत्र पेश करने का समय, यथास्थिति, विक्रय अधिकारी या वसूली अधिकारी के स्वविवेकानुसार बढ़ाया जा सकेगा। विक्रय लोक नीलामी द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को किया जाएगा :

परन्तु विक्रय अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह प्रस्तावित कीमत के असम्यक् रूप से कम प्रतीत होने पर या अन्य समुचित कारणों से ऊंची बोली को इन्कार कर दे :

परन्तु यह और कि वसूली अधिकारी या विक्रय अधिकारी स्थगन के अपने कारणों को लेखबद्ध करते हुए विक्रय को किसी भी विनिर्दिष्ट दिन और घंटे तक के लिए स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा । जहां विक्रय सात दिन से अधिक की अवधि के लिए इस प्रकार स्थगित किया जाता है, वहां तब के सिवाय जब कि निर्णीत ऋणी उसका अधित्यजन करने के लिए अपनी सहमति दे दे, खंड (ङ) के अधीन नई उद्घोषणा की जाएगी । विक्रय उस तारीख से, जिसको उद्घोषणा की सूचना वसूली अधिकारी के कार्यालय में लगाई गई थी, गणना करके कम से कम तीस दिन के अवसान के पश्चात किया जाएगा । विक्रय का समय और स्थान वह ग्राम होगा जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति स्थित है या उस ग्राम से लगा सार्वजनिक समागम का ऐसा प्रमुख स्थान होगा जिसे वसूली अधिकारी नियत करे :

परन्तु यह भी कि ऐसे मामलों में जहां संबंधित अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण विल्लंगम प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता, वहां विल्लंगम प्रमाणपत्र के स्थान पर ग्राम के

पटवारी से या उस तत्स्थानी अधिकारी से, जिसे ऐसे विल्लंगम के संबंध में जानकारी है, एक शपथपत्र जो रजिस्ट्रीकरण विभाग से इस प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित हो कि संबंधित अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण विल्लंगम प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता, स्वीकार किया जाएगा ।

(छ) स्थावर सम्पत्ति की कीमत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर धनराशि का निक्षेप क्रेता द्वारा विक्रय अधिकारी को क्रय के समय किया जाएगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर उस संपति का तत्क्षण पुनः विक्रय किया जाएगा :

परन्तु जहां डिक्रीधारक क्रेता है और क्रय धन को खंड(ट) के अधीन मुजरा करने का हकदार है, वहां विक्रय अधिकारी इस खंड की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकेगा ।

(ज) क्रय धन की शेष राशि और विक्रय प्रमाण-पत्र के लिए साधारण स्टाम्प के लिए अपेक्षित रकम का संदाय विक्रय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा :

परन्तु स्टाम्प के खर्चों का संदाय करने के लिए समय, अच्छे और पर्याप्त कारणों से विक्रय की तारीख से तीस दिन तक के लिए वसूली अधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन संदत्त की जाने वाली रकम की गणना करने में क्रेता किसी भी ऐसे मुजरा का फायदा उठा सकेगा जिसका वह खंड (ट) के अधीन हकदार हो ।

(झ) खंड(ज) में वर्णित अवधि के भीतर संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर निक्षेप, यदि वसूली अधिकारी ठीक समझे तो विक्रय के व्ययों को काटने के पश्चात केन्द्रीय सरकार को समपहृत किया जा सकेगा और उस संपत्ति पर या जिस राशि के लिए उसका तत्पश्चात विक्रय किया जाए उसके किसी भाग पर व्यतिक्रम करने वाले क्रेता के सभी दावे समपहृत हो जाएंगे ।

(ञ) स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक पुनः विक्रय, जो खंड (ज) में वर्णित रकम का संदाय उस अवधि के भीतर करने में जो ऐसे संदाय के लिए अनुज्ञात है, व्यतिक्रम के कारण होना हो, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए जो विक्रय के लिए इसमें इसके पूर्व विहित की गई है, नई उद्घोषणा निकालने के पश्चात किया जाएगा ।

(ट) जहां डिक्रीधारक सम्पत्ति का क्रय करता है, वहां क्रय धन और डिक्री मद्धे शोध्य राशि एक दूसरे के विरुद्ध मुजरा की जा सकेगी और विक्रय अधिकारी तदनुसार डिक्री की पूर्णतः या भागतः तुष्टि की प्रविष्टि करेगा ।

(12) जहां विक्रय के लिए नियत तारीख से पूर्व व्यतिक्रमी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या जिस संपत्ति का विक्रय चाहा गया है, उसमें हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति ब्याज, भत्ते और संपत्ति को विक्रय में लाने के लिए हुए अन्य व्ययों सहित, जिसके अंतर्गत कुर्की, यदि कोई है, का व्यय भी है, संपूर्ण शोध्य राशि का, संदाय करता है, वहां विक्रय अधिकारी जहां संपत्ति की कुर्की कर ली गई हो, कुर्की आदेश को रद्द करने के पश्चात संपत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा ।

(13) (क) जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय अधिकारी द्वारा विक्रय किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विक्रय से पूर्व अर्जित हक के आधार पर या तो ऐसी संपत्ति का स्वामी है या उसमें कोई हित रखता है,

(i) क्रय धन के पांच प्रतिशत के बराबर रकम क्रेता को संदत्त किए जाने के लिए, और

(ii) विक्रय की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट ऐसी बकाया रकम, जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया गया था, उस पर ब्याज और कुर्की, यदि कोई हो, और विक्रय के व्यय तथा ऐसी रकम की बाबत देय अन्य खर्च सहित, जिसमें से यह रकम जो ऐसी उद्घोषणा की तारीख से लेकर तब तक डिक्रीधारक को प्राप्त हो चुकी हो, घटाकर वसूली अधिकारी के पास निक्षिप्त करने पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ख) यदि ऐसा निक्षेप और आवेदन विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाता है तो वसूली अधिकारी विक्रय को अपास्त करते हुए आदेश पारित करेगा और क्रेता को आवेदक द्वारा निक्षिप्त पांच प्रतिशत सहित क्रय धन का, जहां तक उसका निक्षेप किया गया है, प्रतिसंदाय करेगा;

परन्तु यदि इस उपनियम के अधीन एक से अधिक व्यक्ति ने निक्षेप और आवेदन किया है तो उस निक्षेपक का आवेदन स्वीकार किया जाएगा जिसने विक्रय को अपास्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को सबसे पहले आवेदन किया था ।

(ग) यदि कोई व्यक्ति स्थावर संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने के लिए उपनियम (14) के अधीन आवेदन करता है तो वह इस उपनियम के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

(14) (i) स्थावर संपत्ति के विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय डिक्रीधारक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो आस्तियों के आनुपातिक वितरण में अंश पाने का हकदार है या जिसके हित विक्रय के द्वारा प्रभावित हुए हैं, विक्रय को उसके प्रकाशन या संचालन में हुई तात्विक अनियमितता या भूल या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए वसूली अधिकारी से आवेदन कर सकेगा :

परन्तु कोई भी विक्रय तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वसूली अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी अनियमितता, भूल या कपट के कारण आवेदक को सारवान क्षति हुई है ।

(ii) यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो वसूली अधिकारी विक्रय को अपास्त कर देगा और फिर से विक्रय के लिए निदेश दे सकेगा ।

(iii) यदि विक्रय की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया जाता है या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और वह अनुज्ञात नहीं किया गया है तो वसूली अधिकारी विक्रय को पुष्ट करने वाला आदेश करेगा :

परन्तु यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि विक्रय को इस बात के होते हुए भी कि ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया है या किए गए और अस्वीकार कर दिए गए आवेदन में अधिकथित आधारों से भिन्न आधारों पर अपास्त कर दिया जाना चाहिए तो वह अपने कारण लेखबद्ध करने के पश्चात विक्रय को अपास्त कर सकेगा ।

(iv) जब कभी किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय की इस प्रकार पुष्टि नहीं की जाती है या वह अपास्त कर दिया जाता है तो, यथास्थिति, निक्षेप या क्रय धन क्रेता को वापस कर दिया जाएगा।

(v) किसी ऐसे विक्रय की पुष्टि के पश्चात वसूली अधिकारी क्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र देगा जिस पर उसकी मुद्रा और हस्ताक्षर होंगे और ऐसे प्रमाणपत्र में विक्रीत संपत्ति और क्रेता का नाम कथित होगा और यह उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों में, जहां इसे साबित करना आवश्यक हो, क्रय के तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा और वसूली अधिकारी की मुद्रा या उसके हस्ताक्षर को साबित करना तब आवश्यक होगा जब उस प्राधिकारी के पास जिसके समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया है, उसकी असलियत के विषय में संदेह होने का कारण हो ।

(vi) इस उपनियम के अधीन किया गया आदेश अन्तिम होगा और किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा ।

(15) जहां स्थावर संपत्ति के किसी विधिपूर्ण क्रेता का क्रय की गई स्थावर संपत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपनी ओर से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए सद्भावपूर्वक दावा करने वाले व्यक्ति (जो निर्णीत ऋणी नहीं है) से भिन्न है, प्रतिरोध किया जाता है या उसे रोका जाता है, वहां सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय आवेदन पर और उपनियम (14) द्वारा उपबंधित विक्रय प्रमाणपत्र के पेश करने पर ऐसे क्रेता को कब्जा दिलाने के प्रयोजन के लिए उचित आदेशिका उसी रीति से निकलवाएगा मानो क्रय की गई स्थावर संपत्ति की क्रेता को न्यायालय के विनिश्चय द्वारा डिक्री की गई हो ।

(16) यह विक्रय अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह निर्णीत ऋणी की संपूर्ण स्थावर संपत्ति या उसके किसी भाग का शोध्य धन के उन्मोचन में विक्रय कर दे:

परन्तु जहां तक हो सके स्थावर संपत्ति के उतने से अधिक भाग या खंड का विक्रय नहीं किया जाएगा जितना ब्याज सहित शोध्य धन और कुर्की और विक्रय के व्यय के उन्मोचन के लिए पर्याप्त हो ।

(17) इन नियमों के अधीन सूचना या अन्य आदेशिका की तामील करने में नियोजित व्यक्ति ऐसी दरों से बट्टा के हकदार होंगे जो वसूली अधिकारी समय-समय पर नियत करे।

(18) जहां इस नियम के अधीन जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय या स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय या कुर्की के बिना विक्रय के संबंध में उपगत खर्च और प्रभार, यथास्थिति, निर्णीत ऋणी द्वारा संदत्त धनराशि या विक्रीत सम्पत्ति के विक्रय आगम से लागत जमा राशि अधिक है तो यथास्थिति, बाकी रकम डिक्रीधारक को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(19) ऐसे किसी शोध्य धन, जिसकी वसूली के लिए इस नियम के अधीन आवेदन किया गया है, के मद्दे संदाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस रकम के लिए विक्रय अधिकारी द्वारा या वसूली अधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस रकम के लिए रसीद का हकदार होगा ; ऐसी रसीद में संदाय करने वाले व्यक्ति का नाम और वह विषय वस्तु, जिसकी बाबत संदाय किया गया है, कथित होगी ।

(20)(क) जहां इस नियम के अधीन कुर्क की गई सम्पत्ति पर कोई दावा या उसकी कुर्की के बारे में कोई आक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि ऐसी सम्पत्ति ऐसे कुर्क किए जाने के दायित्व

के अधीन नहीं है, वहां विक्रय अधिकारी ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और उसका गुणागुण के आधार पर निपटान करेगाः

परन्तु ऐसा अन्वेषण तब नहीं किया जाएगा जब विक्रय अधिकारी यह समझता है कि ऐसा दावा या आक्षेप तुच्छ है ।

(ख) जहां वह सम्पत्ति, जिसके बारे में दावा या आक्षेप किया गया है, विक्रय के लिए विज्ञापित की जा चुकी है, वहां विक्रय अधिकारी दावे या आक्षेप के अन्वेषण तक के लिए विक्रय को मुल्तवी कर सकेगा ।

(ग) जहां कोई दावा या आक्षेप किया जाता है, वहां वह पक्षकार, जिसके विरूद्ध कोई आदेश किया जाता है, उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए, जिसके लिए वह विवादग्रस्त सम्पत्ति में दावा करता है, वाद संस्थित कर सकेगा, किन्तु ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए आदेश निश्चायक होगा ।

(21) (i) क्रेता के व्यतिक्रम के कारण उपनियम (11) के खंड (ञ) के अधीन किए गए पुनर्विक्रय में कीमत की जो कमी हो जाए, और ऐसे पुनर्विक्रय में हुए सब व्यय विक्रय-अधिकारी या वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे और वह व्यतिक्रम करने वाले क्रेता से या तो डिक्रीधारक या निर्णीत ऋणी की प्रेरणा पर इस नियम के उपबंधों के अधीन वसूलीय होंगे । ऐसी वसूली के आनुषंगिक खर्च, यदि कोई हों, व्यतिक्रम करने वाला क्रेता वहन करेगा ।

(ii) जहां सम्पत्ति का दूसरी बार विक्रय उसके पहली बार विक्रय से अधिक कीमत पर किया गया है, वहां पहली बार विक्रय के व्यतिक्रमी क्रेता का अंतर या वृद्धि पर कोई दावा नहीं होगा ।

(22) जहां कोई सम्पत्ति किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क कर ली गई है किन्तु डिक्रीधारक के व्यतिक्रम के कारण वसूली अधिकारी निष्पादन के आवेदन पर आगे कार्यवाही करने में असमर्थ है, वहां वह या तो आवेदन को खारिज कर देगा या किसी पर्याप्त कारण से कार्यवाही को किसी अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर देगा । ऐसे आवेदन के खारिज किये जाने पर कुर्की समाप्त हो जाएगी ।

(23) जहां आस्तियां विक्रय अधिकारी द्वारा धारित हैं और ऐसी आस्तियों की अभिप्राप्ति से पूर्व ऐसी डिक्री के, जो एक ही व्यतिक्रमी के विरूद्ध है, निष्पादन के लिए आवेदन के अनुसरण में मांग

सूचना एक से अधिक डिक्रीधारकों से प्राप्त हुई है और डिक्रीधारकों ने तुष्टि अभिप्राप्त नहीं की है, वहां वसूली के खर्चों को काटने के पश्चात आस्तियां विक्रय अधिकारी द्वारा ऐसे सभी डिक्रीधारकों के बीच सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 73 में उपबंधित रीति से आनुपातिक रूप में वितरित की जाएंगी ।

(24) जहां किसी व्यतिक्रमी की डिक्री की पूर्णतः तुष्टि से पहले मृत्यु हो जाती है, वहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध किया जा सकेगा और तदुपरि इस नियम के सभी उपबंध, इस उपनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ऐसे लागू होगा मानो ऐसा विधिक प्रतिनिधि निर्णीत ऋणी है जहां डिक्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध निष्पादित की जाती है, वहां वह मृतक की सम्पत्ति के उस विस्तार तक दायी होगा जिस तक सम्पत्ति उसके पास आती है और जिसका सम्यक रूप से व्ययन नहीं किया गया है ; और डिक्री का निष्पादन करने वाला वसूली अधिकारी ऐसे दायित्व का अभिनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या डिक्रीधारक के आवेदन पर ऐसे विधिक प्रतिनिधि को ऐसे लेखे जो वह ठीक समझे, प्रस्तुत करने के लिए विवश कर सकेगा ।

38. निरसन और व्यावृत्ति

(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निदेश और प्रबंध, विवादों का निपटारा, अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1985 और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्ति और निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा, परिसमापन तथा डिक्रियां, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों में किसी नियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, जब तक कि ऐसी कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

1 बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड के निर्वाचनों के संचालन की बाबत प्रक्रिया- (क) पदस्थ निदेशक बोर्ड अपनी पदावधि की समाप्ति की तारीख से कम से कम ठीक साठ दिन पहले अपना अधिवेशन करेगा और एक संकल्प द्वारा अपने उत्तरवर्ती बोर्ड के निर्वाचन के संचालन के लिए साधारण निकाय का अधिवेशन आयोजित करने की तारीख, समय और स्थान अवधारित करेगा । यह उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को भी लागू होगा, जो धारा 123 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए प्रशासक के भारसाधन में है । इस बैठक में निदेशक बोर्ड एक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति भी करेगा।

(ख) पैरा (क) में निर्दिष्ट विनिश्चय की एक प्रति तुरन्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।

(ग) पैरा (क) के अधीन नियुक्त रिटर्निंग आफिसर,इसके शीघ्र पश्चात, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को साधारण अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की बाबत स्थानीय वितरण द्वारा या डाक प्रमाण पत्र के अधीन संसूचित करेगा । जहां अन्य सहकारी सोसाइटियां या बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां सदस्य हैं, वहां रिटर्निंग आफिसर ऐसी सोसाइटियों से अपने अध्यक्ष या सभापति या मुख्य कार्यपालक ऐसी सहकारी सोसाइटी या अन्य ,बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का सम्यक् रूप से प्राधिकृत सदस्य का नाम धारा 38 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रतिनिधि के रूप में, (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिनिधि कहा गया है) तथा सोसाइटी के बोर्ड के संकल्प और अध्यक्ष या सभापति या मुख्य कार्यपालक या बोर्ड का सम्यक् रूप से प्राधिकृत सदस्य के सम्यक् रूप से सत्यापित और सोसाइटी की मुद्रायुक्त हस्ताक्षरों के नमूने भेजने की मांग करेगा जिससे कि वे साधारण अधिवेशन के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम ठीक इक्कीस दिन पूर्व उसके पास पहुंच जाएं । यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी या अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई बोर्ड नहीं है तो उसका प्रशासक, या यदि एक से अधिक प्रशासक हैं, तो सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रशासक वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लिखित में और अपने हस्ताक्षर से रिटर्निंग अफिसर को साधारण अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कम से कम ठीक इक्कीस दिन पूर्व यह संसूचित करेगा कि साधारण अधिवेशन में वह या मुख्य कार्यपालक ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करेगा । यदि नियत तारीख तक, प्रत्यायोजित व्यक्ति का नाम सूचित करते हुए ऐसा कोई संकल्प या संसूचना प्राप्त नहीं

होती है या जहां प्रत्यायोजित व्यक्ति के नाम में किसी परिवर्तन की कोई संसूचना ऐसी तारीख के पश्चात प्राप्त होती है तो वह सदस्य सोसाइटियों के सदस्यों या प्रतिनिधियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे प्रत्येक साधारण अधिवेशन के लिए जिसमें निर्वाचन आयोजित किए जाएंगे, नया संकल्प अपेक्षित होगा ।

(घ) पदस्थ निदेशक बोर्ड या प्रशासक का, जैसी भी स्थिति हो, यह कर्तव्य होगा कि वह सदस्यों के रजिस्टर को और ऐसे अन्य रजिस्टरों को जिनकी रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपेक्षा की जाए, अद्यतन रखे और निर्वाचन के प्रयोजन के लिए साधारण अधिवेशन के लिए नियत की गई तारीख से तीस दिन पहले ऐसे अभिलेखों, रजिस्टर या रजिस्टरों को रिटर्निंग आफिसर को सौंप दें ।

(ङ) निर्वाचन, इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए सोसाइटी के ऐसे साधारण अधिवेशन में किया जाएगा जिसकी सदस्यों को कम से कम चौदह दिन की सूचना दी गई हो । ऐसे निर्वाचन तब होंगे जब कार्यसूची में सम्मिलित सभी अन्य विषयों पर विचार कर लिया जाए । निर्वाचनों के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(च) साधारण अधिवेशन की सूचना सदस्यों को निम्नलिखित रीतियों में से किसी भी रीति से भेजी जाएगी, अर्थात् ; -

(i) स्थानीय वितरण द्वारा; या
(ii) डाक प्रमाण पत्र के अधीन ; या
(iii) व्यापक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा ।

(छ) साधारण अधिवेशन की सूचना बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और उसकी शाखाओं, यदि कोई हैं, के सूचना पट्ट पर भी चिपकाई जाएगी । सूचना में निम्नलिखित के बारे में जानकारी होगी :-

(i) निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या;
(ii) उस निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार (जो इन उपविधियों में विनिर्दिष्ट है), जिससे सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है ;
(iii) बोर्ड की सदस्यता के लिए उपविधियों में विनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी अर्हताएं, यदि कोई हैं ;

(iv) रिटर्निंग आफिसर का नाम, वह तारीख, स्थान और अवधि जिसको, जहां और जिसके बीच सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र फाइल किए जाएंगे । यह तारीख निर्वाचन के लिए नियत की गई तारीख से ठीक एक दिन से कम पूर्व की नहीं होगी या यदि वह दिन अवकाश का दिन है तो उसके पूर्ववर्ती दिन होगी जो लोक अवकाश का दिन न हो ।

स्पष्टीकरण : इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए "लोक अवकाश दिन" पद से वह दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के अधीन लोक अवकाश दिन घोषित किया गया है या वह दिन अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यालयों के लिए अवकाश दिन के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(v) वह तारीख, जिसको और वह समय व स्थान जिस पर नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएंगी ;

(vi) वह तारीख और समय जिसको, और वह स्थान जिस पर, तथा वह अवधि जिसके बीच, मतदान होगा ।

2. **सदस्यों/प्रतिनिधियों की सूची की तैयारी** - (क) रिटर्निंग आफिसर मतदान के लिए नियत तारीख के 30 दिन पूर्व उस तारीख को मत देने के पात्र सदस्यों की एक सूची तैयार करेगा और सूची की प्रतियां सोसाइटी के कारबार के मुख्य स्थान और उसकी सभी शाखाओं, यदि कोई हों,के सूचना पट्टों पर चिपकाकर निर्वाचन के लिए नियत तारीख के पन्द्रह दिन से अन्यून पूर्व, प्रकाशित की जाएगी। सूची में यह विनिर्दिष्ट होगा :-

(i) सदस्य की प्रवेश संख्या और उसका नाम,पिता या पति का नाम, और व्यष्टिक सदस्य की दशा में, ऐसे सदस्य का पता; तथा

(ii) प्रवेश संख्या, सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रस्तावित प्रतिनिधि का नाम, यदि सोसाइटी का सदस्य है ।

(iii) प्रवेश संख्या, सोसाइटी का नाम, प्रतिनिधि का नाम तथा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, सदस्य सोसाइटी के मामले में जिसका प्रतिनिधित्व किया जाना प्रस्तावित है, प्रवेश संख्या, प्रतिनिधि का नाम और निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जहां धारा 38 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक लघु निकाय का गठन किया गया है।

(ख) सोसाइटी सदस्य को, ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,सूची की प्रति देगी । जहां कोई फीस विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो,वहां सोसाइटी की उपविधियों में यथा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी सूची दस रुपए की रकम का संदाय करने पर देगा ।

(ग) रिटर्निंग आफिसर एक निर्वाचन कार्यक्रम भी तैयार करेगा जिसमें नामांकन पत्रों के प्राप्ति की तारीख और समय, नामांकन-पत्रों की संवीक्षा, नामांकन को वापस लेने, मतदान, यदि अपेक्षित हो, और परिणाम की घोषणा से संबंधित बातें विनिर्दिष्ट होंगी । निर्वाचन की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम को सोसाइटी के सूचना पट्ट पर दर्शाया जाएगा और स्थानीय समाचार पत्र में इसे प्रकाशित किया जाएगा ।

3. **अभ्यर्थियों का नामांकन** --(क) निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन, नामांकन प्ररूप 3 में किया जाएगा जो रिटर्निंग आफिसर या इस, निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी सदस्य को आवेदन करने पर निःशुल्क दिया जाएगा ।

(ख) प्रत्येक नामांकन पत्र पर ऐसे दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिनके नाम सदस्यों या प्रतिनिधियों की सूची में सम्मिलित हैं । सदस्यों में से एक प्ररूप पर नामांकन के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेगा और दूसरा समर्थक के रूप में । नामांकन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा भी होगी जिसमें निर्वाचन के लिए खड़े होने की उसकी रजामंदी अभिव्यक्त की गई हो ।

(ग) प्रत्येक नामांकन पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक से, पावती सहित, रिटर्निंग आफिसर को, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह उसके पास निर्वाचन कार्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट तारीख और समय से पहले पहुंच सके । रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी जो नामांकन पत्र प्राप्त करता है, नामांकन पत्र पर उसका क्रम संख्यांक दर्ज करेगा और वह तारीख और समय, जब नामांकन पत्र उससे प्राप्त किया है, प्रमाणित करेगा और नामांकन पत्र की प्राप्ति स्वीकृति तत्काल लिखित में देगा, यदि नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है और उस पर सोसाइटी की सील भी लगी होगी । रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्र प्राप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने पर उसके द्वारा प्राप्त नामांकन-पत्रों की सूची तैयार करेगा और सोसाइटी के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । कोई भी नामांकन पत्र जो उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय पर या

उसके पहले परिदत्त नहीं किया जाता या प्राप्त नहीं होता, रद्द किया जाएगा ।

(घ) किसी व्यक्ति को, बोर्ड में किसी पद को भरने के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा ; यदि --

(i) वह मतदान के लिए पात्र नहीं है ;

(ii) वह अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन सदस्य या प्रतिनिधि या बोर्ड का सदस्य होने के लिए निरर्हित है; और

(iii) उसके पास बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएं नहीं हैं ।

4. **नामांकन पत्रों की संवीक्षा** :- (क) (i) रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन को, नियत समय पर नामांकन पत्रों की संवीक्षा आरंभ करेगा । अभ्यर्थी या प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक उस समय और स्थान पर उपस्थित रह सकता है जब नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाती है।

(ii) रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्र की परीक्षा करेगा और उन आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो नामांकन की बाबत किसी अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा किए जाते हैं और ऐसे आक्षेप पर, या स्वप्रेरणा से, तथा ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझता है, किसी नामांकन पत्र को या तो स्वीकार कर सकता है या रद्द कर सकता है ;

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नामांकन पत्र केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसमें उसके नाम का या उसके प्रस्तावकर्ता या समर्थक के नाम का वर्णन या अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या समर्थक से संबंधित कोई अन्य विशिष्टियां जैसी पैरा 4 (क) में निर्दिष्ट सदस्यों की सूची में यथा प्रविष्टि के अनुसार असत्य है यदि उस अभ्यर्थी, प्रस्तावक की या समर्थक की पहचान उचित संदेह के परे निश्चित हो जाती है ।

(iii) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार या रद्द करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामांकन पत्र रद्द किया जाता है तो वह ऐसे रद्दकरण के अपने आधारों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में दर्ज करेगा ।

(iv) रिटर्निंग आफिसर कार्यवाहियों का कोई भी स्थगन अनुज्ञात नहीं करेगा सिवाय तब जब कार्यवाहियों में बलवे या दंगे के कारण, या ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण से परे है, कोई विघ्न या व्यवधान पड़ जाता है ।

(v) रिटर्निंग आफिसर द्वारा यथा विनिश्चित विधि मान्य नामांकनपत्रों की सूची सोसाइटी के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जाएगी । सूची में अभ्यर्थियों के वर्णानुक्रम से नाम और पते जैसे कि नामांकन पत्र में दिए गए हों, उसी दिन जिस दिन नामांकन पत्र की संवीक्षा पूरी होती है, अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाएंगे ।

(ख) कोई भी अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर से, लिखित सूचना द्वारा, जो उसके द्वारा स्वयं या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय किन्तु निर्वाचन कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट नाम वापसी की तारीख और समय से पूर्व परिदत्त की जाती है, अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है । अभ्यर्थिता, वापसी की सूचना देने के पश्चात वापस नहीं ली जा सकेगी ।

5. **मतदान** -(क) यदि किसी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जिसके लिए निर्वाचन आयोजित किया जाना है, उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके नामांकन पत्र विधिमान्य घोषित किए गए हैं, उस क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नहीं हैं, तो रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बुलाए गए साधारण अधिवेशन में उन्हें बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप में निर्वाचित घोषित करेगा । यदि उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके नामांकन-पत्र विधिमान्य हैं, किसी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित की जाने वाली संख्या से अधिक हैं तो रिटर्निंग आफिसर इस प्रयोजन के लिए नियत की गई तारीख को और समय पर मतदान के लिए व्यवस्था करेगा । रिटर्निंग आफिसर उतने मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह मतदान कराने के लिए आवश्यक हो ।

(ख) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 4 में पत्र द्वारा मतदान के स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, मतदाताओं की पहचान हेतु और मतदान पर ध्यान रखने के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है । ऐसे पत्र में संबंधित अभिकर्ता की लिखित सहमति होनी चाहिए ।

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर, जहां निर्वाचन का संचालन किया जाना है, मतदान की संयाचना प्रतिषिद्ध होगी ।

(घ) रिटर्निंग आफिसर मतदान के प्रारंभ से ठीक पूर्व, उन व्यक्तियों को जो उस समय उपस्थित हों, खाली मतदान पेटी को दिखाएगा और तब उसमें ताला लगाएगा और उस पर अपनी मुद्रा ऐसी रीति से लगाएगा जिससे कि मुद्रा को तोड़े बिना उसे खोलने से निवारित किया जा सके । अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता भी यदि वह ऐसी वांछा करता है तो, उस पर अपनी मुद्रा भी लगा सकता है ।

(ङ) ऐसे प्रत्येक सदस्य या प्रतिनिधि को, जो मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा करता है, एक मतदान पत्र दिया जाएगा जिसमें लड़ रहे अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम से सुविधानुसार या तो मुद्रित होंगे या टाइप या साइक्लोस्टाइल होंगें। मतदान पत्र पर सोसाइटी की मुद्रा लगी होगी और मतदान पत्र के पृष्ठ भाग पर रिटर्निंग आफिसर के आद्यक्षर होंगे तथा मतदाता के लिए उस व्यक्ति / व्यक्तियों के नाम या नामों के सामने, जिनके पक्ष में वह मत देना चाहता है, 'X' चिह्न लगाने के लिए एक स्तम्भ होगा ।

(च) प्रत्येक मतदान स्थान पर और यदि किसी स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक पृथक कक्ष होगा जिसमें सदस्य या प्रतिनिधि गोपनीय रूप से अपना मत दे सकें ।

(छ) प्रत्येक व्यक्ति जो मतदान करना चाहता है, मतदान स्थान में एक पहचान पत्र के साथ जो सोसाइटी द्वारा उसे दिया गया हो, प्रवेश करेगा । मतदान अधिकारी मतदान स्थान में मत देने के लिए पात्र सदस्यों या प्रतिनिधियों की सूची के प्रतिनिर्देश से,जो उसे दी गई हो, सदस्य से प्रश्न पूछकर उसकी पहचान करेगा । यदि सदस्य की पहचान के बारे में मतदान अधिकारी का समाधान हो जाता है और यदि मतदान स्थान पर उपस्थित किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा आक्षेप नहीं किया जाता है तो मतदान अधिकारी मतदान पत्र के साथ छिद्रित प्रतिपर्ण पर सदस्य या प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पश्चात उसे एक मतदान पत्र देगा । प्रतिपर्ण में मतदान पत्र की क्रम संख्या और अन्य ब्यौरें होंगे। ऐसा मतदान पत्र प्राप्त होने पर सदस्य इस प्रयोजन के लिए अलग बनाए गए मतदान कक्ष में जाएगा और, यथास्थिति, उस अभ्यर्थी यां उन अभ्यर्थियों के नामों के सामने जिनके पक्ष में वह मत देता है, 'X' का चिह्न लगाकर वह उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को दर्शाएगा तथा मतदान पत्र को मतदान पेटी में जो इस प्रयोजन के लिए रखी गई हो, अत्यन्त गोपनीयता के साथ डालेगा । यदि अंधेपन या अन्य शारीरिक

असमर्थता या अशिक्षित होने के कारण कोई सदस्य मतदान पत्र पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी और जहां कोई ऐसा मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, वहां रिटर्निंग आफिसर, उससे उस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम अभिनिश्चित करेगा जिनके पक्ष में वह मतदान करना चाहता है, उसकी ओर से 'X' चिह्न लगाएगा और मतदान पत्र को मतदान पेटी में डालेगा ।

(ज) (i) प्रत्येक सदस्य जिसका नाम मतदान अधिकारी को दी गई मत डालने के लिए पात्र सदस्यों/प्रतिनिधियों की सूची में दर्ज है, तब तक मतदान करने का हकदार है जब तक उसकी पहचान की बाबत अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा आक्षेप नहीं किया जाता है। यदि किसी सदस्य की पहचान के बारे में इस प्रकार आक्षेप किया जाता है या यदि मतदान अधिकारी को उचित संदेह है तो वह मामले को रिटर्निंग आफिसर को निर्दिष्ट करेगा जो संक्षिप्त जांच करेगा और सोसाइटी की पुस्तकों के प्रति निर्देश से उस प्रश्न का विनिश्चय करेगा ।

(ii) रिटर्निंग आफिसर किसी सदस्य की पहचान के बारे में अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी आक्षेप को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक वह व्यक्ति जो आक्षेप करता है, ऐसे प्रत्येक मत के लिए फीस के 5 रुपये (पांच रुपये) का नकद संदाय नहीं कर देता है । तत्पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर आक्षेप ग्रहण करेगा और उस सदस्य को जो मत देने के लिए आया है, यथास्थिति, अपना अंगूठा निशान या हस्ताक्षर, अपनी पहचान बताने वाली घोषणा पर लगाने के लिए कहेगा और यदि वह ऐसा करने से इंकार करता है तो सदस्य को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसके विपरीत यदि ऐसी संक्षिप्त जांच के परिणामस्वरूप सदस्य की पहचान रिटर्निंग आफिसर के समाधानप्रद रूप से साबित हो जाती है तो मतदान अधिकारी मतपत्र जारी करेगा और तब सदस्य को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी । ऐसे मामलों में संदत्त आक्षेप फीस समपहृत कर ली जाएगी । मतदान के अंत में, रिटर्निंग आफिसर संग्रह की गई आक्षेप फीस का उन व्यक्तियों को जिन्होंने आक्षेप किया है, वापस की गई फीस का और सोसाइटी के पक्ष में समपहृत की गई फीस का हिसाब देगा और प्रत्येक मामले में संक्षिप्त जांच के बाद किए गए अपने विनिश्चय की बाब्रत एक सक्षिप्त टिप्पण भी देगा ।

(झ) (अ) यदि मतदान के किसी प्रक्रम पर बलवे या दंगे के कारण कार्यवाहियों में कोई विघ्न या व्यवधान पड़ता है या ऐसे निर्वाचन में यदि किसी पर्याप्त कारण से मतदान कराना संभव नहीं है, तो रिटर्निंग आफिसर को, ऐसी कार्रवाई करने के लिए अपने

कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात मतदान रद्द करने की शक्ति होगी ।

(आ) जहां मतदान खंड (अ) के अधीन रद्द कर दिया जाता है या जहां मतदान पेटियों के नष्ट हो जाने या उनके गुम हो जाने के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतपत्रों की गणना असंभव हो जाती है वहां रिटर्निंग आफिसर सोसाइटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में ऐसी कार्रवाई के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात मतदान रद्द कर देगा ।

(इ) मतदान के लिए नियत समय के पश्चात किसी मतदाता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा ; किन्तु वह मतदाता जो मतदान की समय अवधि की समाप्ति के पूर्व उस परिसर में प्रवेश कर लेता है जहां मतदान पत्र जारी किए जा रहे हैं तो उसे मतदान पत्र जारी किया जाएगा और मतदान करने दिया जाएगा ।

(ट) मतपत्रों की गणना मतदान की समाप्ति के तुरन्त पश्चात की जाएगी । यदि यह रिटर्निंग आफिसर के नियंत्रण के परे किन्हीं कारणों से संभव नहीं है तो मतदान पेटियों को रिटर्निंग आफिसर और लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की मुद्रा से, यदि वे ऐसी वांछा करते हैं, तो, सीलबंद किया जाएगा, और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सोसाइटी में जमा कर दिया जाएगा । रिटर्निंग आफिसर तब उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के समक्ष वह समय और स्थान घोषित करेगा जब और जहां गणना आगे किसी दिन आरंभ की जाएगी और उसे लिखित में भी संसूचित करेगा । मतों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी । प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को गणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा । किन्तु गणना के समय किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की अनुपस्थिति से गणना या रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणामों की घोषणा निष्फल नहीं हो जाएगी ।

6. **साधारण** - (क) मतदान पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि - --

(i) उस पर कोई ऐसा चिह्न या लिखावट है जिससे मतदान करने वाले सदस्य की पहचान की जा सकती है ; या

(ii) उस पर सोसाइटी की मुद्रा या रिटर्निंग आफिसर के आद्यक्षर नहीं हैं ; या

(iii) उस पर मत अंकित करने वाला चिह्न ऐसी रीति से लगाया गया है जिसके कारण यह संदेहप्रद हो

जाता है कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में दिया गया है ; या

(iv) उसे इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है या बिगाड़ा गया है कि असली मत के रूप में उसकी पहचान निश्चित नहीं की जा सकती है।

(ख) यदि मतों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मतों की संख्या बराबर पाई जाती है और एक मत जोड़ देने से उन अभयर्थियों में से किसी को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभयर्थियों के बीच लाट द्वारा तुरन्त विनिश्चय करेगा और इस प्रकार से अग्रसर होगा मानो उस अभ्यर्थी ने जिसके पक्ष में लाट पड़ता है, अतिरिक्त मत प्राप्त किया था और उसे निर्वाचित घोषित करेगा ।

(ग) रिटर्निंग आफिसर मतों की गणना पूरी करने के पश्चात मतदान के परिणामों की एक विवरणी तैयार करेगा और तुरन्त परिणाम घोषित करेगा । रिटर्निंग आफिसर इसके तुरन्त पश्चात निर्वाचन की कार्यवाहियों की एक विस्तृत रिपोर्ट लेखबद्ध करेगा जो सोसाइटी के अभिलेखों का एक भाग होगी और सभी पर बाध्यकर होगी । रिटर्निंग आफिसर, आगे केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजे जाने के लिए तुरन्त सोसाइटी को मतदान के परिणामों की विवरणी की एक प्रति के साथ ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा । रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रस्तुत ऐसी रिपोर्ट और परिणामों की विवरणी सोसाइटी द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्रार को तुरन्त भेजी जाएगी।

7. **पदाधिकारियों का निर्वाचन** (1) जैसे ही बोर्ड के सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं रिटर्निंग आफिसर, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी सभापति या अध्यक्ष,उपसभापति या उपाध्यक्ष या सोसाइटी के अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों के, वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नवगठित बोर्ड का अधिवेशन बुलाएगा । बोर्ड का ऐसा अधिवेशन तब तक संचालित नहीं किया जाएगा जब तक उपविधियों के अनुसार नवगठित बोर्ड के सदस्यों की संख्या का बहुमत उपस्थित न हो ।

(2) रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रकार बुलाए गए अधिवेशन में पदाधिकारियों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए रिटर्निंग आफिसर अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा । बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के पदाधिाकारियों का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, तारीख, स्थान और समय जिसके दौरान सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र भरे जाएंगे, वह तारीख, स्थान और समय जिसकों

नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी, नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख और समय और वह तारीख, वह स्थान जिस पर, मतदान, यदि अपेक्षित हो, होगा का उल्लेख करते हुए, पदाधिकारियों के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित करेगा । रिटर्निंग आफिसर बोर्ड के सभी नवनिर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्यों को निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना देगा । नामांकनपत्र प्ररूप 5 में ऐसी बैठक में रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया जाएगा । रिटर्निंग आफिसर उन आक्षेपों, यदि कोई हों, के संबंध में विनिश्चिय करेगा जो किसी नामांकन पत्र के समय किए जाते हैं, और ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझता है, वैध नामांकन पत्रों के नामों की घोषणा करेगा ।

(4) यदि किसी ऐसे पद के लिए जिसके लिए निर्वाचन आयोजित किए जाने है, उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी बाबत विधिमान्य नामांकनों की घोषणा की गई है, उस पद के लिए निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नहीं है तो उन अभ्यर्थियों को, जिनकी बाबत विधिमान्य नामांकन घोषित किए गए हैं, उस पद के लिए निर्वाचित समझा जाएगा और रिटर्निंग आफिसर इस आशय की घोषणा करेगा। यदि उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी बाबत किसी पद के लिए विधिमान्य नामांकनों की घोषणा की गई है, निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक है तो रिटर्निंग आफिसर गुप्त मतदान द्वारा मतदान कराएगा । रिटर्निंग आफिसर तत्पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करेगा ।

(5) रिटर्निंग आफिसर इसके तुरन्त पश्चात् निर्वाचन की कार्यवाहियों की एक विस्तृत रिपोर्ट लेखबद्ध करेगा जो सोसाइटी के अभिलेखों का भाग होगी और सभी पर बाध्यकर होगी। रिटर्निंग आफिसर आगे केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजे जाने के लिए सोसाइटी को तुरन्त ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति और मतदान के परिणामों की विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करेगा । रिटर्निंग आफिसर द्वारा ऐसी रिपोर्ट और मतदान के परिणामों की विवरणी सोसाइटी द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्रार को तुरन्त भेजी जाएगी ।

(8) संचालित निर्वाचनों के अभिलेखों की अभिरक्षा --निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करने के पश्चात, रिटर्निंग आफिसर निदेशक बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों के निर्वाचन से संबंधित मतदान पत्रों और अभिलेखों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक को, सीलबंद लिफाफे में सौंप देगा । सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक उन्हें निर्वाचन की तारीख से छह मास की अवधि तक या ऐसे समय तक जब तक निर्वाचन की बाबत दाखिल किया गया, कोई विवाद, यदि कोई हो, का निपटारा नहीं कर दिया जाता, दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, सुरक्षित रूप से रखे जाएंगे और तत्पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे ।

प्ररूप-1

(नियम 3 का उपनियम (1) देखिए)

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

केन्द्रीय रजिस्ट्रार,
सहकारी सोसाइटी
नई दिल्ली ।

महोदय,

हम निम्नलिखित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक प्रस्ताव, नीचे उल्लिखित संलग्नकों के साथ प्रस्तुत करते हैं :

2. हम यह भी घोषणा करते हैं कि इसके साथ दी गई जानकारी, जिसके अन्तर्गत संलग्नकों में दी गई जानकारी भी है, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है :

(क) प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम ;

(ख) रजिस्टर किए जाने वाला मुख्यालय और उसका पता ;

(ग) प्रवर्तन क्षेत्र ;

(घ) मुख्य उद्देश्य ;

(ङ) सोसाइटी के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना आत्यन्तिक रूप से क्यों आवश्यक है ;

(च) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के संबंध में प्रमाण-पत्र ;

(छ) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपबन्धों के संबंध में प्रमाण-पत्र ;

(ज) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के संबंध में प्रमाण-पत्र ;

(झ) यदि सभी सदस्य व्यष्टि हैं तो प्रत्येक राज्य से उन व्यक्तियों की संख्या दीजिए जिन्होंने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं ;

राज्य का नाम ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं

(ञ) आगे पत्र व्यवहार के प्रयोजन के लिए आवेदक का नाम और पता : ----------

3. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं

(क) ---------- बैंक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पक्ष में उस बैंक में जमा अतिशेष का उल्लेख किया गया है ।

(ख) एक स्कीम जिसमें यह स्पष्ट करते हुए ब्यौरे दर्शाए गए हैं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कार्यकरण किस प्रकार आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा । हम सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उपविधियों की चार प्रतियां साथ में भेज रहे हैं ।

4. निम्नलिखित व्यक्ति उपविधियों में हस्ताक्षर करने के लिए और उनमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत है ।

5. आवेदकों की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

क्रम सं0	नाम	यदि किसी निगमित निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उस संस्था का नाम*	यदि आवेदक व्यष्टि है	आयु	राष्ट्रिकता	वृत्ति
1	2	3	4	4(क)	4(ख)	4(ग)

राज्य का नाम	पता	शेयरपूंजी में अभिदाय की रकम	सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रतिनिधि की दशा में, क्या वह उस सोसाइटी का अध्यक्ष /सभापति या मुख्य कार्यपालक है	हस्ताक्षर
5	6	7	8	9

कार्यालय के प्रयोग के लिए

केन्द्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में ---------- द्वारा ---------- को रजिस्ट्री डाक से, या श्री ---------- से सीधा प्राप्त किया । आवेदन रजिस्टर में क्रम सं0 पर ----------पर दर्ज किया ।

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

---------- सोसाइटी लिमिटेड (प्रस्तावित) के रजिस्ट्रीकरण के लिए तारीख ---------- को रजिस्ट्रीकरण प्रस्ताव सं0 ----------ऊपर निर्दिष्ट संलग्नकों सहित ---------- से डाक से / सीधे प्राप्त किया ।

केन्द्रीय रजिस्ट्रार
हस्ताक्षर और स्टाम्प

स्थान :

तारीख :

* यदि किसी सहकारी या किसी अन्य सहकारी निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो संकल्प की प्रति या सक्षम प्राधिकारी का प्राधिकार पत्र, जिसके द्वारा व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, संलग्न करें ।

* रिक्त स्थान भरिए ।

प्ररूप -2

(नियम 4का उपनियम (1)देखिए)

बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों का रजिस्टर

क्रम सं0	प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम और मुख्य संप्रवर्तक	पूरा पता	प्राप्त करने की तारीख और किस प्रकार प्राप्त हुआ	अभिस्वीकृति की तारीख और निर्देश संख्या
1	2	3	4	5

सं0 और तारीख जिसको अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है	विहित तारीख जिसको जानकारी मांगी गई है ।	तारीख जिसको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई	यदि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण 6 मास के भीतर नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की संख्या और तारीख यदि कोई रिपोर्ट भेजी गई है ।	रजिस्ट्रीकरण के आदेश की संख्या और तारीख	रजिस्ट्रीकरण से इंकार
6	7	8	9	10	11

आद्यक्षर	टिप्पणियां	
12	13	

प्ररूप -3

नामांकन पत्र - प्ररूप

(अनुसूची का पैरा -3 (क) देखिए)

1. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम और पता :
2. व्यष्टि सदस्य की दशा में अभ्यर्थी का नाम या प्रतिनिधि और उस सदस्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है ।
3. सदस्यों के रजिस्टर में क्रम सं0 :
4. पिता या पति का नाम (व्यष्टि सदस्य की दशा में) :
5. पता :
6. यदि प्रस्तावक व्यष्टि सदस्य है तो प्रस्तावक का नाम और यदि प्रस्तावक सोसाइटी का प्रतिनिधि है तो सोसाइटी और प्रतिनिधि के नाम :
7. सदस्यों के रजिस्टर में प्रस्तावक की क्रम सं0:
8. प्रस्तावक के हस्ताक्षर
9. व्यष्टि-सदस्य की दशा में समर्थक का नाम और यदि समर्थक सोसाइटी का प्रतिनिधि है तो सोसाइटी तथा प्रतिनिधि का नाम :
10. सदस्यों के रजिस्टर में समर्थक की क्रम सं0:
11. समर्थक के हस्ताक्षर :

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मैं निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हूं और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं अधिनियम, नियमों और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार ----------बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड की सदस्यता से निरर्हित नहीं हूं ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

रिटर्निंग आफिसर द्वारा पृष्ठांकन

यह नामांकन पत्र ---------- पर मेरे समक्ष ---------- द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है । ---------- पर ---------- बजे रजिस्ट्री डाक से प्राप्त हुआ है ।

स्थान :

तारीखः

रिटर्निंग आफिसर के या उसके द्वारा

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप -4

(अनुसूची का पैरा 5 (ख) देखिए)

मैं, ----------सुपुत्र/पति/पत्नी ---------- (सोसाइटी का नाम) ---------- ---------- का सदस्य निदेशक बोर्ड के सदस्य / पदाधिकारी के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, ---------- को सम्पन्न होने वाले (समिति का नाम) ---------- के चुनाव में निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने निर्वाचन अभिकर्ता/ गणन अभिकर्ता (काऊंटिंग एजेंट) के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं ।

(तारीख विनिर्दिष्ट करें)

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर

मैं, ----------सुपुत्र/पति/पत्नी ----------
पता, ---------- निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता (काऊंटिंग एजेंट) के रूप में काम करने का इच्छुक हूं ।

अभिकर्ता (एजेंट) का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप 5

(अनुसूची का पैरा 7 का उप पैरा (3) देखिए)

1. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम और पता :
2. पद जिसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं :
3. व्यष्टि सदस्य की दशा में अभ्यर्थी का नाम या प्रतिनिधि और उस सदस्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है :
4. सदस्यों के रजिस्टर में क्रम सं0 :
5. पिता या पति का नाम (व्यष्टि सदस्य की दशा में):
6. पता :
7. यदि प्रस्तावक व्यष्टि सदस्य है तो प्रस्तावक का नाम और यदि प्रस्तावक सोसाइटी का प्रतिनिधि है तो सोसाइटी और प्रतिनिधि के नाम
8. सदस्यों के रजिस्टर में प्रस्तावक की क्रम सं0:
9. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :
10. व्यष्टि सदस्य की दशा में समर्थक का नाम और यदि समर्थक सोसाइटी का प्रतिनिधि है तो सोसाइटी तथा प्रतिनिधि का नाम :
11. सदस्यों के रजिस्टर में समर्थक की क्रम सं0 :
12. समर्थक के हस्ताक्षर :

रिटर्निंग आफिसर द्वारा पृष्ठांकन

यह नामांकन पत्र ---------- पर मेरे समक्ष ---------- द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है । ---------- पर ---------- बजे रजिस्ट्री डाक से प्राप्त हुआ है ।

स्थान :
तारीख:

रिटर्निंग आफिसर के या उसके द्वारा
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

[फा. सं. एल-11012/2/2000-एल एंड एम]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2003

S.O. 216(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by the Central Registrar under Section 84 of the Act shall also be exercisable by Registrar of Co-operative Societies of the States/UTs in respect of the societies located in their respective jurisdiction, subject to the following guidelines and conditions, that :—

1. Such powers in relation to a National Co-operative Society shall not be exercisable by these officers.
2. The officers shall comply with the directions (other than court cases) as may be given by the Central Registrar, appointed under Sub-section (1) of Section 4 of this Act, from time to time.
3. Appointment of arbitrators by the State Registrar of co-operative societies shall be subject to following guidelines :—

   (a) In case of disputes relating to organizational and legal matters, arbitrators should either be a practicing Advocate or retired member of Judicial/Civil services or officers at least of the level of Deputy Registrar and above of co-operative department retired not more than two years prior to the date of appointment.

   (b) In case of disputes relating to financial and banking matters including recovery disputes, persons having financial and accounting background like Chartered Accountants/ICWAs/retired bank officers (retired not earlier than two years) may also be considered for appointment in addition to the persons listed in clause 3(a).

4. The list of approved arbitrators shall be submitted to the Central Registrar within 15 days of approval. The updated list of all the approved arbitrators should be sent to the Central Registrar on quarterly basis.

[F. No. L-11012/3/2002-L&M]

K. S. BHORIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 2007/कार्तिक 24, 1929

No. 503] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2007/KARTIKA 24, 1929

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में,—

(i) नियम 11 के उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि ऐसा कोई सदस्य, केंद्रीय रजिस्ट्रार के निदेश पर दोनों बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की सदस्यता से हटाया गया है तो ऐसे किसी सदस्य के आवेदन पर ऐसी कोई प्राथमिक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने सदस्य के रूप में ग्रहण करने के लिए विचार कर सकेगी";

(ii) नियम 19 के उप-नियम (1) में परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) नियम 32 के उप-नियम (8) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु अपील प्राधिकारी, ऐसा आदेश, उन मामलों के सिवाय जहां किसी सक्षम न्यायालय से कोई आदेश, रोक या अवरोध या व्यादेश है, 180 दिन की अवधि के भीतर पारित करेगा";

(iv) नियम 33 के उप-नियम (5) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि अपील प्राधिकारी, ऐसा आदेश, उन मामलों के सिवाय जहां किसी सक्षम न्यायालय से कोई आदेश, रोक या अवरोध या व्यादेश है, 180 दिन की अवधि के भीतर पारित करेगा";

(v) नियम 36 के उप-नियम (1) में, "उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा" शब्दों के पश्चात् "जो

सहकारी सोसाइटियों के सहायक रजिस्ट्रार या उसके समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(vi) नियम 37 में,-

(क) उप-नियम (5) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(कक) उप-नियम (3) के अधीन वसूली अधिकारी द्वारा जारी मांग पत्र में, निर्णीत ऋणी का नाम, शोध्य रकम, जिसमें व्यय, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं, और उस व्यक्ति को, जिसको मांग पत्र दिया जाएगा, संदाय किया जाने वाला बट्टा, संदाय के लिए अनुज्ञात समय तथा असंदाय की दशा में कुर्क और विक्रय की जाने वाली संपत्तियों का विवरण, दिया जाएगा । मांग पत्र प्राप्त होने के पश्चात्, विक्रय अधिकारी, निर्णीत ऋणी पर मांगपत्र की तामील करेगा या करवाएगा । यदि निर्णीत ऋणी, अनुज्ञात समय के भीतर मांग पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय में असफल होता है'';

(ख) उप-नियम (8) के खंड (i) में, ''उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा'' शब्दों के पश्चात् ''जो किसी राज्य में सहकारी सोसाइटियों के सहायक रजिस्ट्रार की पंक्ति से नीचे का न हो या उसके समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा'', शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) उप-नियम (11) के खंड (ख) के परंतुक में, ''जहां विक्रय अधिकारी का'' शब्दों के पश्चात् ''लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से'', शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

3. अनुसूची के पैरा 1 में, उपपैरा (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''परंतु जहां किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की सदस्यता, एक हजार से अधिक है वहां रिटर्निंग आफिसर, जैसा समुचित समझे, ऐसी किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में मतदान केंद्रों का प्रबंध कर सकेगा । इन मतदान केंद्रों में डाले गए मतपत्रों की, साधारण सभा के अधिवेशन में निर्वाचन और घोषित किए जाने वाले परिणामों के प्रयोजन के लिए बुलाई गई साधारण सभा के स्थान पर, गणना की जाएगी ।''

[फा. सं. एल-11012/2/2002-एल एंड एम]

सतीश चंदर, संयुक्त सचिव

टिप्पण-मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सं. सा.का.नि. 700(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2007

G.S.R. 717(E).—In exercise of the powers conferred by Section 124 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002), the Central Government hereby makes the following amendments to the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Rules, 2007.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002,—

(i) in rule 11, after sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if on direction of the Central Registrar such a member has been removed from the membership of both the Multi-State Co-operative Societies, on application of such a member any of such primary Multi-State Co-operative Society may consider to admit such a person as its member";

(ii) in rule 19, in sub-rule (1), the proviso shall be omitted;

(iii) in rule 32, in sub-rule (8), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the Appellate Authority shall pass such order within a period of 180 days except in the cases

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012/ज्येष्ठ 25, 1934
No. 278] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2012

सा.का.नि. 447(अ).— केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य - सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2012 कहा जाएगा ।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में, नियम 32, उपनियम (8) के परन्तुक में "180 दिन" के बदले "360 दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एल-11012/2/2003-एल एण्ड एम]

संजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड -3, उपखंड (1) में सा.का.नि. 700 (ई) दिनांक 2 दिसम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात सा.का.नि. 717 (ई) दिनांक 12 नवम्बर, 2007 द्वारा इसमें संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2012

G.S.R. 447(E).—In exercise of the powers conferred by Section 124 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002(39 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, namely:-

1. (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2012.
(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, in rule 32, in sub-rule (8), in the proviso, for the figures and word "180 days" the figures and word "360 days" shall be substituted.

[F. No. L-11012/2/2003-L & M]

SANJEEV GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazettee of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 700 (E), dated the 2nd December, 2002 and subsequently amended by G.S.R. 717 (E), dated the 12th November, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2002/अग्रहायण 11, 1924
No. 543] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2002/AGRAHAYANA 11, 1924

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2002

सा.का.नि. 790(अ).— केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) " अधिनियम" से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) अभिप्रेत है ;

(ii) " प्राधिकृत प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 103 के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(iii) " डिक्री" से किसी सिविल न्यायालय की कोई डिक्री अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 94 में निर्दिष्ट कोई विनिश्चय या आदेश भी है ;

(iv) " डिक्री धारक" से खण्ड (iii) में यथा परिभाषित डिक्री को धारण करने वाले कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं ;

(v) "व्यतिक्रमी " से कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, कोई सहकारी सोसाइटी, सदस्य या व्यतिक्रम करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(vi) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(vii) "साधारण बैठक" से धारा 38 की उपधारा(i) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी साधारण निकाय की जिसमें प्रतिनिधि साधारण निकाय सम्मिलित है, बैठक अभिप्रेत है ;

(viii) "निर्णीत ऋणी " से कोई ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरुद्ध डिक्री प्राप्त की गई है ;

(ix) "वसूली अधिकारी" से धारा 94 के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(x) "बिक्रय अधिकारी" से केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति कुर्क करने या उसका विक्रय करने अथवा संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा कोई डिक्री निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(xi) "धारा " से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(xii) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(xiii) उन शब्दों और पदों के जो अधिनियम में परिभाषित हैं और इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण

3 रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनः (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 1 में किया जाएगा और इस पर धारा 6 की उपधारा (2) और इन नियमों के उपनियम (2),(3),(4) और (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे :-

(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की प्रस्तावित उप विधियों की चार प्रतियां जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होंगी, जिन्होंने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्होंने शेयर पूँजी में अभिदाय किया है और उनमें से प्रत्येक के द्वारा अभिदाय की गई रकम और उनके द्वारा संदत्त प्रवेश फीस;

(ग) बैंक या बैंकों से एक प्रमाणपत्र जिसमें प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पक्ष में जमा अतिशेष का कथन किया गया हो;

(घ) एक स्कीम जिसमें यह स्पष्ट करते हुए ब्यौरे दर्शित किए गए हों कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कार्यकरण किस प्रकार आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा और ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार स्वसहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपने सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए किस प्रकार फायदाप्रद होगी;

(ङ) संप्रवर्तकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति जो आवेदकों में से एक ऐसे आवेदक का नाम और पता विनिर्दिष्ट करेगी जिसको केन्द्रीय रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के पूर्व नियमों के अधीन पत्राचार सम्बोधित कर सकेगी और रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज प्रेषित कर सकेगा या सौंप सकेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी है वहां, यथास्थिति, ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक या निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य उस बोर्ड द्वारा संकल्प द्वारा रजिस्ट्रीकरण और उपविधियों के लिए आवेदन पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा और ऐसे संकल्प की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य सहकारी सोसाइटियां या बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां और व्यक्ति हैं, वहां ऐसे आवेदन पर व्यक्तियों या ऐसी सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(4) जहां रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य कोई सरकारी कंपनी, निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी है वहां ऐसा सदस्य अपनी ओर से रजिस्ट्रीकरण और उपविधियों के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्यक रूप से प्राधिकृत करेगा और ऐसा प्राधिकारी देने वाले ऐसे संकल्प की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी ।

(5) एक या अधिक आवेदकों के नाम ऐसे आवेदकों के नाम जो आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तावित उपविधियों में परिवर्तन और परिवर्धन करने के लिए, जैसा केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सुझाव दिया जाए, प्राधिकृत हैं, दर्शित करने वाले संकल्प की प्रति प्रस्तुत की जाएगी ।

(6) आवेदन केन्द्रीय रजिस्ट्रार को या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा या दस्ती परिदत्त किया जाएगा ।

4. रजिस्ट्रीकरणः- (1) नियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार आवेदन की विशिष्टियों को प्ररूप 2 में बनाए रखे जाने वाले आवेदनों के रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा, आवेदन को क्रम संख्या देगा और उसकी अभिस्वीकृति की रसीद जारी करेगा ।

(2) यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी ने अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तो वह सोसाइटी और उसकी उपविधियों को, रजिस्टर कर सकेगा ।

(3) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करता है वहां वह उक्त सोसाइटी को अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिस पर उसकी प्राधिकारिक मुद्रा होगी, जिसमें उक्त सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख होगी । केन्द्रीय रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ स्वयं द्वारा यथा अनुमोदित और रजिस्ट्रीकृत उपविधियों की एक प्रमाणित प्रति भी देगा जो तत्समय प्रवृत्त उक्त सोसाइटी की रजिस्ट्रीकृत उप विधियां होंगी ।

5. रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जानाः- (1) धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इंकार करने का आदेश प्रस्तावित सोसाइटी के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए इन्कार करने वाले आदेशों को संसूचित करने की रीति प्रस्तावित सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए इन्कार करने का निश्चायक सबूत होगी ।

6. <u>उपविधियां -</u>

इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाली प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों और आदर्श उपविधियों, यदि कोई हों, जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा बनाई गई हों, से संगत उपविधियां बना सकती है, उपविधियों की विषय वस्तु वह होगी, जो अधिनियम की धारा 10 और अन्य सुसंगत उपबन्धों और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित की गई हैं । इसके अतिरिक्त उपविधियों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हो सकेगा -

(i) शेयरों के मोचन की प्रक्रिया और रीति,

(ii) सोसाइटी के पदाधिकारियों, उनके निबन्धन और शर्तें, उनके कृत्यों और दायित्वों के बारे में उनसे भिन्न उपबन्ध, जो अधिनियमों में विनिर्दिष्ट हैं,

(iii) अधिनियम एंव नियमों के अधीन अपेक्षित रूप में विभिन्न निधियों का गठन,

(iv) उपविधियों में विनिर्दिष्ट दरों के अधिकतम के अधीन रहते हुए लाभांश की दर,

(v) सोसाइटी के कर्मचारियों के संगम और प्रतिनिधित्व के लिए प्रक्रिया,

(vi) बोड की समितियों का गठन,

(vii) प्रतिनिधियों के लघुतर निकाय के गठन के लिए निर्वाचन या चयन की प्रक्रिया या उपविधियां ।

(viii) भर्ती की पद्धति, सेवा की शर्तें और सासाइटी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदाय किए जाने वाले वेतनमान तथा भत्ते को नियत, पुनरीक्षित या विनियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अनुशासनिक मामलों के निपटाए जाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ix) संविधान तथा प्रतिनिधित्व करने वाले सामान्य निकाय के अधिकार और प्रतिबंध जिसके अधीन यह निकाय अधिकारों का प्रयोग कर सकता है ।

7. उपविधियों में संशोधन से इंकार - (1) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार धारा 11 की उपधारा (9) के अधीन किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में किसी संशोधन को रजिस्टर करने से इंकार करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उस बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक को उसके लिए कारणों सहित इंकार के आदेश को संसूचित करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन इंकार के आदेश को संसूचित करने की रीति इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि उपविधियों के संशोधनों से इंकार किया गया है तथा सोसाइटी को इसकी संसूचना दे दी गई है ।

8. कारबार का मुख्य स्थान और पता - (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कारबार का एक मुख्य स्थान होगा जो सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा और उसे उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारबार के मुख्य स्थान में प्रत्येक परिवर्तन अधिनियम की धारा 11 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात उसकी उपविधियों में संशोधन के द्वारा किया जाएगा ।

(3) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में किसी परिवर्तन को उसके परिवर्तन के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय रजिस्ट्रार को अधिसूचित किया जाएगा ।

9. सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रीकरण फाइल का अनुरक्षण - (1) प्रत्येक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर एक रजिस्ट्रीकरण फाइल रखेगी जिसमें निम्नलिखित होगा :

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र,

(ख) रजिस्ट्रीकृत उप-विधियां,

(ग) संशोधनों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ उप-विधियों के सभी रजिस्ट्रीकृत संशोधन,

(घ) अधिनियम और नियमों की एक प्रति,

(2) रजिस्ट्रीकरण फाइल कार्य के घंटों के दौरान सभी समयों पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य के द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

10. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नाम में परिवर्तनः- (1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नाम में धारा 11 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् परिवर्तन किया जा सकता है तथापि यह कि वह किसी जाति या धार्मिक संप्रदाय के प्रति निर्देश न करता हो और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उद्धेश्यों से असंगत न हो ।

(2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नाम मे प्रत्येक परिवर्तन उसकी उप-विधियों में संशोधन द्वारा किया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नाम में परिवर्तन का अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् बहुराज्य सहकारी सोसाइटी मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को संशोधन के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजेगी जो सम्यक् रूप से संशोधित करने के पश्चात् उसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को वापस लौटा देगा ।

11. सदस्यता के लिए अनुपालन की जाने वाली शर्तें- (1) कोई भी व्यक्ति बहुराज्य सहकारी सोसायटी के सदस्य के रूप में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

(क) उसने सदस्यता के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा अधिकथित, यदि कोई हो, में या केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में , लिखित रूप में आवेदन नहीं किया है;

(ख) उसका आवेदन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है;

(ग) उसने शेयरों का न्यूनतमसंख्या में क्रय नहीं किया है और उनकी कीमत का पूर्णतया या अंशतः उतनी मांगों में जितनी बहुराज्य सोसाइटी की उप-विधियों में अधिकथित की जाएं, संदाय नहीं किया है;

(घ) उसने अधिनियम, नियमों और उप-विधियों में अधिकथित सभी अन्य शर्तों का पालन नहीं किया है ;

(ङ) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या किसी सहकारी सोसाइटी या राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी अथवा सरकार या किसी सरकारी कंपनी या व्यक्ति निकाय के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम, चाहे वह निगमित हों या नहीं, की दशा में, सदस्यता के लिए आवेदन के साथ यह संकल्प संलग्न नहीं किया जाता है, जो उसे ऐसी सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

(2) कोई व्यक्ति किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि-

(क) उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है

(ख) वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया या अनुमोचित दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है,

(ग) वह किसी राजनैतिक प्रकृति के अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अद्यमता और बेईमानी अंतर्वलित नहीं है, दण्डादिष्ट किया गया है और दण्डादेश की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है ।

(3) इन नियमों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई सदस्य उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं के अधीन हो जाता है या पहले से ही हो गया है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से, जब निरर्हता उपगत की गई थी, सोसाइटी का सदस्य नहीं रह गया है ।

(4) कोई व्यष्टि, जो किसी प्राथमित स्तर की बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या किसी बहुराज्य प्रत्यय सोसाइटी या किसी बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक का सदस्य है, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की साधारण या विशेष अनुज्ञा बिना किसी अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या उसी वर्ग की सहकारी सोसाइटी का, सदस्य नहीं होगा और जहां कोई व्यष्टि पूर्वोक्त ऐसी सहकारी सोसाइटियों में से दो का सदस्य बन गया है तो या तो उनमें से कोई एक या दोनों ही सोसाइटियां केन्द्रीय रजिस्ट्रार से उस आशय की लिखित अध्यादेश पर उसे सदस्यता से हटाने के लिए आबद्ध होंगी ।

(5) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपने साधारण निकाय के अधिवेशन की तारीख के पूर्व तीस दिन के भीतर सदस्यों को प्रवेश न देगी ।

अध्याय 3

संघीय सहकारी सोसाइटियाँ

12. संघीय सहकारी सोसाइटियों का वर्गीकरण:- (1)संघीय सहकारी सोसाइटियाँ उनके कार्यकलापों की प्रकृति के प्रति निर्देष से वर्गीकृत की जा सकती हैं। एक से अधिक संघीय सहकारी सोसाइटियों को प्रचालन के एक ही क्षेत्र में समान और समरूप उद्दश्यों में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।

(2) संघीय सहकारी सोसाइटियाँ अपने घटक सदस्यों के संवर्धन के लिए सदस्य सोसाइटियों के साथप्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अपनी उपविधियों में उपयुक्त उपबन्ध करेंगी ।

अध्याय 4

बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का प्रबंध

13. वार्षिक साधारण अधिवेशन- (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पश्चात् छः महीने की अवधि के अपश्चात् अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी । सभी साधारण अधिवेशन सोसाइटी के मुख्य स्थान पर बुलाए जाएंगे ।

(2) अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिसकी सदस्यता एक हजार से अधिक हो, छोटे निकाय के गठन के लिए अपनी उपविधियों में उपबन्ध कर सकेगी । इस प्रकार से गठित छोटे निकाय साधारण निकाय के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट हो ।

14. अंतरिम बोर्ड और प्रथम निर्वचन के लिए साधारण अधिवेशन - सोसाइटी का प्रथम साधारण अधिवेशन संप्रवर्तक सदस्यों द्वारा सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के छः महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदकों द्वारा चयनित अंतरिम बोर्ड तब तक कार्य करेगा जब तक नियमित बोर्ड निर्वाचित नहीं हो जाता ।

15. साधारण अधिवेशन के लिए सूचना - (1) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन कम से कम चौदह दिन की लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकेगा ।

(2) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का विशेष साधारण अधिवेशन कम से कम सात दिन की लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकेगा ।

(3) जब कोई साधारण अधिवेशन धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन अथवा कोई विशेष साधारण अधिवेशन धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा बुलाया जाता है तो वह -

(i) ऐसे अधिवेशन की सूचना की अवधि जो सात दिन से कम नहीं होगी ;

(ii) ऐसे अधिवेशन का समय और स्थान ; और

(iii) ऐसे अधिवेशन में विचार-विमर्श किए जाने वाले विषयों को,

अवधारित कर सकेगा । केन्द्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(4) वार्षिक साधारण अधिवेशन की सूचना के साथ पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा की उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित एक-एक प्रति संलग्न की जाएगी और उसके साथ बोर्ड की रिपोर्ट, उपविधियों के संशोधन, यदि कोई हो और बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन, यदि कोई हो, की एक एक प्रति होगी ।

16. साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति -

(1) जब तक कि उप-विधियों में अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, किसी साधारण अधिवेशन के लिए गणपूर्ति किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय के सदस्यों की कुल संख्या का पांचवां भाग होगी ।

(2) किसी साधारण अधिवेशन में किसी भी कामकाज का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिवेशन का कामकाज प्रारम्भ होने के समय अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं हो जाती है ।

(3) यदि अधिवेशन के लिए नियत समय से आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन स्थगित हो जाएगा :

परन्तु कोई ऐसा अधिवेशन जो सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाया गया है, स्थगित नहीं होगा अपितु विघटित हो जाएगा ।

(4) यदि अधिवेशन के दौरान किसी समय पर्याप्त संख्या में सदस्य गणपूर्ति को पूरा करने के लिए उपस्थति नहीं है तो अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला सदस्य स्वंय या उस तथ्य की ओर उसका ध्यान आकर्षित किए जाने पर, अधिवेशन को स्थगित कर देगा और वह कामकाज जो ऐसे अदिवेशन, यदि कोई है, में संव्यवहृत किया जाना शेष रह जाता है, स्थगित अधिवेशन में प्रत्येक रीति में निपटाया जाएगा ।

(5) जहां कोई अधिवेशन उपनियम (3) या उपनियम (4) के अधीन स्थगित कर दिया जाता है, वहां स्थगित अधिवेशन या तो उसी दिन या ऐसी तारीख, समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा विनिश्चित किया जाए, आयोजित किया जाएगा ।

(6) उपनियम 3 अथवा उपनियम 4 के अधीन किसी स्थगित अधिवेशन में उस कामकाज से भिन्न किसी कामकाज का संव्यवहार नहीं किया जाएगा, जो स्थगित अधिवेशन की कार्यसूची में दिया गया हो ।

(7) स्थगित साधारण अधिवेशन के संबंध में कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

17. साधारण अधिवेशन में मतदान - (1) ऐसे सभी संकल्प जिन्हें साधारण अधिवेशन में मतदान के लिए रखा जाता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, जब तक कि अधिनियम, इन नियमों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अधीन अन्यथा अपेक्षित न हो । प्रत्येक सोसाइटी अपनी उपविधियों मतदान की रीति और उससे संबंधित अन्य मामलों का उपबन्ध करेगी ।

(2) मतों के बराबर होने की दशा में अधिवेशन के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

18. साधारण अधिवेशन का कार्यवृत्त - (1) साधारण अधिवेशन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस प्रयोजनों के लिए रखी गई एक कार्यवृत्त पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा और उस पर अधिवेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । इस प्रकार हस्ताक्षरित कार्यवृत्त, उस अधिवेशन की सही कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा ।

19. निर्वाचन के संचालन की प्रकिया - (1) बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन बोर्ड द्वारा अपने अधिवेशन में नियुक्त रिटर्निंग आफिसर द्वारा कराया जाएगा । इस प्रकार नियुक्त रिटर्निंग आफिसर सोसाइटी का कोई सदस्य या कोई कर्मचारी नहीं होगा :

परन्तु, केन्द्रीय रजिस्ट्रार राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों, बहुराज्य शहरी सहकारी बैंको, बहुराज्य कृषि प्रसंस्करण सहकारी सोसाइटियों, रेल कर्मचारी प्रत्यय सोसाइटियों के निर्वचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करेगा । केन्द्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के निर्वाचन के संचालन के लिए, यदि ऐसी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए तो रिटर्निंग आफिसर की भी नियुक्ति कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा ऐसी रीति से जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो, संचालित किया जाएगा ।

20 पदाधिकारियों का निर्वाचन : (1) बोर्ड के पदाधिकारियों का निर्वाचन, निर्वाचन अनुसूची में दिये गये कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

(2) पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए अभ्यार्थियों की पात्रता अधिनियम की धारा 43 और धारा 44 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन होगी ।

21 मुख्य कार्यकारी के निबंधन और शर्तें: जहां केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में इक्यावन प्रतिशत या इससे अधिक की साम्य पूंजी है वहां मुख्य कार्यकारी के पद की अर्हताएं और पात्रता की शर्तें, वेतन और भत्ते, निलम्बन, पद से हटाना, पेंशन,उपदान, सेवानिवृत्ति लाभ वही होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे ।

अध्याय-5

बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार, संपत्ति और निधियां

22 बहियों में प्रविष्टियों की प्रतियों का प्रमाणीकरण (1)(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की किसी ऐसी बही में जो कामकाज के दौरान नियमित रूप से रखी गई हो, प्रत्येक प्रविष्टि को मुख्य कार्यकारी अथवा सोसाइटी की उपविधियों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

(ख) जहां कोई आदेश धारा 123 के अधीन बोर्ड का अधिक्रमण करते हुए और किसी प्रशासक को नियुक्त करते हुए पारित किया गया है, वहां प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ।

(ग) जहां कोई आदेश धारा 89 की उपधारा (1)के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के किसी समापक को नियुक्त किया गया है, वहां समापक द्वारा ।

(2) प्रत्येक प्रमाणित प्रति पर बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अथवा किसी निदेशक अथवा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा होगी ।

(3) ऐसी प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय के लिए उदगृहीत किए जाने वाले प्रभार वही होंगे, जो ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में यथा उपबंधित हैं । किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में ऐसा उपबंध न होने पर, दो रुपये प्रति फोलियो का प्रभार उदगृहीत किया जाएगा ।

23. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को सरकारी सहायता -

अधिनियम की धारा 61के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार परस्पर तय पाए गए निबंधनों और शर्तों पर किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सहायता दे सकेगी ।

24. सदस्यों को लाभ का वितरण - (1) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभों से भिन्न निधियों के किसी भाग को बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा उसके सदस्यों में वितरित नहीं किया जाएगा ।

(2) सदस्यों को उनकी समादत्त शेयरपूंजी पर लाभांश का संदाय उपविधियों में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा ।

(3) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में सोसाइटी के साथ किसी सदस्य के संव्यवहार के अनुरूप इसके सदस्यों को संरक्षण बोनस के वितरण के लिए उपबंध किया जा सकेगा ।

(4) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों में उन विषयों और प्रयोजनों के लिए भी उपबंध कर सकेगी, जिनके लिए आरक्षित कोष का उपयोग किया जाएगा ।

25 सहकारी शिक्षा निधि के लिए अभिदाय -(1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वर्ष अपने शुद्ध लाभ के एक प्रतिशत की दर से परिकलित राशि को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित सहकारी शिक्षा निधि के लिए अभिदाय के रूप में जमा करेगी । सहकारी शिक्षा निधि का प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i)	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली	अध्यक्ष
(ii)	केन्द्रीय रजिस्ट्रार	सदस्य
(iii)	वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग,कृषि मंत्रालय	सदस्य
(iv)	बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के दो प्रतिनिधि जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के लिए नामनिर्देशित किया जाएगा ।	सदस्य.
(v)	महानिदेशक, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
(vi)	निदेशक, वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे	सदस्य

(2) समिति के अनुमोदन के बिना सहकारी शिक्षा निधि में से कोई व्यय नहीं किया जाएगा ।

(3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, इस निधि को किसी पृथक लेखा में रखेगा और इस निधि के लिए अभिदाय से प्रोद्भूत होने वाले ब्याज के रूप में या अन्यथा सभी आय को इस निधि में जमा किया जाएगा ।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्ति और निधियां, लेखे, लेखापरीक्षा, परिसमापन और डिक्रियों, आदेशों तथा विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 के नियम 4 के अधीन गठित इस निधि में अतिशेष का, इन नियमों के प्रारंभ पर यह अर्थ लगाया जाएगा कि मानों वह इन नियमों के अधीन गठित निधि है ।

(5) सहकारी शिक्षा निधि का उपयोग, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सहकारी सोसाइटियों के लिए मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा । समिति, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, अभिदात्री सदस्यों या किसी अन्य व्यावसायिक रूप से गठित निकाय के माध्यम से, जैसा समिति विनिश्चय करे, हाथ में लेगी ।

26 अभिदायी भविष्य निधि : (1) प्रत्येक ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिसके पास उसकी सेवा में दस या उससे अधिक नियमित कर्मचारी हैं, धारा 69 की उपधारा (1)में निर्दिष्ट अभिदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी ।

(2) ऐसी निधि सृजित करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों में निम्नलिखित का उपबंध करेगी :-

क) निधि को प्रशासित करने के लिए प्राधिकारी ;

ख) कर्मचारी के वेतन से कटौती किए जाने वाले अभिदाय की रकम ;

ग) कर्मचारी की मृत्य की दशा में अभिदायी भविष्य निधि की रकम के संदाय के लिए नामनिर्देशन का तरीका ;

घ) वह प्रयोजन जिसके लिए, वह सीमा जिस तक और वह अवधि जिसके पश्चात, ऐसी निधि की प्रतिभूति के विरूद्ध अग्रिम दिए जा सकेंगे और मासिक किस्तों की संख्या जिनमें अग्रिम का प्रतिसंदाय किया जा सकेगा ;

(ङ) कर्मचारी के अभिदाय और सोसाइटी द्वारा किए गए अभिदाय का प्रतिदाय ;

(च) ऐसी निधि के लेखाओं का रखा जाना ।

(3) अभिदाय की रकम, जिसकी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के किसी कर्मचारी के वेतन से कटौती की जा सकती है, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) में उपबंधित अधिकतम सीमा से कम नहीं होगी ।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वर्ष कर्मचारी की अभिदायी भविष्य निधि में ऐसा अभिदाय कर सकेगी, जो बोर्ड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952(1952 का 19) में उपबंधित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए अनुमोदित किया जाए ।

27 लेखापरीक्षा और लेखे : (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित के संबंध में लेखा बहियां रखेगी :-

(क) वे सभी धनराशियां जो प्राप्त और व्यय की जाती हैं और वे विषय जिनके संबंध में धनराशियां प्राप्त और व्यय की जाती हैं ;

(ख) माल के सभी विक्रय या क्रय ;

(ग) आस्तियां और दायित्व ;

(घ) ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में, जो उत्पादन, प्रसंस्करण और विनिर्माण में लगी हैं, सामग्री या श्रम के उपयोग या लागत की अन्य मदों से संबंधित ऐसी विशिष्टियां जो उस सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की संपरीक्षा में उस धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां भी होगी :-

(क) क्या लेखापरीक्षक ने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उसकी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है ;

(ख) क्या उसकी राय में इन नियमों और उप विधियों में यथा विनिर्दिष्ट उचित लेखा बहियां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक कि यह उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है और उसकी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हो गई हैं, जहां वह नहीं जा सका है ;

(ग) क्या उसकी सर्वोत्तम जानकारी और उसको दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की बहियों द्वारा यथादर्शित तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कामकाज की सही और उचित स्थिति का पता चलता है ;

(घ) क्या व्ययों में या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को शोध्य धन की वसूली में तात्विक अनौचित्य या अनियमितता हुई है ;

(ङ) क्या सहकारी बैंक की दशा में, रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया गया है ।

(3) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अनुसूचियां भी होंगी जिनमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :-

(क) ऐसे सभी संव्यवहार जो अधिनियम, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नियमों या उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल प्रतीत होते हों ;

(ख) ऐसी सभी संव्यवहार, जो कि रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रतीत होते हों ;

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई धन जो लेखापरीक्षक को वसूली के लिए डूबा हुआ अथवा शंकास्पद लगे ;

(घ) वह ऋण जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा बोर्ड के सदस्यों को दिया गया हो ;

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों, शर्तों आदि का किसी सहकारी बैंक द्वारा कोई उल्लंघन ;

(च) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

28 समापक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया : जहां धारा 89 की उपधारा (1)के अधीन कोई समापक नियुक्त किया गया है वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी -

(क) समापक की नियुक्ति केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ;

(ख) समापक, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के परिसमापन आदेश के प्रभावी होते ही यथाशीघ्र एक सूचना ऐसे साधनों द्वारा जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा जिसमें, उस बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के विरूद्ध, जिसके परिसमापन के लिए आदेश किया गया है, सभी दावे सूचना के प्रकाशित होने के दो मास के भीतर समापक को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाएगी । किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की लेखा बहियों में अभिलिखित सभी दायित्व स्वयंमेव ही उसके इस खण्ड के अधीन सम्यक् रूप से प्रस्तुत किए गए समझे जाएंगे ;

(ग) समापक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के विरूद्ध सभी दावों का अन्वेषण करेगा और दावेदारों के बीच उठने वाले पूर्विकता के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा ;

(घ) समापक उन सभी धनराशियों और अन्य संपत्तियों को, जिनकी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी हकदार है, वसूली करेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे वाद या समापन कार्यवाहियों के आनुषंगिक ऐसे वाद, जिन्हें वह उचित समझे, संस्थित कर सकेगा ;

(ङ) समापक लिखित रूप में; साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को अपनी ओर से वसूली करने के लिए और विधिमान्य रसीद देने के लिए सशक्त कर सकेगा ;

(च) समापक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों और दायित्वों का जैसे कि वे समापन आदेश की तारीख को थे, परिनिर्धारण करने के पश्चात, उस अभिदाय का, जिसके अंतर्गत शोध्य ऋण और समापन के खर्चे भी हैं, जो उसके प्रत्येक सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों द्वारा या मृत सदस्यों की संपदाओं या उनके नामनिर्देशितियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों में किया जाना है या किए जाने के लिए शेष है, समय-समय पर धारा 90 की उपधारा (2) के खंड(ख) के अधीन अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा । यदि आवश्यकता हो तो वह ऐसे अभिदायों के बारे में समनुषंगी आदेश भी कर सकेगा और ऐसा आदेश उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा जैसे मूल आदेश ;

(छ) समापक के भारसाधन में की सभी निधियां डाकघर बचत बैंक या किसी सहकारी बैंक या ऐसे किसी अन्य बैंक में, जिसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाए, जमा की जाएंगी और उसके नाम में जमा रहेंगी ;

(ज) केन्द्रीय रजिस्ट्रार समापक को संदाय की जाने वाली पारिश्रमिक की रकम, यदि कोई है, नियत करेगा । पारिश्रमिक की यह रकम समापन के खर्च में सम्मिलित की जाएगी जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों में से, अन्य सभी दावों की पूर्विकता में, संदेय होगी ;

(झ) समापक, समापनाधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों का अधिवेशन बुला सकेगा ;

(ञ) समापक तिमाही रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में जिसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार, विनिर्दिष्ट करे,केन्द्रीय रजिस्ट्रार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के समापन में हुई प्रगति को दर्शाते हुए प्रस्तुत करेगा;

(ट) समापक ऐसी बहियों और लेखाओं को रखेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, जो किसी भी समय ऐसी बहियों और लेखाओं की लेखापरीक्षा करा सकेगा ;

(ठ) समापन की समाप्ति पर, समापक विघटित सोसाइटी के सदस्यों का एक साधारण अधिवेशन बुलाएगा जिसमें समापक या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अपनी कार्यवाहियों के परिणाम को संक्षेप में लिखेगा और अधिशेष निधियों के व्ययन के बारे में मत लेगा।

समापक उपर्युक्त् साधारण अधिवेशन की कार्यवाही की प्रति के साथ अपनी अंतिम रिपोर्ट केन्द्रीय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से संबधित सभी पुस्तकों और लेखाओं को परिसमापन की प्रक्रिया से संबधित उसके द्वारा रखी गई सभी पुस्तकों और लेखाओं को केन्द्रीय रजिस्ट्रार को सौंपेगा ।

(ड) यदि दावेदार का पता ज्ञात न हो पाने के कारण या किसी अन्य कारण से समापक द्वारा किसी दायित्व का उन्मोचन नहीं किया जा सकता है तो ऐसे अनुन्मोचित दायित्व वाली रकम को किसी सहकारी बैंक में जमा किया जा सकता है और वह संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के दावों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा ।

(ढ) समापक को किसी भी समय केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा हटाया जा सकता है और वह इस प्रकार हटाये जाने पर समापन के अधीन सोसाइटी से संबंधित सभी सम्पत्ति और अभिलेखों को ऐसे व्यक्तियों को सौंपने के लिए बाध्य होगा जिनके लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार निदेशित करे ।

(ण) ऐसी किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की सभी पुस्तकों और अभिलेखों को, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के समापन की कार्यवाहियों के परिसमापन का आदेश दिया जा चुका है, केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के आदेश की तारीख से 3 वर्षों के पश्चात नष्ट किया जा सकेगा ।

29. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों का उपयोजन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों का संदाय के लिए नीचे दी गई पूर्विकता के क्रम में उपयोजन किया जाएगा

(1) सभी बाह्य दायित्वों का आनुपातिक संदाय
(2) सदस्यों के ऋणों और जमा राशियों का आनुपातिक पुनर्संदाय
(3) शेयरपूंजी का आनुपातिक प्रतिदाय
(4) समापन की अवधि के लिए शेयर पर ऐसी दर से लाभांश का आनुपातिक संदाय जो 6.25% प्रति वर्ष से अधिक न हो ।

30. विवाद - (1) अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मध्यस्थों को नियुक्त कर सकेगा और उनकी फीस नियत कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सभी माध्यस्थम् कार्यवाहियों को ऐसे लागू होंगे मानो माध्यस्थम् के लिए कार्यवाहियां माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन परिनिर्धारण या विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट की गई हों ।

अध्याय 6

अपील और पुनर्विलोकन

31. अपील - धारा 99 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए, किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाएगी, यदि विनिश्चय या आदेश -

(क) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है तो ऐसे अधिकारी को जो भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग में अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए,

(ख) केन्द्रीय सरकार का या रजिस्ट्रार की पंक्ति के राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसको अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, द्वारा किया गया है तो भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग में (सहकारिता) सहकारिता के भारसाधक संयुक्त सचिव को ;

(ग) राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसको अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, द्वारा किया गया है तो भारत सरकार के कृषि और सहकारिता मंत्रालय में मुख्य निदेशक (सहकारिता) को या केन्दीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ;

32. अपील के संबंध में प्रक्रिया :- (1) धारा 99 की उप धारा (2) के अधीन कोई अपील प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जाएगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(2) अपील, ज्ञापन के प्ररूप में होगी, और उसके साथ उस आदेश, जिससे अपील की गई है, की मूल या प्रमाणित प्रति होगी ।

(3) प्रत्येक अपील :

(क) अपीलार्थी का नाम और पता और प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों के नाम और पतों को भी विनिर्दिष्ट करेगी ;

(ख) इस बात का उल्लेख करेगी कि वह आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, किसके द्वारा किया गया था ;

(ग) संक्षिप्ततः और विभिन्न शीर्षों के अधीन उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, के आक्षेपों के आधारों को, साक्ष्य के ज्ञापन सहित, उपवर्णित करेगी;

(घ) संक्षिप्ततः उस अनुतोष का उल्लेख करेगी जो अपीलार्थी ने चाही है, और

(ङ) उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की तारीख देगी ;

(च) साक्ष्य के ज्ञापन सहित अपील का ज्ञापन, अपीलर्थी द्वारा सम्यक् रूप से शपथ पर दिए गए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित होगा ।

(4) जहां धारा 99 की उप धारा (2) के अधीन अपील उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट साठ दिन की समाप्ति के पश्चात की जाती है वहां उसके साथ एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित एक अर्जी होगी जिसमें उन तथ्यों को उपवर्णित किया जाएगा जिन पर अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का समाधान करने का अवलम्ब लेता है कि उसके पास उस उपधारा में वर्णित अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

(5) अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, यथासंभव शीघ्र उसकी परीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि :

(क) अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ऐसे सुने जाने का अधिकार है;

(ख) यह विहित समय सीमा के भीतर किया गया है ; और

(ग) यह अधिनियम और इन नियमों के सभी उपबंधों के अनुरूप है ।

(6) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी से ऐसा करने की सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर त्रुटियों, यदि कोई हों, का उपचार करने के लिए या ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जो आवश्यक हो, देने की अपेक्षा कर सकेगा यदि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपेक्षित त्रुटियों का उपचार करने या अतिरिक्त जानकारी देने में असफल रहता है तो अपील अर्जी खारिज की जा सकेगी ।

(7) अपील प्राधिकारी धारा 99 के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी अधीनस्थ अधिकारी से जांच या कार्यवाहियों की नियमितता या उनमें पारित किए गए किसी विनिश्चय या किए गए किसी आदेश की सत्यता, वैद्यता या औचित्य के सत्यापन के प्रयोजन के लिए

जांच या कार्यवाहियों के संबंध में ऐसी अतिरिक्त जानकारी अभिप्राप्त कर सकेगा । अपील प्राधिकारी ऐसी जांच या कार्यवाहियों से सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसी जानकारी की अपेक्षा कर सकेगा और अभिप्राप्त कर सकेगा जो जांच या कार्यवाही के अभिलेखों की परीक्षा और अधीनस्थ अधिकारी से अभिप्राप्त सूचना के प्रतिनिर्देश से आवश्यक है ।

(8) अपील प्राधिकारी की गई जांच के आधार पर और जांच किए गए अभिलेखों के प्रतिनिर्देश से अपील के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझा जाए ।

(9) धारा 99 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और वह ऐसे अपीलार्थी और ऐसे अन्य पक्षकारों को जिनके उस प्राधिकारी की राय में उस विनिश्चय या आदेश से प्रभावित होने की संभावना है और उस सम्बद्ध अधिकारी को, जिसके आदेश के विरूद्ध ऐसा आदेश किया गया था, संसूचित किया जाएगा ।

33. पुनर्विलोकन के लिए आवेदन- (1) धारा 101 के अधीन प्रत्येक आवेदन ज्ञापन के प्ररूप में होगा जिसमें संक्षिप्त और सुभिन्न शीर्षों के अधीन ऐसे नए और महत्वपूर्ण तथ्यों को उपवर्णित किया जाएगा जो, सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात, उस समय आवेदक की जानकारी में नहीं थे और जो उसके द्वारा तब पेश नहीं किए जा सके थे जब आदेश किया गया था या गलती या त्रुटि अभिलेख में दृश्यमान थी या अन्य कारणों से जिनके आधार पर पुनर्विलोकन चाहा गया है । इसके साथ साक्ष्य का एक ज्ञापन संलग्न किया जाएगा ।

(2) आवेदन के साथ उस आदेश की, जिससे आवेदन सम्बद्ध है, मूल या प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ।

(3) पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक उसके साथ उतनी अतिरिक्त प्रतियां संलग्न नहीं की जाती हैं, जितने मूल आदेश में पक्षकार हैं ।

(4) पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन किसी पक्षकार द्वारा अपील प्राधिकारी के उस आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसकी पुनर्विलोकन की ईप्सा की गई है, किया जाएगा ।

(5) आवेदन जहां तक आवश्यक हो, अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में निपटाया जाएगा जो ठीक समझी जाए ।

परन्तु पुनर्विलोकन आवेदन पर कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित न कर दिया गया हो और उन्हें युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान न किया गया हो ।

अध्याय-7

ऐसी सोसाइटियां जो राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां बन जाती हैं

34. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन या पुनर्संगठन के लिए स्कीम तैयार करना -

(1) यथास्थिति, केन्द्रीय रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी धारा 103 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जो धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप ऐसी सोसाइटी बन गई है, के पुनर्गठन या पुनर्संगठन के लिए एक स्कीम तैयार करेगा । केन्द्रीय रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से स्कीम की एक प्रति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति को इस निदेश के साथ भेजेगा कि स्कीम को इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय के अधिवेशन के समक्ष रखा जाए ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिवेशन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों और लेनदारों को उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट रीति से जारी की गई सूचना की तारीख से कम से कम चालीस दिन पश्चात बुलाया जाएगा ।

(3) प्रत्येक सदस्य को एक लिखित सूचना, जिसमें अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान तथा वहां पर किया जाने वाला कारबार विनिर्दिष्ट होगा, दी जाएगी और इसके साथ उस स्कीम की एक प्रति होगी जिस पर अधिवेशन में विचार किया जाएगा । प्रत्येक सदस्य और लेनदार को सूचना-

(i) उसे व्यक्तिगत रूप से परिदत्त या निविदत्त की जाएगी, या

(ii) उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी, या

(iii) उसकी तामील उस पर ऐसी अन्य रीति से की जाएगी जैसी सोसाइटी की उपविधियों में विर्निदिष्ट की जाए ।

(4) **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी** को शासित करने वाले किसी नियम या उपविधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सोसाइटी का अध्यक्ष या सभापति उपनियम (1) की अपेक्षानुसार विशेष अधिवेशन बुलाने में असफल हो गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी** के साधारण निकाय का अधिवेशन **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी** के सभी सदस्यों और लेनदारों को चौदह दिन की सूचना देकर बुलाएगा ।

अध्याय-8

अभिलेखों के निरीक्षण के लिए फीस का संदाय

35. **अभिलेखों के निरीक्षण के लिए फीस का संदाय :-** सदस्य से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिलेखों के निरीक्षण के संदाय के लिए फीस प्रति फोलियो एक रुपया होगी ।

अध्याय - 9

प्रकीर्ण

36. **समन तामील की पद्धति** - (1) अधिनियम या उन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित में होगा, उस अधिकारी, जिसने यह जारी किया है, की मुद्रा, यदि कोई हो, द्वारा अधिप्रमाणित होगा और ऐसे अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा । उसमें समन किये गये व्यक्ति से उक्त अधिकारी के समक्ष बताये गये समय और स्थान पर उपस्थिति होने की अपेक्षा की जाएगी और यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि, साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रयोजन या दोनों प्रयोजनों के लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है या नहीं और किसी विशिष्ट दस्तावेज का, जिसे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, समन में युक्तियुक्त शुद्धता सहित, विवरण दिया जाएगा ।

(2) किसी व्यक्ति को, साक्ष्य देने के लिए समन किए बिना दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया जा सकेगा और किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए

समन किया गया है, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने समन का अनुपालन किया है, यदि वह ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के बजाय उसे प्रस्तुत करवाता है।

(3) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति पर समन की तामील निम्नलिखित किसी भी रीति से की जा सकेगी:-

(क) उसे उस व्यक्ति को देकर या निविदत्त करके ; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसे उसके ऐसे स्थान पर, जहां ऐसा व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर से समनों को स्वीकार करने के लिए उसका सशक्त किया गया अभिकर्ता वास्तविक रूप से और स्वेच्छया से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, परिदत्त या संप्रेषित करके; या

(ग) यदि ऐसे व्यक्ति का पता केन्द्रीय रजिस्ट्रार या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को ज्ञात है, तो उसे उस व्यक्ति को, रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर ; या

(घ) यदि पूर्वोक्त साधन में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो उसे उसके उस अन्तिम ज्ञात स्थान के किसी सहज दृश्य भाग पर, जहां वह वास्तिवक रूप से या स्वेच्छया से रहता हैं या कारबार करता है या स्वेच्छया से अभिलाभ के लिए कार्य करता है, लगाकर ।

(4) जहां तामील करने वाला अधिकारी समन की एक प्रति व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसकी ओर से किसी अभिकर्ता को परिदत्त या निविदत्त करता है वहां उससे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसे प्रति इस प्रकार परिदत्त या निविदत्त की गई है, मूल समन पर तामील की रसीद के रूप में पृष्ठांकित करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(5) तामील करने वाला अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपनियम (4) के आधीन समन तामील किए गए हैं, मूल समन पर या उससे संलग्न एक विवरणी पर वह समय और जब वह रीति जिससे समन तामील किया गया था और उस व्यक्ति को जिसे तामील किया गया पहचानने वाले समन के परिदान या विनिदान के लिए साक्षी होने वाले व्यक्ति, यदि कोई हो, का नाम और पता, कथित करते हुए पृष्ठांकित या उपाबद्ध करेगा या पृष्ठांकित या उपाबद्ध करवाएगा ।

(6) जहां समन किए जाने वाला प्रतिवादी लोक अधिकारी या किसी कम्पनी का सेवक या स्थानीय प्राधिकारी है, वहां समन जारी करने वाला अधिकारी, यदि यह प्रतीत होता है कि समन इस प्रकार सुविधा पूर्वक तामील किए जा सकेंगे तो उसे समन किए जाने वाले पक्षकार को तामील करने के लिए उस कार्यालय के प्रधान को जिसमें वह नियोजित है ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली प्रति के साथ, रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज सकेगा ।

37 **डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों के निष्पादन की प्रक्रिया** - (1) कोई भी डिक्रीधारक, जो धारा 94 के खण्ड (ग) के उपबंधों को लागू किए जाने की अपेक्षा करता है, उस वसूली अधिकारी को आवेदन करेगा जिसकी अधिकारिता में वादहेतुक उद्भूत हुआ था और केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियत किए गए आवश्यक खर्च जमा करेगा । यह निर्णीत ऋणी का निवास स्थान या वह सम्पत्ति, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, ऐसे वसूली अधिकारी की अधिकारिता के बाहर स्थित है तो वह वसूली अधिकारी उस वसूली अधिकारी के पास आवेदन को अंतरित कर देगा जिसकी अधिकारिता में निर्णीत ऋणी रहता है या सम्पत्ति स्थित है ।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा और डिक्रीधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा । डिक्रीधारक यह उपदर्शित करेगा कि क्या वह डिक्रीधारक को बंधक की गई स्थावर सम्पत्ति या किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही चाहता है या जंगम सम्पत्ति की कुर्की चाहता है ।

(3) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर वसूली अधिकारी आवेदन में उपवर्णित विशिष्टियों की शुद्धता और वास्तविकता का सत्यापन केन्द्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय के अभिलेखों से, यदि कोई है, करेगा और केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक लिखित मांगपत्र दो प्रतियों में तैयार करेगा जिसमें निर्णीत ऋणी का नाम और शोध्य रकम दी हुई होगी और वह इस मांगपत्र को विक्रय अधिकारी के पास भेजगा ।

(4) जब तक कि डिक्रीधारक अपनी यह वांछा व्यक्त नही करता है कि कार्यवाहियां उपनियम (2) में अधिकथित किसी विशिष्ट क्रम में की जानी चाहिए, निष्पादन सामान्यतः निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात -

(i) व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही पहले की जाएगी, किन्तु यह आवश्यकता की दशा में, स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध साथ-साथ कार्यवाही किए जाने से प्रवारित नहीं करेगी ।

(ii) यदि कोई जंगम सम्पत्ति नहीं है, या यदि जंगम सम्पत्ति के विक्रय-आगम, या कुर्क की गई और विक्रय की गई सम्पत्ति से डिक्रीधारक की मांग पूर्णतः पूरी नहीं होती है तो डिक्रीधारक को बंधक की गई स्थावर सम्पत्ति या निर्णीतऋणी की अन्य स्थावर सम्पत्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

(5) जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय करने में निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा अर्थातः-

(क) विक्रय अधिकारी डिक्रीधारक को पूर्व सूचना देने के पश्चात् उस ग्राम में या उस स्थान पर, भी जहां निर्णीत ऋणी निवास करता है या करस्थम् की जाने वाली संपत्ति स्थित है, जाएगा और निर्णीत ऋणी पर, यदि वह उपस्थित है, तो मांगपत्र की तामील करेगा । यदि व्यय सहित शोध्य रकम का संदाय तुरंत नहीं किया जाता है तो विक्रय अधिकारी करस्थम् करेगा और करस्थम् की गई संपत्ति की सूची या तालिका निर्णीत ऋणी को तुरंत देगा और यदि शोध्य रकम का पहले ही उन्मोचन नहीं किया गया है तो उस स्थान और दिन और समय की सूचना देगा जिस स्थान में और जिस दिन और समय करस्थम् की गई संपत्ति विक्रय के लिए लाई जाएगी । यदि निर्णीत ऋणी अनुपस्थित है तो विक्रय अधिकारी मांगपत्र की तामील उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष सदस्य पर या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर करेगा या जब ऐसी तामील न की जा सकती हो तब उसके निवास स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर मांगपत्र की एक प्रति लगाएगा । उसके बाद वह करस्थम् की कार्यवाही करेगा और कुर्क की गई संपत्ति की सूची निर्णीत ऋणी के प्रायिक निवास स्थान पर लगाएगा उसपर उस स्थान का जहां संपत्ति जमा की जाएगी या रखी जाएगी, पृष्ठांकन करके और विक्रय के स्थान, दिन और समय की सूचना का उल्लेख किया जाएगा ।

(ख) करस्थम् करने के पश्चात् विक्रय अधिकारी कुर्क की गई संपत्ति को डिक्रीधारक की अभिरक्षा में या अन्यथा व्यवस्था करेगा । यदि विक्रय अधिकारी डिक्रीधारक से संपत्ति की अभिरक्षा की जिम्मेदारी लेने की अपेक्षा करता है तो वह ऐसा करने के लिए आबद्ध होगा और डिक्रीधारक की उपेक्षा के कारण उपगत हुई किसी भी हानि को पूरा करेगा । यदि कुर्क की गई सम्पत्ति पशुधन है तो डिक्रीधारक उसके लिए आवश्यक चारे की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा । विक्रय अधिकारी निर्णीत ऋणी की या ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर उसे उस गांव या स्थान में जहां उसकी कुर्की की गई है, ऐसे निर्णीत ऋणी या व्यक्ति के भारसाधन में उस दशा में छोड़ सकेगा जब उसने केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र सम्पत्ति को, उसकी अपेक्षा की जाने पर पेश करने के लिए लिखा हो ।

(ग) करस्थम् सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व किया जाएगा, न कि किसी अन्य समय पर।

(घ) उद्ग्रहीत करस्थम अत्यधिक नहीं होगा, अर्थात करस्थम् की गई सम्पत्ति व्यतिक्रमी से ब्याज सहित शोध्य राशि और करस्थम, निरोध और विक्रय के आनुषंगिक सभी व्ययों के यथासंभव निकटतम अनुपात में होगी ।

(ङ) यदि निर्णीत ऋणी की भूमि की फसल या इकट्ठी न की गई उपज की कुर्की की जाती है तो विक्रय अधिकारी उसका विक्रय तब करवा सकेगा जब वह काटे जाने या इकट्ठी की जाने योग्य हो या वह अपने विकल्प पर सम्यक् मौसम में उसे कटवा या इकट्ठा करवा सकेगा और विक्रय किए जाने तक उसे उचित स्थान में भंडार में रखवा सकेगा । पश्चातवर्ती दशा में, ऐसी फसल या उपज को कटवाने या इकट्ठा करने और भंडार में रखवाने का व्यय व्यतिक्रमी द्वारा उसे संपत्ति का उन्मोचन करने पर चुकाया जाएगा या यदि उसका विक्रय किया जाता है तो विक्रय आगम में से चुकाया जाएगा ।

(च) विक्रय अधिकारी करस्थम् किए गए बैलों या पशुओं से काम नहीं लेगा या करस्थम् किए गए माल या चीजबस्त का उपयोग नहीं करेगा और वह पशुओं या पशुधन के लिए आवश्यक चारे की व्यवस्था करेगा, और इस पर होने वाला व्यय स्वामी द्वारा उसके संपत्ति का उन्मोचन करने पर चुकाया जाएगा या यदि उसका विक्रय किया जाता है तो विक्रय आगम में से चुकाया जाएगा ।

(छ) यह विक्रय अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अस्तबल, गौशाला, धान्य भंडार, गोदाम, उपग्रह या अन्य भवन को बलपूर्वक खोल ले और वह किसी ऐसे निवास गृह में भी प्रवेश कर सकेगा जिसका बाहरी द्वार खुला हो और ऐसे निवास गृह के किसी कमरे का, व्यतिक्रमी की संपत्ति की, जो वहां जमा है, कुर्की करने के प्रयोजन के लिए द्वार तोड़कर खोल सकेगा, परन्तु इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय ऐसे निवास गृह के किसी कमरे को, जो जनाना या महिलाओं के निवास के लिए विनियोजित है, तोड़कर खोलना या उसमें प्रवेश करना विक्रय अधिकारी के लिए विधिपूर्ण नहीं होगा ।

(ज) जहां विक्रय अधिकारी के पास यह अनुमान लगाने का कारण है कि किसी व्यतिक्रमी की संपति किसी ऐसे निवास गृह में जिसका बाहरी द्वार बंद किया जा सकता है या महिलाओं के लिए विनियोजित किन्हीं ऐसे कमरों में, जो रूढ़ि या प्रथा के अनुसार प्राइवेट समझे जाते हैं, जमा हैं, वहां विक्रय अधिकारी निकटतम पुलिस थाने के भारसाधन अधिकारी को तथ्य अभ्यावेदित करेगा । ऐसे अभ्यावेदन पर उक्त थाने का भारसाधक अधिकारी किसी पुलिस

अधिकारी को उस स्थल पर भेजेगा जिसकी उपस्थिति में विक्रय अधिकारी ऐसे निवास गृह के बाहरी द्वार को उसी प्रकार बलपूर्वक खोल सकेगा जिस प्रकार वह गृह में जनाना के सिवाय किसी कमरे का द्वार तोड़कर खोल सकता है । विक्रय अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में जनाना के भीतर की महिलाओं को, यदि वे ऐसी हैं जो रूढ़ि या प्रथा के अनुसार लोगों के सामने नहीं आ सकती हैं, वहां से हटने की सम्यक् सूचना देने के पश्चात और उन्हें वहां से हट जाने के लिए उपयुक्त रीति से सुविधा देनें के पश्चात, निर्णीत ऋणी की उसमें ज़मा सम्पत्ति यदि कोई है, का करस्थम् करने के प्रयोजन के लिए जनाना कमरों में भी प्रवेश कर सकेगा, किन्तु ऐसी सम्पत्ति, यदि पाई जाए तो, ऐसे कमरों से तुरन्त हटा ली जाएगी, उसके पश्चात वे पूर्व अधिभोगियों के लिए छोड़ दिए जांएगें ।

(झ) विक्रय अधिकारी आशयित विक्रय के समय और स्थान की उद्घोषणा लगातार दो दिन, विक्रय के एक दिन पहले और विक्रय के दिन उस गांव या स्थान में, जिसमें निर्णीत ऋणी रहता है और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में जिन्हें विक्रय अधिकारी विक्रय के सम्यक् प्रचार के लिए आवश्यक समझे, डोंडी पिटवा कर कराएगा । कोई भी विक्रय तब तक नहीं होगा जब तक कि उस तारीख से जिसको इस उपनियम के खण्ड (क) में विहित रीति में विक्रय की सूचना की तामील की गई है, या वह निवास स्थान पर लगाई गई है, पन्द्रह दिन की अवधि समाप्त न हो गई हो :

परन्तु जहां अभिग्रहण की गई सम्पत्ति शीघ्रतया और प्राकृतिक क्षयशीलता के अधीन है या जहां उसे अभिरक्षा में रखने का खर्च उसके मूल्य से अधिक हो जाने की संभावना है, वहां विक्रय अधिकारी तब के सिवाय जब देय रकम पहले दे दी जाए, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले किसी समय उसका विक्रय कर सकेगा ।

(ञ) नियत समय पर संपत्ति एक या अधिक लाटों में, जैसा विक्रय अधिकारी उचित समझे, रखी जाएगी और उसका व्ययन सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को कर दिया जाएगा ।

परन्तु यह और कि विक्रय अधिकारी स्थगन के अपने कारणों को लेखबद्ध करते हुए विक्रय को किसी भी विनिर्दिष्ट तारीख और समय तक के लिए स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा ।

जहां कोई विक्रय सात दिन से अधिक की अवधि के लिए इस प्रकार स्थगित किया जाता है, वहां तब के सिवाय जबकि निर्णीत ऋणी उसका अधित्यजन करने के लिए अपनी सहमति दे दे, खण्ड (ञ) के अधीन नई उद्घोषणा की जाएगी ।

(ट) सम्पत्ति के लिए संदाय उसके क्रय के समय या उसके तुरन्त पश्चात उस समय नकद किया जाएगा जैसा कि विक्रय करने वाला अधिकारी नियत करे और क्रेता को सम्पत्ति के किसी भाग को ले जाने की तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि वह उसके लिए पूर्णतः संदाय नहीं कर देता । जहां क्रेता क्रय धन का संदाय करने में असफल रहता है वहां सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जाएगा ।

(ठ) जहां किसी ऐसी सम्पत्ति को, जिसकी इन नियमों के अधीन कुर्की की गई है, किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक या छुपे तौर पर हटा लिया गया है, वहां विक्रय अधिकारी ऐसी सम्पत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन, अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय से कर सकेगा। जहां न्यायालय का आवेदन में अभिकथित तथ्यों की सत्यता के बारे में समाधान हो जाता है, वहां वह ऐसी सम्पत्ति विक्रय अधिकारी को प्रत्यावर्तित की जाने के लिए तत्काल आदेश कर सकेगा ।

(ड) जहां विक्रय के लिए नियत दिन से पूर्व व्यतिक्रमी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या कुर्क की गई सम्पत्ति में किसी हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति सम्पूर्ण देय रकम का, जिसके अन्तर्गत ब्याज, बट्टा और सम्पत्ति की कुर्की करने में हुआ खर्च भी है, संदाय कर देता है, वहां विक्रय अधिकारी कुर्की के आदेश को रद्द कर देगा और सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा ।

(ढ) ऐसी जंगम सम्पत्तियां, जिनका सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 60 के परन्तुक में कुर्की से छूट प्राप्त सम्पत्तियों के रूप में वर्णन किया गया है, इन नियमों के अधीन कुर्क या विक्रय नहीं की जा सकेंगी ।

6. जहां कुर्क की जाने वाली जंगम सम्पत्ति लोक सेवक अथवा स्थानीय प्राधिकारी या फर्म या कंपनी के सेवक का वेतन या भत्ता या मजदूरी है, वहां वसूली अधिकारी विक्रय अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह आदेश कर सकेगा कि वह रकम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे वेतन या भत्तों या मजदूरी में से या तो एक संदाय में या उतनी मासिक किस्तों में जैसा वसूली अधिकारी निर्दिष्ट करे, अवधारित की जाए और आदेश प्राप्त होने पर अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसका कर्तव्य ऐसे वेतन या भत्ते या मजदूरी का संवितरण करना है, यथास्थिति, आदेश के अधीन शोध्य रकम या मासिक किस्तें अवधारित करेगा और विक्रय अधिकारी के पास भेजेगा ।

7. (i) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति ऐसी जंगम सम्पत्ति में व्यतिक्रमी के अंश या हित के रूप में है जो सहस्वामियों के रूप में उसकी और किसी अन्य की है, वहां कुर्की व्यतिक्रमी को

अपने अंश या हित का अन्तरण करने से या उसे किसी भी रूप में भारित करने से प्रतिषिद्ध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी ।

(ii) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति ऐसी परक्राम्य लिखत है, जो न्यायालय में निक्षिप्त नहीं हैं और न लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जाएगी और लिखित कुर्की का आदेश करने वाले वसूली अधिकारी के कार्यालय में लाई जाएगी और आगे वह जो आदेश करे उसके अधीन धारण की जाएगी ।

(iii) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां वह कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी से यह अनुरोध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी कि ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय होने वाला ब्याज या लाभांश उस वसूली अधिकारी के, जिसने यह सूचना निकाली है, अगले आदेशों के अधीन धारित रखा जाए ।

परन्तु जहां ऐसी सम्पत्ति किसी न्यायालय या अन्य जिले के वसूली अधिकारी की अभिरक्षा में है; वहां हक या पूर्विक्ता के बारे में कोई ऐसा प्रश्न जो डिक्रीधारक के और किसी समनुदेशन के या कुर्की के आधार पर या अन्यथा ऐसी संपत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच पैदा हो जो निर्णीत ऋणी नहीं है, ऐसे न्यायालय या वसूली अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

8 (i) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति या तो धन के संदाय की या बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय की डिक्री है, यदि वह डिक्री जिसकी कुर्की चाही गई है, केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पारित की गई थी तो कुर्की की जाएगी ।

(ii) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार खंड (i) के अधीन आदेश करता है, वहां उस डिक्रीधारक के, जिसने डिक्री कुर्क कराई है, आवेदन पर वह कुर्क की गई डिक्री का निष्पादन करने के लिए अग्रसर होगा और शुद्ध आगमों को उस डिक्री की तुष्टि में लगाएगा जिसका निष्पादन चाहा गया है ।

(iii) जिस डिक्री का निष्पादन खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की किसी अन्य डिक्री की कुर्की द्वारा चाहा गया है, उस डिक्री के धारक के बारे में यह समझा जाएगा कि वह कुर्क की गई डिक्री के धारक का प्रतिनिधि है और कुर्क की गई ऐसी डिक्री का निष्पादन ऐसी किसी भी रीति से कराने का हकदार है जो उस डिक्री के धारक के लिए विधिपूर्ण हो ।

(iv) जहां डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति खण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रकृति की डिक्री से भिन्न डिक्री है, वहां कुर्की वसूली अधिकारी द्वारा ऐसी डिक्री के धारक को ऐसी सूचना देकर की जाएगी कि वह उसे किसी भी प्रकार अन्तरित या भारित न करे ।

(v) इस उपनियम के अधीन कुर्क की गई डिक्री का धारक डिक्री का निष्पादन करने वाले वसूली अधिकारी को ऐसी जानकारी और सहायता देगा जो युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो ।

(vi) जिस डिक्री का निष्पादन किसी अन्य डिक्री की कुर्की द्वारा चाहा गया है उस डिक्री के धारक के आवेदन पर वह वसूली अधिकारी जो इस उपनियम के अधीन कुर्की का आदेश करे, ऐसे आदेश की सूचना उस निर्णीत ऋणी को देगा जो कुर्क की गई डिक्री से आबद्ध है और कुर्क की गई डिक्री के किसी भी ऐसे संदाय या समायोजन को जो ऐसे निर्णीत ऋणी द्वारा ऐसे आदेश के उल्लंघन में उसकी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् या तो उक्त वसूली अधिकारी की मार्फत या अन्यथा किया गया है, उस समय तक मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक कि कुर्की प्रवृत्त रहती है ।

9. जहां कुर्क की जाने वाली जंगम सम्पत्ति -

(क) प्रश्नगत निर्णीत ऋणी को शोध्य कोई ऋण है,

(ख) किसी निगम की पूंजी का अंश या उसमें विनिहित कोई निक्षेप है, या

(ग) किसी सिविल न्यायालय में निक्षिप्त या उसकी अभिरक्षा में की संपत्ति के सिवाय कोई अन्य ऐसी जंगम सम्पत्ति है जो निर्णीत ऋणी के कब्जे में नहीं है ।

वहां कुर्की वसूली अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, जिसमें -

(i) ऋण की दशा में, लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उस ऋण को चुकाने से ;

(ii) अंश या निक्षेप की दशा में, उस व्यक्ति को जिसके नाम में अंश या निक्षेप उस समय दर्ज है उस अंश या निक्षेप को अंतरित करने से या उस पर के किसी लाभांश या ब्याज को प्राप्त करने से, और

(iii) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह है उसे निर्णीत ऋणी को देने से; प्रतिषिद्ध किया जाएगा ।

ऐसे आदेश की एक प्रति ऋण की दशा में ऋणी को, अंश या निक्षेप की दशा में निगम के उचित अधिकारी को और अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी । खंड (क) में निर्दिष्ट ऋण या खंड (ख) में निर्दिष्ट निक्षेप के परिपक्व होते ही वसूली अधिकारी संबंधित व्यक्ति को रकम का उसे संदाय करने का निदेश देगा । जहां अंश प्रत्याहरणीय नहीं हैं वहां वसूली अधिकारी किसी दलाल की मार्फत उसके विक्रय की व्यवस्था करेगा । जहां अंश प्रत्याहरणीय है वहां उसके मूल्य का संदाय वसूली अधिकारी या खंड (ग) में निर्दिष्ट पक्षकार को किया जाएगा । खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में संबंधित व्यक्ति इसके व्यतिक्रमी को परिदान करने योग्य होने पर इसे वसूली अधिकारी को सौंप देगा ।

(10) स्थावर संपत्ति का डिक्री के निष्पादन में तब तक विक्रय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति की पहले ही कुर्की न की गई हो :

परन्तु जहां डिक्री ऐसी सम्पत्ति के बंधक के आधार पर प्राप्त की गई है वहां उसकी कुर्की करना आवश्यक नहीं होगा ।

(11) स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय या कुर्की के बिना विक्रय में निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा , अर्थात :-

(क) उपनियम(2) के अधीन पेश किए गए आवेदन में उस स्थावर सम्पत्ति का, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, ऐसा वर्णन जो उसे पहचानने के लिए पर्याप्त है और उस दशा में जिसमें ऐसी सम्पत्ति सीमाओं द्वारा या भू-व्यवस्थापन या सर्वेक्षण के अभिलेख के संख्यांकों के द्वारा पहचानी जा सकती हो, ऐसी सीमाओं और संख्यांकों का विनिर्देश और निर्णीत ऋणी का ऐसी सम्पत्ति में जो अंश या हित आवेदक के सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार है और जहां तक वह उसका अभिनिश्चय कर पाया है वहां तक उस अंश या हित का विनिर्देश होगा ।

(ख) उपनियम (3) के अधीन वसूली अधिकारी द्वारा जारी किए गए मांग-पत्र में निर्णीत ऋणी का नाम, शोध्य रकम जिसके अन्तर्गत व्यय, यदि कोई है, और मांगपत्र की तामील करने वाले व्यक्ति को संदत्त किया जाने वाला बट्टा भी है, संदाय के लिए अनुज्ञात समय और संदाय न करने की दशा में, यथास्थिति, कुर्क और विक्रय की जाने वाली या कुर्क के बिना विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों की विशिष्टियां होंगी । मांगपत्र की प्राप्ति पर विक्रय अधिकारी मांगपत्र की एक प्रति की तामील निर्णीत ऋणी पर या उसके प्रायिक निवास स्थान पर उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष सदस्य पर या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर करेगा या करायेगा या यदि ऐसी

व्यक्तिगत तामील संभव नहीं है तो, यथास्थिति, कुर्क और विक्रय या कुर्क के बिना विक्रय की जाने वाली ऐसी स्थावर सम्पत्ति के किसी सहज दृश्यभाग पर उसकी एक प्रति लगाकर करेगा या कराएगा :

परन्तु जहां विक्रय अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई निर्णीत ऋणी अपने विरुद्ध चल रही निष्पादन कार्यवाही को विफल करने या उसमें विलम्ब करने के आशय से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है वहां वसूली अधिकारी द्वारा उपनियम (3) के अधीन जारी की गई मांग सूचना में निर्णीत ऋणी को उसके द्वारा देय रकम के संदाय के लिए कोई समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और निर्णीत ऋणी की संपत्ति तत्काल कुर्क कर ली जाएगी ।

(ग) यदि निर्णीत ऋणी अनुज्ञात समय के भीतर मांग सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो विक्रय अधिकारी निष्पादन के आवेदन में वर्णित स्थावर सम्पत्ति को, यथास्थिति, कुर्क और विक्रय करने या कुर्की के बिना विक्रय करने के लिए निम्नलिखित रीति से कार्यवाही करेगा ।

(घ) जहां कुर्की विक्रय से पहले अपेक्षित है, वहां विक्रय अधिकारी, यदि संभव है तो कुर्की की सूचना की तामील स्वयं निर्णीत ऋणी पर कराएगा । जहां व्यक्तिगत तामील संभव न हो वहां सूचना निर्णीत ऋणी के अंतिम ज्ञात निवास स्थान , यदि कोई है, के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी । कुर्की के तथ्य की उद्घोषणा ऐसी संपत्ति के या उसके पार्श्व में किसी स्थान पर और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में जिन्हें वसूली अधिकारी विक्रय के सम्यक् प्रचार के लिए आवश्यक समझे, डोंडी पिटवा कर या अन्य रूढ़िक ढंग से भी की जाएगी । कुर्की की सूचना में यह उपवर्णित होगा कि यदि सूचना में उल्लिखित तारीख के भीतर देय रकम, उस पर ब्याज के और व्यय सहित न दी गई तो संपत्ति विक्रय के लिए लाई जाएगी । कुर्की की सूचना की एक प्रति डिक्रीधारक को भेजी जाएगी । जहां विक्रय अधिकारी ऐसा निदेश दे, वहां कुर्की को राजपत्र में सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा भी अधिसूचित किया जाएगा ।

(ङ) विक्रय की उद्घोषणा विक्रय के लिए नियत तारीख से कम से कम तीस दिन पहले वसूली अधिकारी के कार्यालय में और तालुक कार्यालय में सूचना लगाकर प्रकाशित की जाएगी और (विक्रय की तारीख से पहले लगातार दो दिन तक और विक्रय के प्रारंभ होने के पूर्व विक्रय की तारीख को) गांव में डोंडी भी पिटवाई जाएगी । ऐसी उद्घोषणा वहां जहां कुर्की विक्रय के पूर्व की जानी अपेक्षित है, कुर्की की जाने के पश्चात की जाएगी । डिक्रीधारक और निर्णीत ऋणी को भी सूचना दी जाएगी । उद्घोषणा में विक्रय का समय और स्थान कथित होगा और निम्नलिखित बातें यथासंभव ऋजुता और यथार्थता से विनिर्दिष्ट होंगी --

(i) वह सम्पत्ति जिसका विक्रय किया जाना है;

(ii) कोई विल्लंगम जिसके लिए वह सम्पत्तिदायी है :

(iii) वह रकम जिसकी वसूली के लिए विक्रय आदिष्ट किया गया है; और

(iv) प्रत्येक ऐसी अन्य बात जिसके बारे में विक्रय अधिकारी का विचार है कि सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य का निर्णय करने के लिए उसकी जानकारी क्रेता के लिए तात्विक है।

(च) जब किसी स्थावर संपत्ति का इन नियमों के अधीन विक्रय किया जाता है, तब विक्रय यदि संपत्ति पर पूर्व विल्लंगम है तो उसके अधीन रहते हुए किया जाएगा । डिक्रीधारक जब वह रकम, जिसकी वसूली के लिए विक्रय किया जाता है, एक सौ रुपये से अधिक है तब उस संपत्ति की, जिसका विक्रय चाहा गया है, कुर्की की तारीख से पूर्व या उपनियम (10) के परंतुक के अंतर्गत आने वाले मामलों में निष्पादन के आवेदन की तारीख से पूर्व कम से कम बारह मास की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण विभाग से विल्लंगम प्रमाणपत्र विक्रय अधिकारी को उतने समय के भीतर देगा जितना उसके द्वारा या वसूली अधिकारी द्वारा नियत किया जाए । विल्लंगम प्रमाणपत्र पेश करने का समय, यथास्थिति, विक्रय अधिकारी या वसूली अधिकारी के स्वविवेकानुसार बढ़ाया जा सकेगा। विक्रय लोक नीलामी द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को किया जाएगा :

परन्तु विक्रय अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह प्रस्तावित कीमत के असम्यक् रूप से कम प्रतीत होने पर या अन्य समुचित कारणों से ऊंची बोली को इन्कार कर दे :

परन्तु यह और कि वसूली अधिकारी या विक्रय अधिकारी स्थगन के अपने कारणों को लेखबद्ध करते हुए विक्रय को किसी भी विनिर्दिष्ट दिन और घंटे तक के लिए स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा । जहां विक्रय सात दिन से अधिक की अवधि के लिए इस प्रकार स्थगित किया जाता है, वहां तब के सिवाय जब कि निर्णीत ऋणी उसका अधित्यजन करने के लिए अपनी सहमति दे दे, खंड (ङ) के अधीन नई उद्घोषणा की जाएगी । विक्रय उस तारीख से, जिसको उद्घोषणा की सूचना वसूली अधिकारी के कार्यालय में लगाई गई थी, गणना करके कम से कम तीस दिन के अवसान के पश्चात किया जाएगा । विक्रय का समय और स्थान वह ग्राम होगा जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति स्थित है या उस ग्राम से लगा सार्वजनिक समागम का ऐसा प्रमुख स्थान होगा जिसे वसूली अधिकारी नियत करे :

परन्तु यह भी कि ऐसे मामलों में जहां संबंधित अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण विल्लंगम प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता; वहां विल्लंगम प्रमाणपत्र के स्थान पर ग्राम के

पटवारी से या उस तत्स्थानी अधिकारी से, जिसे ऐसे विल्लंगम के संबंध में जानकारी है, एक शपथपत्र जो रजिस्ट्रीकरण विभाग से इस प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित हो कि संबंधित अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण विल्लंगम प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता, स्वीकार किया जाएगा ।

(छ) स्थावर सम्पत्ति की कीमत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर धनराशि का निक्षेप क्रेता द्वारा विक्रय अधिकारी को क्रय के समय किया जाएगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर उस संपति का तत्क्षण पुनः विक्रय किया जाएगा :

परन्तु जहां डिक्रीधारक क्रेता है और क्रय धन को खंड(ट) के अधीन मुजरा करने का हकदार है, वहां विक्रय अधिकारी इस खंड की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकेगा ।

(ज) क्रय धन की शेष राशि और विक्रय प्रमाण-पत्र के लिए साधारण स्टाम्प के लिए अपेक्षित रकम का संदाय विक्रय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा :

परन्तु स्टाम्प के खर्चों का संदाय करने के लिए समय, अच्छे और पर्याप्त कारणों से विक्रय की तारीख से तीस दिन तक के लिए वसूली अधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन संदत्त की जाने वाली रकम की गणना करने में क्रेता किसी भी ऐसे मुजरा का फायदा उठा सकेगा जिसका वह खंड (ट) के अधीन हकदार हो ।

(झ) खंड(ज) में वर्णित अवधि के भीतर संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर निक्षेप, यदि वसूली अधिकारी ठीक समझे तो विक्रय के व्ययों को काटने के पश्चात केन्द्रीय सरकार को समपहृत किया जा सकेगा और उस संपत्ति पर या जिस राशि के लिए उसका तत्पश्चात विक्रय किया जाए उसके किसी भाग पर व्यतिक्रम करने वाले क्रेता के सभी दावे समपहृत हो जाएंगे ।

(ञ) स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक पुनः विक्रय, जो खंड (ज) में वर्णित रकम का संदाय उस अवधि के भीतर करने में जो ऐसे संदाय के लिए अनुज्ञात है, व्यतिक्रम के कारण होना हो, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए जो विक्रय के लिए इसमें इसके पूर्व विहित की गई है, नई उद्घोषणा निकालने के पश्चात किया जाएगा ।

(ट) जहां डिक्रीधारक सम्पत्ति का क्रय करता है, वहां क्रय धन और डिक्री मद्धे शोध्य राशि एक दूसरे के विरुद्ध मुजरा की जा सकेगी और विक्रय अधिकारी तदनुसार डिक्री की पूर्णतः या भागतः तुष्टि की प्रविष्टि करेगा ।

(12) जहां विक्रय के लिए नियत तारीख से पूर्व व्यतिक्रमी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या जिस संपत्ति का विक्रय चाहा गया है, उसमें हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति ब्याज, भत्ते और संपत्ति को विक्रय में लाने के लिए हुए अन्य व्ययों सहित, जिसके अंतर्गत कुर्की, यदि कोई है, का व्यय भी है, संपूर्ण शोध्य राशि का, संदाय करता है, वहां विक्रय अधिकारी जहां संपत्ति की कुर्की कर ली गई हो, कुर्की आदेश को रद्द करने के पश्चात संपत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा ।

(13) (क) जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय अधिकारी द्वारा विक्रय किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विक्रय से पूर्व अर्जित हक के आधार पर या तो ऐसी संपत्ति का स्वामी है या उसमें कोई हित रखता है,

(i) क्रय धन के पांच प्रतिशत के बराबर रकम क्रेता को संदत्त किए जाने के लिए, और

(ii) विक्रय की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट ऐसी बकाया रकम, जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया गया था, उस पर ब्याज और कुर्की, यदि कोई हो, और विक्रय के व्यय तथा ऐसी रकम की बाबत देय अन्य खर्च सहित, जिसमें से वह रकम जो ऐसी उद्घोषणा की तारीख से लेकर तब तक डिक्रीधारक को प्राप्त हो चुकी हो, घटाकर वसूली अधिकारी के पास निक्षिप्त करने पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ख) यदि ऐसा निक्षेप और आवेदन विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाता है तो वसूली अधिकारी विक्रय को अपास्त करते हुए आदेश पारित करेगा और क्रेता को आवेदक द्वारा निक्षिप्त पांच प्रतिशत सहित क्रय धन का, जहां तक उसका निक्षेप किया गया है, प्रतिसंदाय करेगा;

परन्तु यदि इस उपनियम के अधीन एक से अधिक व्यक्ति ने निक्षेप और आवेदन किया है तो उस निक्षेपक का आवेदन स्वीकार किया जाएगा जिसने विक्रय को अपास्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को सबसे पहले आवेदन किया था ।

(ग) यदि कोई व्यक्ति स्थावर संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने के लिए उपनियम (14) के अधीन आवेदन करता है तो वह इस उपनियम के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

(14) (i) स्थावर संपत्ति के विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय डिक्रीधारक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो आस्तियों के आनुपातिक वितरण में अंश पाने का हकदार है या जिसके हित विक्रय के द्वारा प्रभावित हुए हैं, विक्रय को उसके प्रकाशन या संचालन में हुई तात्विक अनियमितता या भूल या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए वसूली अधिकारी से आवेदन कर सकेगा :

परन्तु कोई भी विक्रय तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वसूली अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी अनियमितता, भूल या कपट के कारण आवेदक को सारवान क्षति हुई है ।

(ii) यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो वसूली अधिकारी विक्रय को अपास्त कर देगा और फिर से विक्रय के लिए निदेश दे सकेगा ।

(iii) यदि विक्रय की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया जाता है या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और वह अनुज्ञात नहीं किया गया है तो वसूली अधिकारी विक्रय को पुष्ट करने वाला आदेश करेगा :

परन्तु यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि विक्रय को इस बात के होते हुए भी कि ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया है या किए गए और अस्वीकार कर दिए गए आवेदन में अधिकथित आधारों से भिन्न आधारों पर अपास्त कर दिया जाना चाहिए तो वह अपने कारण लेखबद्ध करने के पश्चात विक्रय को अपास्त कर सकेगा ।

(iv) जब कभी किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय की इस प्रकार पुष्टि नहीं की जाती है या वह अपास्त कर दिया जाता है तो, यथास्थिति, निक्षेप या क्रय धन क्रेता को वापस कर दिया जाएगा।

(v) किसी ऐसे विक्रय की पुष्टि के पश्चात वसूली अधिकारी क्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र देगा जिस पर उसकी मुद्रा और हस्ताक्षर होंगे और ऐसे प्रमाणपत्र में विक्रीत संपत्ति और क्रेता का नाम कथित होगा और यह उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों में, जहां इसे साबित करना आवश्यक हो, क्रय के तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा और वसूली अधिकारी की मुद्रा या उसके हस्ताक्षर को साबित करना तब आवश्यक होगा जब उस प्राधिकारी के पास जिसके समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया है, उसकी असलियत के विषय में संदेह होने का कारण हो ।

(vi) इस उपनियम के अधीन किया गया आदेश अन्तिम होगा और किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा ।

(15) जहां स्थावर संपत्ति के किसी विधिपूर्ण क्रेता का क्रय की गई स्थावर संपत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपनी ओर से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए सद्भावपूर्वक दावा करने वाले व्यक्ति (जो निर्णीत ऋणी नहीं है) से भिन्न है, प्रतिरोध किया जाता है या उसे रोका जाता है, वहां सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय आवेदन पर और उपनियम (14) द्वारा उपबंधित विक्रय प्रमाणपत्र के पेश करने पर ऐसे क्रेता को कब्जा दिलाने के प्रयोजन के लिए उचित आदेशिका उसी रीति से निकलवाएगा मानो क्रय की गई स्थावर संपत्ति की क्रेता को न्यायालय के विनिश्चय द्वारा डिक्री की गई हो ।

(16) यह विक्रय अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह निर्णीत ऋणी की संपूर्ण स्थावर संपत्ति या उसके किसी भाग का शोध्य धन के उन्मोचन में विक्रय कर दे:

परन्तु जहां तक हो सके स्थावर संपत्ति के उतने से अधिक भाग या खंड का विक्रय नहीं किया जाएगा जितना ब्याज सहित शोध्य धन और कुर्की और विक्रय के व्यय के उन्मोचन के लिए पर्याप्त हो ।

(17) इन नियमों के अधीन सूचना या अन्य आदेशिका की तामील करने में नियोजित व्यक्ति ऐसी दरों से बट्टा के हकदार होंगे जो वसूली अधिकारी समय-समय पर नियत करे।

(18) जहां इस नियम के अधीन जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय या स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय या कुर्की के बिना विक्रय के संबंध में उपगत खर्च और प्रभार, यथास्थिति, निर्णीत ऋणी द्वारा संदत्त धनराशि, या विक्रीत सम्पत्ति के विक्रय आगम से लागत जमा राशि अधिक है तो यथास्थिति, बाकी रकम डिक्रीधारक को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(19) ऐसे किसी शोध्य धन, जिसकी वसूली के लिए इस नियम के अधीन आवेदन किया गया है, के मद्दे संदाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस रकम के लिए विक्रय अधिकारी द्वारा या वसूली अधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस रकम के लिए रसीद का हकदार होगा ; ऐसी रसीद में संदाय करने वाले व्यक्ति का नाम और वह विषय वस्तु, जिसकी बाबत संदाय किया गया है, कथित होंगी ।

(20)(क) जहां इस नियम के अधीन कुर्क की गई सम्पत्ति पर कोई दावा या उसकी कुर्की के बारे में कोई आक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि ऐसी सम्पत्ति ऐसे कुर्क किए जाने के दायित्व

के अधीन नहीं है, वहां विक्रय अधिकारी ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और उसका गुणागुण के आधार पर निपटान करेगाः

परन्तु ऐसा अन्वेषण तब नहीं किया जाएगा जब विक्रय अधिकारी यह समझता है कि ऐसा दावा या आक्षेप तुच्छ है ।

(ख) जहां वह सम्पत्ति, जिसके बारे में दावा या आक्षेप किया गया है, विक्रय के लिए विज्ञापित की जा चुकी है, वहां विक्रय अधिकारी दावे या आक्षेप के अन्वेषण तक के लिए विक्रय को मुल्तवी कर सकेगा ।

(ग) जहां कोई दावा या आक्षेप किया जाता है, वहां वह पक्षकार, जिसके विरूद्ध कोई आदेश किया जाता है, उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए, जिसके लिए वह विवादग्रस्त सम्पत्ति में दावा करता है, वाद संस्थित कर सकेगा, किन्तु ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए आदेश निश्चायक होगा ।

(21) (i) क्रेता के व्यतिक्रम के कारण उपनियम (11) के खंड (ञ) के अधीन किए गए पुनर्विक्रय में कीमत की जो कमी हो जाए, और ऐसे पुनर्विक्रय में हुए सब व्यय विक्रय-अधिकारी या वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे और वह व्यतिक्रम करने वाले क्रेता से या तो डिक्रीधारक या निर्णीत ऋणी की प्रेरणा पर इस नियम के उपबंधों के अधीन वसूलीय होंगे । ऐसी वसूली के आनुषंगिक खर्च, यदि कोई हों, व्यतिक्रम करने वाला क्रेता वहन करेगा ।

(ii) जहां सम्पत्ति का दूसरी बार विक्रय उसके पहली बार विक्रय से अधिक कीमत पर किया गया है, वहां पहली बार विक्रय के व्यतिक्रमी क्रेता का अंतर या वृद्धि पर कोई दावा नहीं होगा ।

(22) जहां कोई सम्पत्ति किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क कर ली गई है किन्तु डिक्रीधारक के व्यतिक्रम के कारण वसूली अधिकारी निष्पादन के आवेदन पर आगे कार्यवाही करने में असमर्थ है, वहां वह या तो आवेदन को खारिज कर देगा या किसी पर्याप्त कारण से कार्यवाही को किसी अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर देगा । ऐसे आवेदन के खारिज किये जाने पर कुर्की समाप्त हो जाएगी ।

(23) जहां आस्तियां विक्रय अधिकारी द्वारा धारित हैं और ऐसी आस्तियों की अभिप्राप्ति से पूर्व ऐसी डिक्री के, जो एक ही व्यतिक्रमी के विरूद्ध है, निष्पादन के लिए आवेदन के अनुसरण में मांग

सूचना एक से अधिक डिक्रीधारकों से प्राप्त हुई है और डिक्रीधारकों ने तुष्टि अभिप्राप्त नहीं की है, वहां वसूली के खर्चों को काटने के पश्चात आस्तियां विक्रय अधिकारी द्वारा ऐसे सभी डिक्रीधारकों के बीच सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 73 में उपबंधित रीति से आनुपातिक रूप में वितरित की जाएंगी ।

(24) जहां किसी व्यतिक्रमी की डिक्री की पूर्णतः तुष्टि से पहले मृत्यु हो जाती है, वहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध किया जा सकेगा और तदुपरि इस नियम के सभी उपबंध, इस उपनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ऐसे लागू होगा मानो ऐसा विधिक प्रतिनिधि निर्णीत ऋणी है जहां डिक्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध निष्पादित की जाती है, वहां वह मृतक की सम्पत्ति के उस विस्तार तक दायी होगा जिस तक सम्पत्ति उसके पास आती है और जिसका सम्यक रूप से व्ययन नहीं किया गया है ; और डिक्री का निष्पादन करने वाला वसूली अधिकारी ऐसे दायित्व का अभिनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या डिक्रीधारक के आवेदन पर ऐसे विधिक प्रतिनिधि को ऐसे लेखे जो वह ठीक समझे, प्रस्तुत करने के लिए विवश कर सकेगा ।

38. निरसन और व्यावृत्ति

(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निदेश और प्रबंध, विवादों का निपटारा, अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1985 और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्ति और निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा, परिसमापन तथा डिक्रियां, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों में किसी नियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, जब तक कि ऐसी कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

1 बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड के निर्वाचनों के संचालन की बाबत प्रक्रिया- (क) पदस्थ निदेशक बोर्ड अपनी पदावधि की समाप्ति की तारीख से कम से कम ठीक साठ दिन पहले अपना अधिवेशन करेगा और एक संकल्प द्वारा अपने उत्तरवर्ती बोर्ड के निर्वाचन के संचालन के लिए साधारण निकाय का अधिवेशन आयोजित करने की तारीख, समय और स्थान अवधारित करेगा । यह उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को भी लागू होगा, जो धारा 123 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए प्रशासक के भारसाधन में है । इस बैठक में निदेशक बोर्ड एक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति भी करेगा।

(ख) पैरा (क) में निर्दिष्ट विनिश्चय की एक प्रति तुरन्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।

(ग) पैरा (क) के अधीन नियुक्त रिटर्निंग आफिसर,इसके शीघ्र पश्चात, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को साधारण अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की बाबत स्थानीय वितरण द्वारा या डाक प्रमाण पत्र के अधीन संसूचित करेगा । जहां अन्य सहकारी सोसाइटियां या बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां सदस्य हैं, वहां रिटर्निंग आफिसर ऐसी सोसाइटियों से अपने अध्यक्ष या सभापति या मुख्य कार्यपालक ऐसी सहकारी सोसाइटी या अन्य ,बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का सम्यक् रूप से प्राधिकृत सदस्य का नाम धारा 38 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रतिनिधि के रूप में, (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिनिधि कहा गया है) तथा सोसाइटी के बोर्ड के संकल्प और अध्यक्ष या सभापति या मुख्य कार्यपालक या बोर्ड का सम्यक् रूप से प्राधिकृत सदस्य के सम्यक् रूप से सत्यापित और सोसाइटी की मुद्रायुक्त हस्ताक्षरों के नमूने भेजने की मांग करेगा जिससे कि वे साधारण अधिवेशन के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम ठीक इक्कीस दिन पूर्व उसके पास पहुंच जाएं । यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी या अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई बोर्ड नहीं है तो उसका प्रशासक, या यदि एक से अधिक प्रशासक हैं, तो सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रशासक वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लिखित में और अपने हस्ताक्षर से रिटर्निंग अफिसर को साधारण अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कम से कम ठीक इक्कीस दिन पूर्व यह संसूचित करेगा कि साधारण अधिवेशन में वह या मुख्य कार्यपालक ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करेगा । यदि नियत तारीख तक, प्रत्यायोजित व्यक्ति का नाम सूचित करते हुए ऐसा कोई संकल्प या संसूचना प्राप्त नहीं

होती है या जहां प्रत्यायोजित व्यक्ति के नाम में किसी परिवर्तन की कोई संसूचना ऐसी तारीख के पश्चात प्राप्त होती है तो वह सदस्य सोसाइटियों के सदस्यों या प्रतिनिधियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे प्रत्येक साधारण अधिवेशन के लिए जिसमें निर्वाचन आयोजित किए जाएंगे, नया संकल्प अपेक्षित होगा ।

(घ) पदस्थ निदेशक बोर्ड या प्रशासक का, जैसी भी स्थिति हो, यह कर्तव्य होगा कि वह सदस्यों के रजिस्टर को और ऐसे अन्य रजिस्टरों को जिनकी रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपेक्षा की जाए, अद्यतन रखे और निर्वाचन के प्रयोजन के लिए साधारण अधिवेशन के लिए नियत की गई तारीख से तीस दिन पहले ऐसे अभिलेखों, रजिस्टर या रजिस्टरों को रिटर्निंग आफिसर को सौंप दें ।

(ङ) निर्वाचन, इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए सोसाइटी के ऐसे साधारण अधिवेशन में किया जाएगा जिसकी सदस्यों को कम से कम चौदह दिन की सूचना दी गई हो । ऐसे निर्वाचन तब होंगे जब कार्यसूची में सम्मिलित सभी अन्य विषयों पर विचार कर लिया जाए । निर्वाचनों के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(च) साधारण अधिवेशन की सूचना सदस्यों को निम्नलिखित रीतियों में से किसी भी रीति से भेजी जाएगी, अर्थात् ; -

(i) स्थानीय वितरण द्वारा; या

(ii) डाक प्रमाण पत्र के अधीन ; या

(iii) व्यापक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा ।

(छ) साधारण अधिवेशन की सूचना बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और उसकी शाखाओं, यदि कोई हैं, के सूचना पट्ट पर भी चिपकाई जाएगी । सूचना में निम्नलिखित के बारे में जानकारी होगी :-

(i) निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या;

(ii) उस निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार (जो इन उपविधियों में विनिर्दिष्ट है), जिससे सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है ;

(iii) बोर्ड की सदस्यता के लिए उपविधियों में विनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी अर्हताएं, यदि कोई हैं ;

(iv) रिटर्निंग आफिसर का नाम, वह तारीख, स्थान और अवधि जिसको, जहां और जिसके बीच सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र फाइल किए जाएंगे । यह तारीख निर्वाचन के लिए नियत की गई तारीख से ठीक एक दिन से कम पूर्व की नहीं होगी या यदि वह दिन अवकाश का दिन है तो उसके पूर्ववर्ती दिन होगी जो लोक अवकाश का दिन न हो ।

स्पष्टीकरण : इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए "लोक अवकाश दिन" पद से वह दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के अधीन लोक अवकाश दिन घोषित किया गया है या वह दिन अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यालयों के लिए अवकाश दिन के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(v) वह तारीख, जिसको और वह समय व स्थान जिस पर नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएंगी ;

(vi) वह तारीख और समय जिसको, और वह स्थान जिस पर, तथा वह अवधि जिसके बीच, मतदान होगा ।

2. **सदस्यों/प्रतिनिधियों की सूची की तैयारी** - (क) रिटर्निंग आफिसर मतदान के लिए नियत तारीख के 30 दिन पूर्व उस तारीख को मत देने के पात्र सदस्यों की एक सूची तैयार करेगा और सूची की प्रतियां सोसाइटी के कारबार के मुख्य स्थान और उसकी सभी शाखाओं, यदि कोई हों,के सूचना पट्टों पर चिपकाकर निर्वाचन के लिए नियत तारीख के पन्द्रह दिन से अन्यून पूर्व, प्रकाशित की जाएगी। सूची में यह विनिर्दिष्ट होगा :-

(i) सदस्य की प्रवेश संख्या और उसका नाम,पिता या पति का नाम, और व्यष्टिक सदस्य की दशा में, ऐसे सदस्य का पता; तथा

(ii) प्रवेश संख्या, सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रस्तावित प्रतिनिधि का नाम, यदि सोसाइटी का सदस्य है ।

(iii) प्रवेश संख्या, सोसाइटी का नाम, प्रतिनिधि का नाम तथा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, सदस्य सोसाइटी के मामले में जिसका प्रतिनिधित्व किया जाना प्रस्तावित है, प्रवेश संख्या, प्रतिनिधि का नाम और निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जहां धारा 38 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक लघु निकाय का गठन किया गया है।

(ख) सोसाइटी सदस्य को, ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,सूची की प्रति देगी । जहां कोई फीस विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो,वहां सोसाइटी की उपविधियों में यथा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी सूची दस रुपए की रकम का संदाय करने पर देगा ।

(ग) रिटर्निंग आफिसर एक निर्वाचन कार्यक्रम भी तैयार करेगा जिसमें नामांकन पत्रों के प्राप्ति की तारीख और समय, नामांकन-पत्रों की संवीक्षा, नामांकन को वापस लेने, मतदान, यदि अपेक्षित हो, और परिणाम की घोषणा से संबंधित बातें विनिर्दिष्ट होंगी । निर्वाचन की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम को सोसाइटी के सूचना पट्ट पर दर्शाया जाएगा और स्थानीय समाचार पत्र में इसे प्रकाशित किया जाएगा ।

3. **अभ्यर्थियों का नामांकन** --(क) निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन, नामांकन प्ररूप 3 में किया जाएगा जो रिटर्निंग आफिसर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी सदस्य को आवेदन करने पर निःशुल्क दिया जाएगा ।

(ख) प्रत्येक नामांकन पत्र पर ऐसे दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिनके नाम सदस्यों या प्रतिनिधियों की सूची में सम्मिलित हैं । सदस्यों में से एक प्ररूप पर नामांकन के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेगा और दूसरा समर्थक के रूप में । नामांकन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा भी होगी जिसमें निर्वाचन के लिए खड़े होने की उसकी रजामंदी अभिव्यक्त की गई हो ।

(ग) प्रत्येक नामांकन पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक से, पावती सहित, रिटर्निंग आफिसर को, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह उसके पास निर्वाचन कार्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट तारीख और समय से पहले पहुंच सके । रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी जो नामांकन पत्र प्राप्त करता है, नामांकन पत्र पर उसका क्रम संख्यांक दर्ज करेगा और वह तारीख और समय, जब नामांकन पत्र उससे प्राप्त किया है, प्रमाणित करेगा और नामांकन पत्र की प्राप्ति स्वीकृति तत्काल लिखित में देगा, यदि नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है और उस पर सोसाइटी की सील भी लगी होगी । रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्र प्राप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने पर उसके द्वारा प्राप्त नामांकन-पत्रों की सूची तैयार करेगा और सोसाइटी के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । कोई भी नामांकन पत्र जो उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय पर या

उसके पहले परिदत्त नहीं किया जाता या प्राप्त नहीं होता, रद्द किया जाएगा ।

(घ) किसी व्यक्ति को, बोर्ड में किसी पद को भरने के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा ; यदि --

(i) वह मतदान के लिए पात्र नहीं है ;

(ii) वह अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन सदस्य या प्रतिनिधि या बोर्ड का सदस्य होने के लिए निरर्हित है; और

(iii) उसके पास बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएं नहीं हैं ।

4. **नामांकन पत्रों की संवीक्षा** :- (क) (i) रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन को, नियत समय पर नामांकन पत्रों की संवीक्षा आरंभ करेगा । अभ्यर्थी या प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक उस समय और स्थान पर उपस्थित रह सकता है जब नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाती है।

(ii) रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्र की परीक्षा करेगा और उन आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो नामांकन की बाबत किसी अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा किए जाते हैं और ऐसे आक्षेप पर, या स्वप्रेरणा से, तथा ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझता है, किसी नामांकन पत्र को या तो स्वीकार कर सकता है या रद्द कर सकता है ;

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नामांकन पत्र केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसमें उसके नाम का या उसके प्रस्तावकर्ता या समर्थक के नाम का वर्णन या अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या समर्थक से संबंधित कोई अन्य विशिष्टियां जैसी पैरा 4 (क) में निर्दिष्ट सदस्यों की सूची में यथा प्रविष्टि के अनुसार असत्य है यदि उस अभ्यर्थी, प्रस्तावक की या समर्थक की पहचान उचित संदेह के परे निश्चित हो जाती है ।

(iii) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार या रद्द करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामांकन पत्र रद्द किया जाता है तो वह ऐसे रद्दकरण के अपने आधारों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में दर्ज करेगा ।

(iv) रिटर्निंग आफिसर कार्यवाहियों का कोई भी स्थगन अनुज्ञात नहीं करेगा सिवाय तब जब कार्यवाहियों में बलवे या दंगे के कारण, या ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण से परे है, कोई विघ्न या व्यवधान पड़ जाता है ।

(v) रिटर्निंग आफिसर द्वारा यथा विनिश्चित विधि मान्य नामांकनपत्रों की सूची सोसाइटी के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जाएगी । सूची में अभ्यर्थियों के वर्णानुक्रम से नाम और पते जैसे कि नामांकन पत्र में दिए गए हों, उसी दिन जिस दिन नामांकन पत्र की संवीक्षा पूरी होती है, अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाएंगे ।

(ख) कोई भी अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर से, लिखित सूचना द्वारा, जो उसके द्वारा स्वयं या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय किन्तु निर्वाचन कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट नाम वापसी की तारीख और समय से पूर्व परिदत्त की जाती है, अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है । अभ्यर्थिता, वापसी की सूचना देने के पश्चात वापस नहीं ली जा सकेगी ।

5. **मतदान** -(क) यदि किसी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जिसके लिए निर्वाचन आयोजित किया जाना है, उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके नामांकन पत्र विधिमान्य घोषित किए गए हैं, उस क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नहीं हैं, तो रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बुलाए गए साधारण अधिवेशन में उन्हें बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप में निर्वाचित घोषित करेगा । यदि उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके नामांकन-पत्र विधिमान्य हैं, किसी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित की जाने वाली संख्या से अधिक हैं तो रिटर्निंग आफिसर इस प्रयोजन के लिए नियत की गई तारीख को और समय पर मतदान के लिए व्यवस्था करेगा । रिटर्निंग आफिसर उतने मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह मतदान कराने के लिए आवश्यक हो ।

(ख) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 4 में पत्र द्वारा मतदान के स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, मतदाताओं की पहचान हेतु और मतदान पर ध्यान रखने के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है । ऐसे पत्र में संबंधित अभिकर्ता की लिखित सहमति होनी चाहिए ।

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर, जहां निर्वाचन का संचालन किया जाना है, मतदान की संयाचना प्रतिषिद्ध होगी ।

(घ) रिटर्निंग आफिसर मतदान के प्रारंभ से ठीक पूर्व, उन व्यक्तियों को जो उस समय उपस्थित हों, खाली मतदान पेटी को दिखाएगा और तब उसमें ताला लगाएगा और उस पर अपनी मुद्रा ऐसी रीति से लगाएगा जिससे कि मुद्रा को तोड़े बिना उसे खोलने से निवारित किया जा सके । अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता भी यदि वह ऐसी वांछा करता है तो, उस पर अपनी मुद्रा भी लगा सकता है ।

(ङ) ऐसे प्रत्येक सदस्य या प्रतिनिधि को, जो मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा करता है, एक मतदान पत्र दिया जाएगा जिसमें लड़ रहे अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम से सुविधानुसार या तो मुद्रित होंगे या टाइप या साइक्लोस्टाइल होंगें। मतदान पत्र पर सोसाइटी की मुद्रा लगी होगी और मतदान पत्र के पृष्ठ भाग पर रिटर्निंग आफिसर के आद्यक्षर होंगे तथा मतदाता के लिए उस व्यक्ति / व्यक्तियों के नाम या नामों के सामने, जिनके पक्ष में वह मत देना चाहता है, 'X' चिह्न लगाने के लिए एक स्तम्भ होगा ।

(च) प्रत्येक मतदान स्थान पर और यदि किसी स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक पृथक कक्ष होगा जिसमें सदस्य या प्रतिनिधि गोपनीय रूप से अपना मत दे सकें ।

(छ) प्रत्येक व्यक्ति जो मतदान करना चाहता है, मतदान स्थान में एक पहचान पत्र के साथ जो सोसाइटी द्वारा उसे दिया गया हो, प्रवेश करेगा । मतदान अधिकारी मतदान स्थान में मत देने के लिए पात्र सदस्यों या प्रतिनिधियों की सूची के प्रतिनिर्देश से,जो उसे दी गई हो, सदस्य से प्रश्न पूछकर उसकी पहचान करेगा । यदि सदस्य की पहचान के बारे में मतदान अधिकारी का समाधान हो जाता है और यदि मतदान स्थान पर उपस्थित किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा आक्षेप नहीं किया जाता है तो मतदान अधिकारी मतदान पत्र के साथ छिद्रित प्रतिपर्ण पर सदस्य या प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पश्चात उसे एक मतदान पत्र देगा । प्रतिपर्ण में मतदान पत्र की क्रम संख्या और अन्य ब्यौरें होंगे। ऐसा मतदान पत्र प्राप्त होने पर सदस्य इस प्रयोजन के लिए अलग बनाए गए मतदान कक्ष में जाएगा और, यथास्थिति, उस अभ्यर्थी या उन अभ्यर्थियों के नामों के सामने जिनके पक्ष में वह मत देता है, 'X' का चिह्न लगाकर वह उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को दर्शाएगा तथा मतदान पत्र को मतदान पेटी में जो इस प्रयोजन के लिए रखी गई हो, अत्यन्त गोपनीयता के साथ डालेगा । यदि अंधेपन या अन्य शारीरिक

असमर्थता या अशिक्षित होने के कारण कोई सदस्य मतदान पत्र पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी और जहां कोई ऐसा मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, वहां रिटर्निंग आफिसर, उससे उस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम अभिनिश्चित करेगा जिनके पक्ष में वह मतदान करना चाहता है, उसकी ओर से 'X' चिह्न लगाएगा और मतदान पत्र को मतदान पेटी में डालेगा ।

(ज) (i) प्रत्येक सदस्य जिसका नाम मतदान अधिकारी को दी गई मत डालने के लिए पात्र सदस्यों/प्रतिनिधियों की सूची में दर्ज है, तब तक मतदान करने का हकदार है जब तक उसकी पहचान की बाबत अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा आक्षेप नहीं किया जाता है। यदि किसी सदस्य की पहचान के बारे में इस प्रकार आक्षेप किया जाता है या यदि मतदान अधिकारी को उचित संदेह है तो वह मामले को रिटर्निंग आफिसर को निर्दिष्ट करेगा जो संक्षिप्त जांच करेगा और सोसाइटी की पुस्तकों के प्रति निर्देश से उस प्रश्न का विनिश्चय करेगा ।

(ii) रिटर्निंग आफिसर किसी सदस्य की पहचान के बारे में अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी आक्षेप को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक वह व्यक्ति जो आक्षेप करता है, ऐसे प्रत्येक मत के लिए फीस के 5 रुपये (पांच रुपये) का नकद संदाय नहीं कर देता है । तत्पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर आक्षेप ग्रहण करेगा और उस सदस्य को जो मत देने के लिए आया है, यथास्थिति, अपना अंगूठा निशान या हस्ताक्षर, अपनी पहचान बताने वाली घोषणा पर लगाने के लिए कहेगा और यदि वह ऐसा करने से इंकार करता है तो सदस्य को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसके विपरीत यदि ऐसी संक्षिप्त जांच के परिणामस्वरूप सदस्य की पहचान रिटर्निंग आफिसर के समाधानप्रद रूप से साबित हो जाती है तो मतदान अधिकारी मतपत्र जारी करेगा और तब सदस्य को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी । ऐसे मामलों में संदत्त आक्षेप फीस समपहृत कर ली जाएगी । मतदान के अंत में, रिटर्निंग आफिसर संग्रह की गई आक्षेप फीस का उन व्यक्तियों को जिन्होंने आक्षेप किया है, वापस की गई फीस का और सोसाइटी के पक्ष में समपहृत की गई फीस का हिसाब देगा और प्रत्येक मामले में संक्षिप्त जांच के बाद किए गए अपने विनिश्चय की बाबत एक संक्षिप्त टिप्पण भी देगा ।

(झ) (अ) यदि मतदान के किसी प्रक्रम पर बलवे या दंगे के कारण कार्यवाहियों में कोई विघ्न या व्यवधान पड़ता है या ऐसे निर्वाचन में यदि किसी पर्याप्त कारण से मतदान कराना संभव नहीं है, तो रिटर्निंग आफिसर को, ऐसी कार्रवाई करने के लिए अपने

कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात मतदान रद्द करने की शक्ति होगी ।

(आ) जहां मतदान खंड (अ) के अधीन रद्द कर दिया जाता है या जहां मतदान पेटियों के नष्ट हो जाने या उनके गुम हो जाने के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतपत्रों की गणना असंभव हो जाती है वहां रिटर्निंग आफिसर सोसाइटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में ऐसी कार्रवाई के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात मतदान रद्द कर देगा ।

(ञ) मतदान के लिए नियत समय के पश्चात किसी मतदाता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा ; किन्तु वह मतदाता जो मतदान की समय अवधि की समाप्ति के पूर्व उस परिसर में प्रवेश कर लेता है जहां मतदान पत्र जारी किए जा रहे हैं तो उसे मतदान पत्र जारी किया जाएगा और मतदान करने दिया जाएगा ।

(ट) मतपत्रों की गणना मतदान की समाप्ति के तुरन्त पश्चात की जाएगी । यदि यह रिटर्निंग आफिसर के नियंत्रण के परे किन्हीं कारणों से संभव नहीं है तो मतदान पेटियों को रिटर्निंग आफिसर और लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की मुद्रा से, यदि वे ऐसी वांछा करते हैं, तो, सीलबंद किया जाएगा, और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सोसाइटी में जमा कर दिया जाएगा । रिटर्निंग आफिसर तब उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के समक्ष वह समय और स्थान घोषित करेगा जब और जहां गणना आगे किसी दिन आरंभ की जाएगी और उसे लिखित में भी संसूचित करेगा । मतों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी । प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को गणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा । किन्तु गणना के समय किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की अनुपस्थिति से गणना या रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणामों की घोषणा निष्फल नहीं हो जाएगी ।

6. **साधारण** - (क) मतदान पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि - -

(i) उस पर कोई ऐसा चिह्न या लिखावट है जिससे मतदान करने वाले सदस्य की पहचान की जा सकती है ; या

(ii) उस पर सोसाइटी की मुद्रा या रिटर्निंग आफिसर के आद्यक्षर नहीं हैं ; या

(iii) उस पर मत अंकित करने वाला चिह्न ऐसी रीति से लगाया गया है जिसके कारण यह संदेहप्रद हो

जाता है कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में दिया गया है ; या

(iv) उसे इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है या बिगाड़ा गया है कि असली मत के रूप में उसकी पहचान निश्चित नहीं की जा सकती है।

(ख) यदि मतों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मतों की संख्या बराबर पाई जाती है और एक मत जोड़ देने से उन अभ्यर्थियों में से किसी को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थियों के बीच लाट द्वारा तुरन्त विनिश्चय करेगा और इस प्रकार से अग्रसर होगा मानो उस अभ्यर्थी ने जिसके पक्ष में लाट पड़ता है, अतिरिक्त मत प्राप्त किया था और उसे निर्वाचित घोषित करेगा ।

(ग) रिटर्निंग आफिसर मतों की गणना पूरी करने के पश्चात मतदान के परिणामों की एक विवरणी तैयार करेगा और तुरन्त परिणाम घोषित करेगा । रिटर्निंग आफिसर इसके तुरन्त पश्चात निर्वाचन की कार्यवाहियों की एक विस्तृत रिपोर्ट लेखबद्ध करेगा जो सोसाइटी के अभिलेखों का एक भाग होगी और सभी पर बाध्यकर होगी । रिटर्निंग आफिसर, आगे केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजे जाने के लिए तुरन्त सोसाइटी को मतदान के परिणामों की विवरणी की एक प्रति के साथ ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा । रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रस्तुत ऐसी रिपोर्ट और परिणामों की विवरणी सोसाइटी द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्रार को तुरन्त भेजी जाएगी।

7. **पदाधिकारियों का निर्वाचन** (1) जैसे ही बोर्ड के सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं रिटर्निंग आफिसर, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी सभापति या अध्यक्ष, उपसभापति या उपाध्यक्ष या सोसाइटी के अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों के, वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नवगठित बोर्ड का अधिवेशन बुलाएगा । बोर्ड का ऐसा अधिवेशन तब तक संचालित नहीं किया जाएगा जब तक उपविधियों के अनुसार नवगठित बोर्ड के सदस्यों की संख्या का बहुमत उपस्थित न हो ।

(2) रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रकार बुलाए गए अधिवेशन में पदाधिकारियों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए रिटर्निंग आफिसर अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा । बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के पदाधिाकारियों का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, तारीख, स्थान और समय, जिसके दौरान सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र भरे जाएंगे, वह तारीख, स्थान और समय जिसकों

नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी, नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख और समय और वह तारीख, वह स्थान जिस पर, मतदान, यदि अपेक्षित हो, होगा का उल्लेख करते हुए, पदाधिकारियों के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित करेगा । रिटर्निंग आफिसर बोर्ड के सभी नवनिर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्यों को निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना देगा । नामांकनपत्र प्ररूप 5 में ऐसी बैठक में रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया जाएगा । रिटर्निंग आफिसर उन आक्षेपों, यदि कोई हों, के संबंध में विनिश्चिय करेगा जो किसी नामांकन पत्र के समय किए जाते हैं, और ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझता है, वैध नामांकन पत्रों के नामों की घोषणा करेगा ।

(4) यदि किसी ऐसे पद के लिए जिसके लिए निर्वाचन आयोजित किए जाने है, उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी बाबत विधिमान्य नामांकनों की घोषणा की गई है, उस पद के लिए निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नहीं है तो उन अभ्यर्थियों को, जिनकी बाबत विधिमान्य नामांकन घोषित किए गए हैं, उस पद के लिए निर्वाचित समझा जाएगा और रिटर्निंग आफिसर इस आशय की घोषणा करेगा। यदि उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी बाबत किसी पद के लिए विधिमान्य नामांकनों की घोषणा की गई है, निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक है तो रिटर्निंग आफिसर गुप्त मतदान द्वारा मतदान कराएगा । रिटर्निंग आफिसर तत्पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करेगा ।

(5) रिटर्निंग आफिसर इसके तुरन्त पश्चात् निर्वाचन की कार्यवाहियों की एक विस्तृत रिपोर्ट लेखबद्ध करेगा जो सोसाइटी के अभिलेखों का भाग होगी और सभी पर बाध्यकर होगी। रिटर्निंग आफिसर आगे केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजे जाने के लिए सोसाइटी को तुरन्त ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति और मतदान के परिणामों की विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करेगा । रिटर्निंग आफिसर द्वारा ऐसी रिपोर्ट और मतदान के परिणामों की विवरणी सोसाइटी द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्रार को तुरन्त भेंजी जाएगी ।

(8) संचालित निर्वाचनों के अभिलेखों की अभिरक्षा --निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करने के पश्चात, रिटर्निंग आफिसर निदेशक बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों के निर्वाचन से संबंधित मतदान पत्रों और अभिलेखों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक को, सीलबंद लिफाफे में सौंप देगा । सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक उन्हें निर्वाचन की तारीख से छह मास की अवधि तक या ऐसे समय तक जब तक निर्वाचन की बाबत दाखिल किया गया, कोई विवाद, यदि कोई हो, का निपटारा नहीं कर दिया जाता, दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, सुरक्षित रूप से रखे जाएंगे और तत्पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे ।

प्ररूप-1

(नियम 3 का उपनियम (1) देखिए)

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

केन्द्रीय रजिस्ट्रार,
सहकारी सोसाइटी
नई दिल्ली ।

महोदय,

हम निम्नलिखित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक प्रस्ताव, नीचे उल्लिखित संलग्नकों के साथ प्रस्तुत करते हैं :

2. हम यह भी घोषणा करते हैं कि इसके साथ दी गई जानकारी, जिसके अन्तर्गत संलग्नकों में दी गई जानकारी भी है, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है :

(क) प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम ;

(ख) रजिस्टर किए जाने वाला मुख्यालय और उसका पता ;

(ग) प्रवर्तन क्षेत्र ;

(घ) मुख्य उद्देश्य ;

(ङ) सोसाइटी के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना आत्यन्तिक रूप से क्यों आवश्यक है ;

(च) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के संबंध में प्रमाण-पत्र ;

(छ) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपबन्धों के संबंध में प्रमाण-पत्र ;

(ज) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के संबंध में प्रमाण-पत्र ;

(झ) यदि सभी सदस्य व्यष्टि हैं तो प्रत्येक राज्य से उन व्यक्तियों की संख्या दीजिए जिन्होंने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं ;

राज्य का नाम ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं

(ञ) आगे पत्र व्यवहार के प्रयोजन के लिए आवेदक का नाम और पता : _____

3. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं

(क) _____ बैंक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पक्ष में उस बैंक में जमा अतिशेष का उल्लेख किया गया है ।

(ख) एक स्कीम जिसमें यह स्पष्ट करते हुए ब्यौरे दर्शाए गए हैं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कार्यकरण किस प्रकार आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा । हम सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उपविधियों की चार प्रतियां साथ में भेज रहे हैं ।

4. निम्नलिखित व्यक्ति उपविधियों में हस्ताक्षर करने के लिए और उनमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत है ।

5. आवेदकों की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

क्रम सं0	नाम	यदि किसी निगमित निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उस संस्था का नाम*	यदि आवेदक व्यष्टि है	आयु	राष्ट्रिकता	वृत्ति
1	2	3	4	4(क)	4(ख)	4(ग)

राज्य का नाम	पता	शेयरपूंजी में अभिदाय की रकम	सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रतिनिधि की दशा में, क्या वह उस सोसाइटी का अध्यक्ष/सभापति या मुख्य कार्यपालक है	हस्ताक्षर
5	6	7	8	9

कार्यालय के प्रयोग के लिए

केन्द्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में ---------- द्वारा ---------- को रजिस्ट्री डाक से, या श्री ---------- से सीधा प्राप्त किया । आवेदन रजिस्टर में क्रम सं0 पर ----------पर दर्ज किया ।

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

---------- सोसाइटी लिमिटेड (प्रस्तावित) के रजिस्ट्रीकरण के लिए तारीख ---------- को रजिस्ट्रीकरण प्रस्ताव सं0 ----------ऊपर निर्दिष्ट संलग्नकों सहित ---------- से डाक से / सीधे प्राप्त किया ।

केन्द्रीय रजिस्ट्रार

हस्ताक्षर और स्टाम्प

स्थान :

तारीख :

* यदि किसी सहकारी या किसी अन्य सहकारी निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो संकल्प की प्रति या सक्षम प्राधिकारी का प्राधिकार पत्र, जिसके द्वारा व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, संलग्न करें ।

* रिक्त स्थान भरिए ।

प्ररूप -2

(नियम 4का उपनियम (1)देखिए)

बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों का रजिस्टर

क्रम सं0	प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम और मुख्य संप्रवर्तक	पूरा पता	प्राप्त करने की तारीख और किस प्रकार प्राप्त हुआ	अभिस्वीकृति की तारीख और निर्देश संख्या
1	2	3	4	5

सं0 और तारीख जिसको अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है	विहित तारीख जिसको जानकारी मांगी गई है ।	तारीख जिसको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई	यदि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण 6 मास के भीतर नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की संख्या और तारीख यदि कोई रिपोर्ट भेजी गई है ।	रजिस्ट्रीकरण के आदेश की संख्या और तारीख	रजिस्ट्रीकरण से इंकार
6	7	8	9	10	11

आद्यक्षर	टिप्पणियां
12	13

प्ररूप -3

नामांकन पत्र - प्ररूप

(अनुसूची का पैरा -3 (क) देखिए)

1. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम और पता :
2. व्यष्टि सदस्य की दशा में अभ्यर्थी का नाम या प्रतिनिधि और उस सदस्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है ।
3. सदस्यों के रजिस्टर में क्रम सं0 :
4. पिता या पति का नाम (व्यष्टि सदस्य की दशा में) :
5. पता :
6. यदि प्रस्तावक व्यष्टि सदस्य है तो प्रस्तावक का नाम और यदि प्रस्तावक सोसाइटी का प्रतिनिधि है तो सोसाइटी और प्रतिनिधि के नाम :
7. सदस्यों के रजिस्टर में प्रस्तावक की क्रम सं0:
8. प्रस्तावक के हस्ताक्षर
9. व्यष्टि-सदस्य की दशा में समर्थक का नाम और यदि समर्थक सोसाइटी का प्रतिनिधि है तो सोसाइटी तथा प्रतिनिधि का नाम :
10. सदस्यों के रजिस्टर में समर्थक की क्रम सं0:
11. समर्थक के हस्ताक्षर :

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मैं निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हूं और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं अधिनियम, नियमों और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार ——————बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड की सदस्यता से निरर्हित नहीं हूं ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

रिटर्निंग आफिसर द्वारा पृष्ठांकन

यह नामांकन पत्र ——————— पर मेरे समक्ष ——————— द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है । ——————— पर ——————— बजे रजिस्ट्री डाक से प्राप्त हुआ है ।

स्थान :

तारीख:

रिटर्निंग आफिसर के या उसके द्वारा

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप -4

(अनुसूची का पैरा 5 (ख) देखिए)

मैं, ——————सुपुत्र/पति/पत्नी ——————— (सोसाइटी का नाम) ——————— ——————— का सदस्य निदेशक बोर्ड के सदस्य / पदाधिकारी के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, ——————— को सम्पन्न होने वाले (समिति का नाम) ——————— के चुनाव में निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने निर्वाचन अभिकर्ता/ गणन अभिकर्ता (काऊंटिंग एजेंट) के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं ।

(तारीख विनिर्दिष्ट करें)

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर

मैं, ——————सुपुत्र/पति/पत्नी ——————— पता, ——————— निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता (काऊंटिंग एजेंट) के रूप में काम करने का इच्छुक हूं ।

अभिकर्ता (एजेंट) का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप 5

(अनुसूची का पैरा 7 का उप पैरा (3) देखिए)

1. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम और पता :
2. पद जिसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं :
3. व्यष्टि सदस्य की दशा में अभ्यर्थी का नाम या प्रतिनिधि और उस सदस्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है :
4. सदस्यों के रजिस्टर में क्रम सं0 :
5. पिता या पति का नाम (व्यष्टि सदस्य की दशा में):
6. पता :
7. यदि प्रस्तावक व्यष्टि सदस्य है तो प्रस्तावक का नाम और यदि प्रस्तावक सोसाइटी का प्रतिनिधि है तो सोसाइटी और प्रतिनिधि के नाम
8. सदस्यों के रजिस्टर में प्रस्तावक की क्रम सं0:
9. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :
10. व्यष्टि सदस्य की दशा में समर्थक का नाम और यदि समर्थक सोसाइटी का प्रतिनिधि है तो सोसाइटी तथा प्रतिनिधि का नाम :
11. सदस्यों के रजिस्टर में समर्थक की क्रम सं0 :
12. समर्थक के हस्ताक्षर :

रिटर्निंग आफिसर द्वारा पृष्ठांकन

यह नामांकन पत्र ———— पर मेरे समक्ष ———— द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है । ———— पर ———— बजे रजिस्ट्री डाक से प्राप्त हुआ है ।

स्थान :
तारीख:

रिटर्निंग आफिसर के या उसके द्वारा
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

[फा. सं. एल-11012/2/2000-एल एंड एम]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2002

G.S.R. 790(E).— In exercise of the powers conferred by section 124 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002), the Central Government hereby make the following rules, namely:-

CHAPTER – I
PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**– In these rules, unless the context otherwise requires, -

(i) "Act" means the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002);

(ii) "authorised officer" means an officer authorised by the Central Government for the purpose of section 103 of the Act;

(iii) "decree" means any decree of a civil court and includes any decision or order referred to in section 94 of the Act;

(iv) "decree holder" means any person holding a decree as defined in clause (iii);

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938
No. 569] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 798(अ).—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुराज्य सहकारी समितियां नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को बहुराज्य सहकारी समितियां (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाये।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. बहुराज्य सहकारी समितियां नियम, 2002 में नियम 3 में उपनियम (1) में

i. खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (ख) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्होंने उनमें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अभिदाय की गई रकम के साथ और मुख्य संप्रवर्तक द्वारा सम्यकत: प्रमाणित उनके पहचान पते सबूतों सहित उनके द्वारा संदत्त प्रवेश फीस"

ii खंड (ड.) के बाद निम्नलिखित खंड रखे जाएगें, अर्थात् :

"(च) प्रत्यय से संबंधित उद्देश्यों और कृत्यों या बहु प्रयोजिनीय उद्देश्यों वाली प्राथमिक बहु राज्य सहकारी सोसाइटी प्रचालन के क्षेत्र में आरंभिक रूप से दो राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(छ) प्रत्यय से संबंधित उद्देश्यों और कार्यों या बहुप्रयोजनीय उद्देश्यों वाली समितियों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, अर्थात् :-

(i) संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनापत्ति प्रमाण पत्र जहां समिति के प्रचालन का प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्र हो।

(ii) मुख्य संप्रवर्तक और संप्रवर्तक की पृष्ठभूमि और अन्य प्रत्यय पत्रों का सत्यापन प्रमाण पत्र जो राज्य के रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा सम्यकत: प्रमाणित हो जहां सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अब स्थित होना प्रस्तावित है।

(ज) अधिनियम की धारा 3 के खंड (द) में परिभाषित "राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी" के अलावा समिति को अपने नाम में "नेशनल, इंडियन, भारतीय, राष्ट्रीय" या समतुल्य शब्दों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी और सोसाइटी का नाम "संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(3) उक्त नियमों में नियम 8 के उप-नियम (3) के बाद निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :

" (4) केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से एक बहु राज्य सहकारी समिति, जो सहकारी बैंक न हो, सोसाइटी के समुचित कृत्य के अध्यधीन, भारत में किसी भी स्थान पर शाखाएं और कारोबार के स्थान खोल सकेगी।

[फा. सं. एल-11012/2/2003-एलएंडएम]

आशीष कुमार भूटानी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. संख्या 790(अ) तारीख 2 दिसम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात उनमें सा.का.नि. 717(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2007 के और सा.का.नि. 447(अ) तारीख 15 जून, 2012 द्वारा संशोधन किए गए।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2019/अग्रहायण 25, 1941
No. 724] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2019/AGRAHAYANA 25, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 931(अ).—केंद्रीय सरकार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में नियम, 19 में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु इस प्रयोजन के लिए बोर्ड, केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए नामों के पैनल / अभिहित अधिकारियों के पैनल से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेगा।

परंतु यह और भी कि प्रथम परन्तुक में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले की गई रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगी और ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर उसी तरह निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करेगा मानो यह अधिसूचना ना जारी की गई हो।"

[फा.सं.एल-11012/02/2002-एलएंडएम]

विवेक अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. 790 (अ) तारीख 2 दिसंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें सा.का.नि. 717 (अ), तारीख 12 नववंर, 2007, सा.का.नि. 447 (अ), तारीख 14 जून, 2012, सा.का.नि. 798 (अ), तारीख 16 अगस्त, 2016, सा.का.नि. 567 (अ) तारीख 12 जून, 2018 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December , 2019

G.S.R. 931 (E).—In exercise of the powers conferred by section 124 of the Multi State Co-operative Societies Act 2002(39 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Multi State Co-operative Societies Rules, 2002, namely :-

1. (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Amendment)

   Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, in rule 19, following provisos shall be inserted, namely :-

   " Provided that the Board shall appoint the returning officer from the panel of names/ panel of designated officers maintained by the Central Registrar for this purpose .

   Provided also that, nothing contained in the first proviso shall affect the appointment of returning officer made prior to the date of publication of this notification and such returning officer shall complete the election process as if this notification has not been issued.".

[F.No.L- 11012/02/2002 -L&M]

VIVEK AGGARWAL, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 790 (E), dated the 2nd December, 2002 and subsequently amended by numbers G.S.R. 717 (E), dated the 12th November, 2007 , G.S.R. 447(E),dated the 14th June, 2012,G.S.R.798(E) dated the 16th August, 2016.G.S.R.567(E) dated the 12th June, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR